# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 1 सितम्बर, 1993

**खण्ड–2, अंक–3**

**अधिकृत विवरण**

**विशत सूची**

**बुधवार, 1 सितम्बर, 1993**

**पृश्ठ संख्या**


| | |
|---|---|
| तारांकित प्र न एवं उत्तर | (3)1 |
| नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर | (3)20 |

| | |
|---|---|
| अतारांकित प्र न एवं उत्तर | (3)23 |
| नियम 64 के अधीन वक्तव्य – | |
| (i) परिवहन राज्य मंत्री द्वारा – | |
| ट्रकों आदि पर से पथकर समाप्त करने सम्बन्धी | (3)23 |
| (ii) मुख्य मंत्री द्वारा – | |
| बड़े उद्योगों पर बिजली की कटौती करने तथा किसानों आदि को बिजली देने सम्बन्धी | (3)31 |
| पब्लिक अंडरटेकिग्ज कमेटी के अधीन कोआप्रेटिव फैड्रेशन्ज आदि को सम्मिलित करना तथा सब्जैक्ट कमेटीज का गठन करना | (3)32 |
| विशेशाधिकार भंग का प्रश्न – | (3)32 |
| श्रीमती चन्द्रावती एम.एल.ए. के साथ एस.डी.एम. दादरी द्वारा किये गये दुर्व्यवहार सम्बन्धी | (3)36 |
| कार्य स्थगत प्रस्ताव | (3)44 |
| वाक–आउट | (3)47 |
| विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सदस्यों को सूचनाएं देना | (3)48 |

| | |
|---|---|
| ध्यानाकर्शण प्रस्ताव | |
| (i) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी सम्बन्धी | (3)51 |
| वक्तव्य – | |
| बिजी मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी | (3)51 |
| ध्यानाकर्शया प्रस्ताव – | |
| (ii) जिला भिवानी में सिंचाई के पानी की भारी कमी होने सम्बन्धी | (3)59 |
| वक्तव्य – | |
| सिंचाई मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी | (3)60 |
| बिल्ज – | |
| (i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल, 1993 | (3)66 |
| (ii) दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डेटडनैस (अमैंडमैंट) बिल 1993 | (3)70 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (3)76 |
| दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ) | (3)76 |

| | |
|---|---|
| वैयक्तिक स्पश्टीकरण – | |
| श्री धीरपाल सिंह द्वारा | (3)82 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (3)83 |
| दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ) | (3)83 |
| वाक आउट | (3)86 |
| दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ) | (3)86 |
| (iii) दि हरियाणा प्राइवेट लाटरीज प्रोहिबिशज बिल, 1993 | (3)27 |
| बैठक का समय बढ़ाना | (3)94 |
| दि हरियाणा प्राईवेट लाटरीज प्रोहिबिशन बिल, 1993 (पुनरारम्भ) | (3)94 |

# हरियाणा विधान सभा

## बुधवार, 1 सितम्बर, 1993

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

## तारांकित प्र न एवं उत्तर

**Mr. Speaker**: Hon'ble Members, the Question Hour.

**Shortage of Drinking Water**

**Mr. Speaker**: Hon'ble Members, the Questions Hour.

**Shortage of Drinking Water**

***560. Prof. Chhatter Singh Chauhan**: Will the Minister for public Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in district Bhiwani; and

(b) if so, the reasons thereof, together with the steps taken to remove the shortage of drinking water?

**जन–स्वास्थ्य मंत्री** (श्री राम पाम सिंह कंवर): (क+ख): यह ठीक है कि भिवानी जिले में पीने के पानी की कुछ समस्या है खासकर उन गांवों में जहां जल वितरण योजनाएं बहुत पहले कार्यान्वित की गई थी और वहां जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उन

गांवों में जिनकी जल वितरण योजनाएं नहरी पानी पर आधारित हैं ओर जो नहर के आखिर में पड़ते हैं तथा नहरी पानी की कमी के कारण पीने के पानी की दिक्कत में है। इसके अतिरिक्त आठ नलकूप पर आधारित योजनाओं के 19 गांवों में भी कमी आ रही है। चूंकि नलकूपों में पानी का स्तर नीचे चला गया है। सरकार इस स्थिति से पूरी जानकार है और बढ़ोतरी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें वह वर्तमान जल वितरण योजनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार अलग किया जा रहा है ताकि आठवीं पंचवर्शीय योजना के अन्त तक नार्मज अनुसार 40 मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल वितरण किया जा सके। जिला भिवानी में नलकूपों के पानी का स्तर कम होना एक नियमित हैं, इसलिये पुराने नलकूपों की जगह नये नलकूप लगाने का कार्यक्रम प्रत्येक वर्श किया जा रहा है और 1992–93 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 नलकूप चालू किये गये इसके अतिरिक्त चार नलकूपों का कार्य चालू वित्त वश्र 1993–94 में लगभग पूर्ण किया गया है और आवश्यकतानुसार और कार्य किया जायेगा। नहरी पानी पर आधारित योजनाओं के लिय पाने के पानी हेतु नहरी पानी के विवरण को अति प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला भिवानी के पांच नगरों में से लोहारू नगर में जल वितरण की स्थिति असंतोशजनक है और लोहारू नगर में जल विवरण की बढ़ौतरी की योजना शीघ्र की जा रही है।

**प्रो. छत्तर सिंह चौहान**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वे बड़ी होशियारी से तैयार किए गए हैं लेकिन से असत्य और आधारहीन है। वास्तविकता यह है कि सारे भिवानी जिले में, पीने के पानी के लिए, हाहाकार मचा हुआ है। कुछ एक ऐसे वाटर टैक्स हैं, जो खाली पड़े हुए हैं। इन्होंने यह कह दिया कि जनसंख्या बढ़ गई है। यह बड़ा आसान सा बहाना है। दो सालों में जनसंख्या नहीं बढ़ी अब इतनी जल्दी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि भिवानी में ये 40 लीटर प्रति व्यक्ति जल वितरण की जो बात कह रहे हैं, यह सही नहीं है अगर ये 10 लीटर भी देकर दिखा दें तब भी बात मान लेंगे। दूसरी बात यह है कि भिवानी जिले के दादरी, लोहारू और बाढ़डा ऐसे एरिया हैं, जहां नहर के पानी की जरूरत नहीं है। टयूबवैल मैं पानी बहुत है लेकिन टयूबवैल से पानी मिलता इसलिए नहीं है कि वहां दिन में 12–12 घंट तक बिजली नहीं आती। इस बारे में मैं मंत्री जी से मिला था ओर इनके महकमें से प्रार्थना की थी कि पानी देने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। एक नहर की, दूसरे बिजली की और तीसरे को–आर्डिनेशन स्थापित करने का कोई प्रोग्राम बनाने की। पातूवास गांव में, दो साल से अधिक समय से, वहां के वाटर टैंक में बच्चे खेलते हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप क्वैश्चन पूछिए।

**प्रो. छत्तर सिंह चौहान**: अध्यक्ष महोदय, जी ने पूरा स्टेटमैंट पढ़कर सुनाया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भिवानी जिले में पीने के पानी की जो समस्या है, मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे कि उसे कब तक हल कर देंगे?

**श्री राम पाल सिंह कंवर**: अध्यक्ष महोदय, भिवानी के बारे में माननीय सदस्य ने कहा हे कि मैंने कहा कि 40लीटर पर–हैड पानी दे रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा है कि इस वक्त हमारा 40 लीअर का नार्मज है और 37 लीटर ही दे पा रहे हैं। बवानी खेड़ा में 17 मीटर पर–हैड के हिसाब में पानी दे रहे हैं। चरखी दादरी में 13 लीटर पर–हैड, लोहारू में सबसे कम यानी 9 लीटर पर–हैड और तोशाम में 17 लीटर पर–हैड के हिसाब से दिया जा रहा है। एक बात मेरे साथी ने यह पूछी कि गांवों में और शहरों में कब तक पूरा पानी दे दिया जायेगा। हमारी कोशिश यह है कि ज्यों–ज्यों फंडज अवेलेबल होते जायेंगे, हम उसी तरीके से देहातों ओर शहरों में पानी की पूर्ति करने का प्रयास करते जायेंगे। तीसरा सवाल उन्होंने यह किया कि डिपार्टमैंट का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। हमारी आपस में कोआर्डिनेशन की कोशिश तो रहती है लेकिन बिजली की कमी के कारण, कई जगह हम ठीक प्रकार से पानी नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता ही है कि बिजली की कमी के बारे में कई दिनों से यहां पर बहस भी हो रही है। ज्यों–ज्यों हमें बिजली मिलती जायेगी, हम पूरा पानी देते जायेंगे, लेकिन बिजली की कमी के

कारण हम कई जगहों पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। एक बात कैनाल–वेस्ड–वाटर सप्लाई के टेल एंड तक न पहुंचने की है। इस बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम दूसरी पानी नहीं दे पा रहे हैं, वहां नहरी पानी की टेल एंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत न हो।

**श्री अध्यक्ष**: उन्होंने दो गांवों के स्पैशल नाम लिये हैं, उनके बारे में भी कुछ बताओं।

**श्री राम पाल सिंह कंवर**: पहले माननीय सदस्य यह तो बतायें कि ये गांव किस स्कीम के तहत आते हैं? (व्यवधान व शोर) एक–एक स्कीम के अन्दर 5–5, 10–10 गांव आते हैं। अब एक–एक गांव का नाम याद रखना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है।

**श्री राम भजन अग्रवाल**: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान भिवानी शहर की तरफ आकर्शित करना चाहता हूं। भिवानी में पानी की बड़ी दिक्कत है। वहां पर सीवरेज का मिला हुआ पानी लोगौं को पीने के लिये मिल रहा है। मैंने इस बारे में पिछले सैशन में भी कहा था। उस समय मुख्यमंत्री महोयद ने यह आश्वासन दिया था कि हम यह दिक्कत दो दिन के अन्दर–अन्दर दूर कर देंगे। मैं यह कहता हूं कि अब भी वहां पर सीवरेज का मिला हुआ पानी पीने के लिये मिल रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। शहर के अन्दर नलों से जो पानी आ रहा है,

वह पीने के लिये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह गन्दा होता है। अव्वल में तो पानी मिलता ही नहीं है, और अगर मिलता है तो वह गन्दा मिलता है। हो सकता है फिल्अर बहुत खराब हो चुके हैं इसलिए जैसे जोहड़ों का पानी होता है वैसा पानी नलों में आता है। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि साफ पानी पीने के लिये मिल सके? साफ पानी की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की जिले के अन्दर वैसे ही कमी है। कुंओं के अन्दर भी पानी काफी नीचा होने की वजह से काफी दिक्कत लोगों को आ रही है। मैंने यह सुझाव दिया था कि जहां पर मीठा पानी है, वहां टयूबवैल लगा कर लोगों को पानी देने की व्यवस्था करें। मुझे खुशी है कि रूद्रा कालोनी में टयूबवैल लगाकर, पाईप से कोनैक्ट करके, लोगों को वह पीने के लिये पानी दिया जा रहा है। इससे तो लोगों का भला हुआ है। इसी तरह से देहातों के अन्दर वहां पर मीठा पानी अवेलेबल है, क्या वहां पर टयूबवैल लगाकार मीइा पानी देने की व्यवस्था करने के लिये सरकार तैयार है?

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि भिवानी शहर के अन्दर सीवरेज का मिला हुआ गन्दा पानी लोगों को पीने के लिये अभी भी दिया जा रहा है। मैंने पिछले सैशन में भी इस बारे में कहा गाि कि जिस समय वहां की वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी, उस समय हरियाणा का चीफ मिनिस्टर में नहीं था, बल्कि उप समय चौ. बंसी लाल चीफ

मिनिस्टर थे। जहां तक उनकी इस बात का ताल्लुक है, मैं अब भी कहता हूं कि पीने के पानी की पाईप, ओर सीवरेज की पाईप, साथ–साथ नहीं होनी चाहिये। लेकिन इन्होंने वहां पर दोनों ही साथ–साथ इकट्ठी लगा दी। जब एक पाईप लीक होती है तो उसका पानी दूसरे में मिल जाता है। पिछली बार मेंने हाउस में यह आश्वासन दिया था कि दो दिन में हम उसको ठीक करवा देंगे। वह पाईप हमने जो दो जगह जिक्र किया था, हमने वहां पर टयूबवैल लगाकर, कालोनी को पीने का पानी दिया है। एक इन्होंने यह कहा कि सारा शहर बीमार हो गया। आपकी हैल्थ में तो कोई फर्क हमें नहीं दिखा, आपको तो वैसे की वैसे सेहत है।

**श्री सूरजभान काजल**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज बहुत से जलघरों में पीने का पानी नहीं है। कुछ जल घर आज से 25–30 साल पहले बने थे। उस वक्त की आबादी बहुत कम थी जबकि तब बहुत बढ़ गयी है। क्या सरकार उन जलघरों की कैपसिटी बढ़ाने का कोई विचार रखती है? दूसरी बात यह है कि जो वाटर पाइप्स पहले लगे हैं, उनको काफी टाईम हो गया है और उसमें यह जंग लग गया है या किसी और कारण से खराब हो गए हैं जिस के कारण पानी लीक करता है और उसमें गन्दा पानी चला जाता है जिससे बीमारी फैलने का डर रहता है। क्या मंत्री महोदय ऐसे पाइप्स को बदलने की कृपा करेंगे?

श्री रामपाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथी क्या पूछना चाहते हैं?

**श्री सूरज भान काजल**ः स्पीकर साहब, मैं दुबारा सवाल पूछ लेता हूं। अध्यक्ष महोदय जो जलघर देहात में बने है, वे आज से पच्चीस तीस साल पहले के बने हुए हैं। उस वक्त आबादी कम थी, इसलिए उन जलघरों की कैपेसिटी उस वक्त कम रखी गई थी, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, इसलिए पुरानी कैपेसिटी के जलघर आज पानी की डिमाण्ड पूरी नहीं कर पाते क्योंकि पानी की मात्रा अभी भी वही पुरानी है। क्या उन जलघरों की पानी की कैपेसिटी बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि ववाअर पाइप्स काफी समय पहले बिछाई गई थी। अब वे वाटर पाइप्स खराब हो गई हैं, उनमें जंग लग गया है जिसके कारण उनमें लिकेज है और उनमें गंदा पानी मिल जाता है। क्या सरकार उन वाटर पाइप्स को बदलवाने पर विचार करेगी?

**श्री राम पाल सिंह कंवर**ः अध्यक्ष महोदय, मेरी साथी ने दो बार कवैश्चन रिपीट किया है लेकिन यह समझ नहीं आया कि वे रूरल वाअर सप्लाई की बात कर रहे है, या अर्बन वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं? स्पीकर साहब, रूरल वाटर सप्लाई की पाइप्स तकरीबन हैल्थ डिपार्टमैंट के अण्डर आती है। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने जहां भी पाइप्स बिछाई हैं, आज तक उनके बारे में लीकेज की कोई शिकायत नहीं आई हैं। अलबत्ता अर्बन एरियाज से हमारे पास शिकायतें आई हैं। जहां तक इस बात का सवाल है

कि पाइप्स गल गई है और पीन के पानी के साथ गन्दा पानी मिल जाता है, इस बारे में हमने सर्वे कराया है और सर्वे कराकर देख रहे हैं। जहां कहीं पुरानी पाइप्स है और वे गल गई हैं, उनको बदलवा रहे हैं। जहां तक पानी की कमी का सवाल है और यह कमी पापुलेशन बढ़ने के कारण है इसके बारे में भी हम सर्वे करवा रहे हैं। देखने में वाया है कि म्यूनिसिपल एरियाज में, जब पाईप लाइन बिछाई गई थी, वे अब छोटी महसूस हो रही हैं। सर्वे करवा रहे हैं, ताकि बड़ी पाईप लगाकर जितनी मिकदार में पानी की आवश्यकता हैं उतना दिया जात सके। स्पीकर साहब, कुछ ऐरियाज ऐसे हैं जहां पर नई कालोनीज बस गई हैं। नई कालोनीज का भी हमे सर्वे करवा रहें हैं, उनको भी हम पानी देगें। सर्वे कराने के बाद ज्यों–ज्यों फण्डज अवेलेवल होंगे वहां पर काम करेंगे।

**श्रीमती चन्द्रावती**: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस वक्त चौ. बंसी लाल मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री थे लेकिन उस वक्त ये भी उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। यह बीस साल पहले की बात है। ये पाईप्स दुबारा सुधारी जा सकती हैं। लोहाय के बारे में खुद इन्होंने एडमिट किया है कि वहां पानी की कमी है। मिट्ठी गांव में एक डिग्गी बननी थी लेकिन दस साल हो गए, आज तक वह डिग्गी नहीं बनी है। मिट्ठी और मीरका इन दो गांवों में पिछले दस साल से पार्टिकुलरली पानी की दिक्कत है। एक तो बिजली की कमी की

वजह से दिक्कत हो रही है और दूसरे नलकूप का जो डिपार्टमैंट है, वह डिपार्टमैंट बिल्कुल ठप्प पड़ा है। मौके पर जाकर कोई नहीं देखता कि नलकूप क्यों खराब पड़ा है। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि उन सभी नलकूपों, को जो खराब पड़े हैं, ठीक कराएंगे और लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराएंगे?

**श्री राम पाल सिंह कंवर**: अध्यक्ष महोदय, लोहारू के बारे में, जैसा माननीय सदस्या ने कहा है, वह ठीक है। हमने खुद माना है कि लोहारू में जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यहां पर पहले रूरल वेस्ड स्कीम थी और अब म्यूनिसिपल कमेटी बन गई हैं इसलिए अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम के अन्डर आ गई है। वहां पर दो टयूबवैल्ज पहले से काम रहे हैं। लोहारू के लिए तीस गैलन पानी देने का हमने निशाना बनाया है, इनके लिए चार टयूबवैल्ज और चाहिए। इनमें से दो टयूबवैल्ज इसी फाइनैशियल ईयर में चालू करके पापनी की मात्रा बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बाकी जो दो टयूबवैज की बात है, उनको भी आगे लगाने का प्रयत्न करेंगे।

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर साहब, हमारी सरकार के वक्त में पब्लिक हैल्थ विभाग से सम्बन्धित एक फैसला टूटियों के बारे में हुआ था। पहले तो कम्यूनिटी टैप लगाते थे लेकिन बाद में हमारीउ सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर वाटर वर्क्स में पानी है, उसकी कपैसिटी है, तो लोगों को निजी क्नैकशन भी दिए जाएंगे लेकिन इसमें एक रूकावट आती है कि निजी क्नैकशन के

लिए एप्लीकैट को अपनी एप्लीकेशन मिनिस्टर साहबतक पहुचानी पड़ती है और मंत्री जी उस एप्लीकेशन को सैनीटरी बोर्ड के पास भेजने हैं और वहां से आने के बाद फिर निली क्नैक्शन मिलता है। ऐसा करने में कई बार 6–6 महीने लग जाते हैं और ऐप्लीकैन्ट को यह पता ही नहीं चलाता कि उसकी ऐप्लीकेशन का फेट क्या है। तो मैं इसके लिए मंत्री महोदय से यह कहूंगा अगर वाकई सरकार निजी क्नैक्शन लोगों को देना चाहती है तो इसके लिए निचले लैवल पर पावर्ज डैलीगेट कर दें। एस.डी.ओ., एक्सीयन या ज्यादा से ज्यादा एस.ई. तक डलीगेट कर ले ताकि लोगों को निजी क्नैक्शन के लिए कोई दिक्कत न आए। इंजीनियर्ज की रिपोर्ट पर सरकार को कनैक्शन देना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका सरकार अपनाए जिससे लोगों को ऊपरी लैवल तक न जाना पड़े और निचले लैवल तक ही लोगों का काम को जाए।

**श्री रामपाल सिंह कंवर**: आनरेबल मैम्बर साहब ने यह सुजैशन दी है कि इस काम को निचले लैवल तक कर दिया जाए तो लोगों को क्नैक्शन लेने में आसानी रहेगी। इस सुझाव पर हम दोबारा विचार कर लेंगे कि सैनीटरी बोर्ड में यह काम दें या निचले लेवल तक ही रहने दिया जाए, लेकिन रिपोर्ट तो फिर भी इंजीनियर से मंगवानी ही पड़ेगी। जैसे मैम्बर साहब ने खुद ही माना है कि अगर पानी उपलब्ध ही न हो तो प्राईवेट क्नैक्शन अगर हम देंगे तो उनको पूरा पानी नहीं मिल पाएगा।

**प्रो. सम्पत सिंह**: पानी के बारे में तो एस.डी.ओ. या एक्सीयन बता ही देंगे कि है या नहीं है। उनको आप क्लीयर–कट हिदायतें दे दें कि अगर पानी उतनी क्पैसिटी का हो, तो क्नैक्शन दे दैं।

**श्री रामपाल सिंह कंवर**: सम्पतसिंह जी, मैंने पहले भी बताया है कि हम इस पर दोबारा विचार कर लेंगे कि सैनेटरी बोर्ड के पास यह काम दिया जाए या नियले लैवल तक ही, जेसा कि आपने कहा है, रहने दिया जाये।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बाते क्लीयर कर देना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, वह ठीक है लेकिन आप जानते ही हैं कि अगर हम सारे गांवों में पानी का निजी कनैक्शन देना भी चाहें, तो भी हमारी सारी स्टेट के अन्दर किसी भी वाटर वर्कस की इतनी क्पैसिटी नहीं है। इसलिए हम यह फैसला करने जा भी रहे हैं कि इस साल हम सारे गांव को पानी पहुंचा रहे हैं। पीने का पानी भी हमने गांवों तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, अगर निलजी क्वैक्शन सारे घरों में हम दे दें तो इसके साथ–साथ सीवरेज का गन्दा पानी सारे गांव में फैल जाएगा, जिसके कारण गन्दगी फैलेगी, मच्छर बढ़ेगे। सारा गन्दा पानी गलियों में खड़ा हो जाएगा और बीमारियों फैलेगी। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि 10 हजार से ऊपर की आबादी के जो गांव हैं, उनमें सीवरेज लगा कर घरों में निजी क्नैक्शन देंगे लेकिन यह सारी बातें फण्डज पर निर्भर करती हैं। जब हमारे पास

फण्ड उपलब्ध होगा तो यह सारा काम हो सकेगा। हम यह चाहते हैं कि बाकायदा सीवरेज भी साथ में लगे ताकि घरों का जो गन्दा पानी हो, लेट्रीन वगैरह का जो गन्दा पानी है, वे नाले के द्वारा सीवरेज में चला जाए और वह पानी बाहर आकर खेतों के काम भी आ सके, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह सारी बातें फण्डज पर निर्भर करती हैं लेकिन हमारे साधन सीमित हैं। जब हमारे पास धन की उपलब्धि होगी तो हम इस स्कीम को चालू कर देंगे।7

**SPINNING MILL, HANSI**

**568. Shri Amar Singh**: Will the Minister for Co-operation be pleased to state-

(a) whether Hafed Spinning Mill, Hansi made any agreement with some firms of Hansi on 3.10.92 for the purchase of Cotton for the year1992-93, if so, details thereof; and

(b) whether the said agreement was altered later on and new agreement was made with new firms; if so, the reason thereof ?

**सहकारिया मंत्री** (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया):

(क) वर्श 1992–93 के लिए हांसी के किसी फर्म के साथ कपास की तथा खरीद के लिए दिनांक 3.10.92 को कोई समझौता नहीं हुआ था।

(ख) इसलिए इसे किसी स्तर पर बदले जाने का या नया समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**श्री अमर सिंह**: स्पीकर साहब, क्या कोआप्रेशन मिनिस्टर महोदया बताने का कश्ट करेंगी कि अगर किसी फर्म से एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो 1992–93 के लिए काटन किस प्रकार से खरीदी गई थी? क्या किसी कमेटी के माध्यम से खरीदी गई थी, अगर हां, तो उस कमेटी के चेयरमैंन और मैम्बर कौन कौन थे,

**श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया**: स्पीकर साहब, जो काटन खरीदी जाती है वह कमेटी के माध्यम से खरीदी जाती हैं उस कमेटी के सदस्य है?

(1) श्री आर.सी. रावत, महा प्रबन्धक हैफेड कताई मिल, हांसी

(2) श्री टी.आर. शर्मा, जिला प्रबन्धक हैफेड, हिसार

(3) श्री रिशीकेश मलिक, उत्पादकता प्रबन्धक हैफेड, कताई मिल, हांसी

(4) श्री आर.सी. गुप्ता, लेखा अधिकारी हैफेड कताई मिल, हांसी

(5) श्री आर.एस. बन्सल, बिक्री विपणन अधिकारी हैफेड कताई मिल, हांसी।

(6) श्री एस.के. जैन, सैक्शनल आफिसर (कास्ट) हैफेड कताई मिल, हांसी।

जो एग्रीमैंट हुआ था, उसका टेडर 27.7.92 को खुला था, नैगोसिएर्शन 10.8.92 को हुई थी और स्वीकृति पत्र 30.10.92 को जारी कर दिया था।

**Employment to the dependents of the deceased Government Officials**

***553. Shri Jai Parkash**: Will the Chief Minister be pleased to state the year wise total number of persons who have been given jobs being the dependent of deceased Government officials under the policy of the Government to give employment to one member of the deceased family during the period from July, 1987 to 31st March, 1993?

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल): अनुग्रहपूर्वक अनुदान की नीति के अन्तर्गत जुलाई, 1987 से 31.3.93 तक जिन व्यक्तियों को नौकरियां प्रदान की गई हैं, उनकी वर्शवार संख्या निम्न प्रकार है:—

| | वर्श | दी गई नौकरियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 1.7.87 से 31.3.88 | 578 |
| 2 | 1.7.88 से 31.3.89 | 564 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 1.7.89 से 31.3.90 | 637 |
| 4 | 1.7.90 से 31.3.91 | 613 |
| 5 | 1.7.91 से 31.3.92 | 987 |
| 6 | 1.7.92 से 31.3.93 | 885 |
| | कुल | 4264 |

**श्री जय प्रकाश**: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मृतक कर्मचारी के डिपैंडैटस को नौकरियों दैन हेतु अभी कितने केस पैंडिंग है, कब से पैंडिंग हैं और कब तक उनके नौकरियों दे दी जाएंगी? दूसरे मृतक कर्मचारियों के डिपैडैटस को क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह भी बताने का कश्ट करें।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, 31.3.92 से अब तक 260 नौकरियां देनी बाकी हैं जिनमें से 140 कलैरिकल हैं, 11 जे. ई. की हैं, 1 ड्राफटसमैंन की है और 108 क्लास फोर की हैं। ये टोटल 260 बाकी हैं। जहां तक उनके डिपैंडैंटस को सुविधा देने का ताल्लुक है, किसी के पिता की डंथ हो जाए तो हम उस की जगह उसके बेटे या बेटी का सर्विस देते हैं। बेटा और बेटी यदि छोटे हों तो उनकी मां को सर्विस देते हैं। अगर मां सर्विस नहीं करना चाहती और उसका बेटा या बेटी दो तीन साल में बालिंग

हो जाता है, तो हम उसको नौकरी देते हैं, ऐसी नीति सरकार की है।

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला**: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में यानी 1992 से अब तक सबसे ज्यादा यानी 987 और 885 लोगों को एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत नौकरियों दी हैं। इसके साथ–साथ मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और यह आश्वासन भी चाहूंगा कि बहुत से केसिज पैडिंग हैं जो कई सालों से पड़े हैं। मेरा कहनने का मतलब यह है कि जो लोग सर्विस के दौरान मर जाते हैं, उनकी जो विडोज हैं या उनके जो डिर्पडैटस हैं, उनको उनकी जगह पर नौकरी लगाने के बारे मैं कई–कई सालों से बहुत से केस पैंडिंग हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं और क्या मुख्यमंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि उन केसिज को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, 1992 के बाद 260 केसिज बकाया हैं, इनको बहुत जल्दी निपटा देंगे। आज कुछ लोग जो नौकरी के लिए घूम रहे हैं, वे चौटाला साहब की मेहरबानी से घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने 1983–84 में यह फैसला लिया था कि जिसका बाप सर्विस के दौरान मर जाए या जिनकी मां सर्विस के दौरान मर जाएं तो उनकी जगह उनके बेटा या बेटी को सर्विस दी जाए और यदि बेटा या बेटी नाबालिग हैं तो बालिग होने पर उसको नौकरी दी जाएगी। लेकिन 27.3.91 को चौटाला

साहब ने उस फैसले को बदल दिया, इसलिए आज कुछ लोग जो नौकरी के लिए घूम रहे हैं, वे इन्हीं की मेहरबानी से घूम रहे हैं। इनके 3.11.88 की फाईल पर आर्डर हैं कि 3.11.88 के बाद सर्विस के दौरान अगर कोई मर गया है और उसके डिपैंडैंट 3.5.89 तक बालिग हैं ओर उसकी एप्लीकेशन आई है तो उसको सर्विस दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी।

**श्री धीरपाल सिंह**: अब क्या पालिसी है?

**चौ. भजन लाल**: अब कोई लिमिट नहीं है, जब भी आश्रित बालिग होगा, उसको नौकरी दी जाएगी।

**श्री मनीराम केहरवाला**: स्पीकर साहब, सरकार का कानून है कि जो कोई सर्विस के दौरान मरता है, उसके आश्रित को उससे एक रैक नीचे की सर्विस पर लगाया जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, क्या किसी को मरने वाले रैंक की सर्विस में लगाया गया?

**10.00 बजे**

**चौ. भजन लाल**: स्पीकर साहब, इस वक्त ये आंकड़े मेरे पास नहीं हैं कि पिछली सरकार ने उस रैंक के बराबर कितने लोगों को लगाया। लगाने का नियम तो यही है।

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, क्या इन्होंने कोई व्यक्ति डी.एस.पी. रैंक का लगाया है? (विघ्न) हम इस बात को हाउस में स्पीकार करते हैं कि उस रैंक के बराबर लगाया हैं। यह रिकार्ड की बात है। (विघ्न)

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, अगर सिी की क्वालिफिकेशन्ज एक्सट्राओर्डिनरी है, तो उसको उसके मुताबिक सर्विस पर लगाया जा सकता है। अगर किसी का बाप पटवारी है और बेटा एम.ए.पी.एच.डी. है। या एम.बी.बी.एस. हो तो बेटे को पटवारी थोड़े ही लगा देंगे? उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उसको नौकरी दी जाती है। (विघ्न)

**Desilting of Bhakra Canal**

***571. Shrimati Chandravati**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the year in which the desilting of Bhakra Canal was done previously togetherwith the amount spent thereon?

**Irrigation Minister** (Chaudhri Jagdish Nehra): Bhakra Canal System was closed for 15 days in April, 1992 for undertaking emergent repairs of vulnerable reaches to restore the carrying capacity of the channels of the system which run continously throughout the year.

Total expenditure of Rs. 189.71 lacs was incurred on restoring the system.

**श्रीमती चन्द्रावती**: स्पीकर साहब, क्या यह तथ्य है कि साईफन के पास बहुत मिट्टी भरी हुई है जिसकी वजह से 2 हजार क्यूसिक पानी कम आता है?

**चौ. जगदीश नेहरा**: पानी इतना कम तो नहीं है। स्पीकर साहब, यह बात सही है कि इसकी कैपेसिटी कम हो गई थी, इसीलिए इसे रिपेयर किया गया था। जहां पर भाखड़ा और नरवाला की मेन लाईन है, उसके साथ साथ वीडज वगैरा हो गये थे जिसकी सफाई करवाई गई। (विघ्न) जहां–जहां साइफन ठीक हो गये हैं, वहां की स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहूंगा कि नंगल हाईडल प्रोजैक्ट की कैपेसिटी 11500 क्यूसिक फीट थी जो सफाई करवाने के बाद 12500 क्यूसिक हो गई। इसी तरह से भाखड़ा की कैपेसिटी 2700 क्यूसिक थी जो बढ़कर 3000 क्यूसिक हो गई है। फतेहाबाद की साढ़े सौलह सौ थी जो 1800 क्यूसिक हो गई है। बरवाला की 1000 क्यूसिक थी जो बढ़ कर 1150 क्यूसिक हो गई, बाल समन्द ब्रान्च की 450 क्यूसिक थी जो अब 550 क्यूसिक हो गई है, नरवाना ब्रान्च की 3300 क्यूसिक से 3450 क्यूसिक हुई है। यह सब खासतौर पर इस वजह से हुआ कि इसके लिए बी.एम.बी. को कहा गया था कि भाखड़ा कैनाल को बन्द यिका जाए ताकि रिपेयर की जा सके। 10 साल के बाद इसकी रिपेयर की गई जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ी है।

**श्रीमती चन्द्रावती**: स्पीकर साहब, मैं इस बात को चैलेंज करके कहती हूं कि भाखड़ा ब्रान्च की सफाई ठीक से नहीं हुई। नरवाना के पास जो साईफन है, वह आज भी मिट्टी और गारे से अटा पड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर 2000 क्यूसिक फीट पानी कम चल रहा है। जो सफाई की गई है, वह पूरी तरह से नहीं की गई है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं कि डी–सिल्टिंग का पैसा खाया गया है। स्पीकर साहब, ईमानदार आफिसरों की और हाउस के मैम्बरों की एक कमेटी बना दी जाए जो मौके पर जाकर देंखे ताकि सारी असलियत सामने आ जाए।

**चौ. जगदीश नेहरा**: स्पीकर साहब, भाखड़ा में तो सिल्ट मुश्किल से 5 प्रतिशत ही आता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सिल्ट की बात की जा रही है। भाखड़ा कैनाल में जो सिल्ट आता है, वह बारिश के दिनों में केलव पांच परसैन्ट आता है, जो वहां पर डैम होने की वजह से जमा हो जाता है। जमुना में तो 25–40 परसैन्ट तक आता है। जहां तक नरववाना ब्रांच का ताल्लुक है, नरवाला ब्रांच की कैपेसिटी ही 3400 क्यूसिक फीट है। बहन जी का कहना है कि दो हजार क्यूसिक फीट पानी कम आता है। इनका तो मतलब यह हुआ कि उसकी कैपेसिटी 1400 क्यूसिक फीट रह गई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। नरवाना ब्रांच चूंकि पंजाब से गुजर कर आती है और पिछली दफा बाढ़ आने से 33 जगह से कट गई थी। पटियाला का बारिश का सारा पानी इसमें डाल दिया गया जिसके कारण सारा कूडाकरकट और कचरा

वहां आया यह जो मेन चैनल की बात है, इसमें से कूडा निकाल दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: क्या डी–सीलि्टंग की सारी पेमैंट कन्ट्रैक्टर्ज को दे दी है?

**चौ. जगदीश नेहरा**: सर, कुछ बाकी है।

**श्री अध्यक्ष**: यह कब तक दे दी जाएगी?

**चौ. जगदीश नेहरा**: इस साल के अन्त तक, ज्यों–ज्यों पैसा आएगा, वह पेमैंट कर दी जाएगी।

**श्रीमती चन्द्रावती**: स्पीकर साहब, मैं यह कह रही थी कि वहां पर कुछ ईमानदार अफसरों को भेजा जाए और वे मौका देखें। मुझे पूरा यकीन है असलीयत सामने आ जायेगी। पैसा खाया है। तभी मैं चैलेंज कर रही हूं।

**खेल राज्य मंत्री**: (श्री राजेश शर्मा): आन–ए–प्वाईट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, इनका कुछ ''ईमानदार अफसर'' कहने का यह मतलब हुआ कि बाकि सारे गैर–जिम्मेवार हैं। यह बहुत ही गलत बात है, जिसमें आप भी तो शामिल हैं।

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भाखड़ा नहर में रेता आता है या जो भाखड़ा नहर से दूसरी नहरें लगती हैं, उनमें भी जो रेात आता है, क्या

वह रेता लोग अपनी मर्जी से निकालते हैं या ठेका दिया जाता है? इस बारे में मुझे मंत्री जी बता दें।

**चौ. जगदीश नेहरा**: सर, जहां रेता ज्यादा होता है वहां पर हम ठेका देते हैं।

**श्री अमीर चन्द मक्कड़**: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो ये ठेका ठेकेदारों को देते हैं, अगर वह काम नहरों के साथ लगते गांव वालों को दे दें तो यह काम जल्दी हो जाएगा और उनको पैसा भी मिल जाएगा। क्या सरकार इस बारे में गोर करेगी?

**चौ. जगदीश नेहरा**: अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदार ए, बी, और सी क्लास के गवर्नमैंट द्वारा एप्रूव किए जाते हैं, ठेका उन्हीं को दिया जाता है या कोआप्रेटिव वालों को दिया जाता है, इन्डिविजुवल को नहीं दिया जाता।

**RECRUITMENT OF D.S.P.**

**604. Shri Pir Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any direct recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police have been made during the period from June, 1991, to date; if so, the number of persons belonging to Sechduled Castes amongst them; and

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether all the recruited persons have been assigned their duties; if not the reasons thereof?

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल): (अ) माह जून 1991 से अब तक उप पुलिस अधीक्षकों के पद पर दो उप पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के सिवाए कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है जिनमें से कोई भी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं हैं।

(ब) भर्ती किये गये उप–पुलिस अधीक्षक अभी प्रशिक्षण अधीन हैं।

**श्री पीर चन्द**: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी बताएगें कि ये जो दो डी.एस.पी. भर्ती किए गए है, क्या इनकी भर्ती के लिए इडवर्टाईजमैंट निकाली गई थी, अगर निकाली गई थी तो कितनी पोस्टों के लिए निकाली गई थी, और क्या उसमें हरिजनों से भी एप्लीकेशन्ज मांगी गई थी, अगर मांगी थी तो कितने हरिजनों की एप्लीकेशंज आई थी?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, ये डाईरेक्ट भर्ती से नहीं लिये गये हैं बल्कि दोनों ही कोर्ट के आदेश के लिये गये हैं। मैं माननीय सदस्यो के ध्यान में यह लाना चाहता हूं जैसा कि आप भी जानते हैं कि 80 परसैंट डी.एस.पी. प्रमोशन से आये हैं और 20 परसैंट डाईरेक्ट लिये जाते हैं। टोटल 95 पोस्टें हैं। इन 95 पोस्टों में से 20 परसैंट के हिसाब से 19 होने चाहिए ओर ये 19 ही डाइरेक्ट कोटे से भरे गये हैं। इन 19 में से हरिजन जो

लिये गये हैं, वे चार लिये गये हैं। अगर आप कहें तो मैं इनके नाम बता सकता हूं।

**श्री पीर चन्द**: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो कैंडीडेटस प्रमोशन से लिये गये हैं, उनमें से कितने हरिजनों को लिया गया है?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, क्लास 1 और क्लास 2 में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, केवल क्लास 3 और क्लास 4 में ही है। इसलिए इसके हिसाब से इनमें हरिजनों को नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो डाईरेक्ट भर्ती की है, उसमें हमने 19 में से चार कैंडीडेट हरिजन लिए हैं।

**साथी लहरी सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि टोटल डी.एस.पीज. की कितनी पोस्टें हैं और इसमें से टोटल हरिजन कितने हैं? साथ ही ये जिन चार डी.एस.पीज. के नाम ले रहे हैं, क्या ये डाईरेक्ट भर्ती किये गये हैं या प्रमोटिड हैं?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी बताया है कि परमानेंट टोटल 95 पोस्टें हैं। 95 पोस्टों में जो हरिजन लिये हैं वे 16 हैं। चार के बारे में मैने अभी बताया है और 12 इनके अलावा है। इनमें से जो डाईरेक्ट लिये हैं, उनका कोटा भी पूरा किया गया है। अगर आप कहें तो मैं नाम बता सकता हूं। ये हैं प्रताप सिंह रंगा, सतपाल, जगदीश और हेमन्त।

**श्री रमेश कुमार**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हरिजन कोटे में भर्ती की गयी है, वे कितने हैं और किन जातियों के व्यक्ति लिये गये है?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, यह मुल्क जात–पाल के आधार पर चलने वाला नहीं है इसलिए जात–पात की बात हमको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जो भी हमने भर्ती की है, उन सभी के नाम पते ओर जाति मेरे पास हैं। स्पीकर साहब, अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं। राजवीर सिंह देसवाल, जाट जाति का है जो 1983 में लिया गया।

**श्री रमेश कुमार**: अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल हरिजनों की जातियों के बारे में पूछ रहा हूं। जो हरिजनों की भर्ती आपने की है, उसमें किन–किन जाति के व्यक्ति लिये गये हैं?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, चमार और बाल्मीकि की बात आज चलने वाली नहीं है। यह तो वही बात हो गई कि ''कौन ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, गौंड बाह्मण, गौड़ में भी कोई जोड़ है के'' हरिजनों का सवला है, उसमें कोई चमार हो, धानक हो या बाल्मीकि हो, कोई भी हो, हैं तो हरिजन और हरिजन सारे एक हैं। अगर हरिजन भी अपने को एक नहीं मांनेंगे, एक जगह नहीं बैठ सकेंगे तो कैसे देश चलेगा? इसलिए जरूरी है कि हम सबको साथ लेकर चलें। बाल्मीकियों में जो कमी है, वह एजुकेशन की कमी है, शिक्षा अच्छी हो तो वे लोग भी आगे बढ़ेंगे। आप

लोगों को चाहिए शिक्षा की तरफ उनका ध्यान दिलाएं। हरिजन, बाल्मीकि, धानक भाई पढ़ें ताकि दूसरों के बराबर आ सकें। (शोर)

**श्री राजेन्द्र सिंह बिसला**: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में ए.एस.आई. के पद हैं। दूसरे प्रदेशों में ए.एस.आई. की भर्ती 50 परसैंट डायरैक्ट और बाकी 50 परसैंट उन्हीं में से बाई प्रमोशन होती है हमारे यहां भी ऐसा ही है। ए.एस.आई. के पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं हो रही हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आश्वासन देंगे कि इन पदों पर कब तक भर्ती हो जाएगी?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, जितनी भी ए.एस.आई की पोस्टें खाली थीं, उनके लिए बाकायदा एडवरटाइजमैंट दिया जा चुका है, उनकी लिखित परीक्षा होने जा रही है पर मेरे ख्याल में इनके लिए कोर्ट से स्टे आ गया था लेकिन मेरे पास स्टे की नकल नहीं है। अगर स्टे आ गया हो तो अलग बात है, नहीं तो बहुत जल्द फैसला करके इन पदो पर भर्ती कर दी जाएगी।

**साथी लहरी सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी नामों की जो लिस्ट पढ़कर सुना रहे थे, वह सारी लिस्ट पढ़कर सुनाई जाए।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं लिस्ट पढ़कर सुना देता हूं जैसा मैंने कहा:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजवीर देसवाल | जाट | 5.10.83 |
| 2 | श्री धनवीर शर्मा | ब्राह्मण | '' |

**श्री धीर पाल सिंह**: पूरी लिस्ट पढ़ने में काफी समय लगेगा व हाउस का समय जाया होगा, इसलिए पूरी लिस्ट पढ़कर न सुनाइए।

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा है कि श्री रमेश कुमार ने यह बात शुरू की है। उनके ही लोग लिस्ट पढ़ने से मना कर रहे हैं, इसलिए आप रहने दीजिए। Next question please.

**Smt. Sarbati Devi Girls Primary Schools at Villages Sisar**

***578. Shri Ram Bhajan Aggarwal**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to take over Smt. Sarbati Devi Girls Primary School, Sisar, Tehsil Hansi, District Hisar?

**Education Minister (Shri Phool Chand Mulana)**: Govt. has received an offer from Sh. Ram Bhajan Aggarwal that he wants to donate his building which is presently occupied by Govt. Girls Primary School, Sisar to Govt. provided the name of Sm.t Sarbati Devi is attached to the name of the school. The policy regarding taking over of existing buildings for schools from private persons with the condition of attaching the name suggested by the donor with

the school is under consideration of the Govt. and a decision is expected to be taken in this regard inthe near future.

**श्री राम भजन अग्रवाल**: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदया, हल्के के विधायक श्री अमीर चन्द मक्कड़ के साथ उस स्कूल को विजिट करने के लिये गयी थी। तब उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि इस सैशन से यह चालू हो जायेगा। मैं इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि तमाम फारमेलिटीज पूरी करने के लिये इतना डिले क्यों हैं, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा?

**श्री फूल चन्द मुलाना**: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल तो चालू कर दिया गया है। स्टाफ भेज दिया गया है, गवर्नमैंट ने टीचर्ज भेज दिये हैं, केवल नाम जोड़ने की बात रह रही है। नाम जोड़ने के लिये कुछ शर्तें पूरी करना परम आवश्यक है। उन शर्तों को पूरा करने के लिये कागज हमारे पास आये हुए हैं। उसके लिये एग्रीमैंट डीड बनाना होता है जो अभी नहीं बन पाया है। मेरा कहना यह है कि ज्यों ही सारी शर्तें पूरी हो जायेंगी, नाम भी जोड़ दिया जायेगा, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं।

***580. Sh. Karan Singh Dalal**: Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise details of death, if any, occurred in the police custody during the period from 1991 to June, 1993 in the State?

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल): वर्श 1991 से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में पुलिस हिरासत में मृत्यु के 7 मामले सूचित हुए। इन मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

| जिला | 1991 | 1992 | 1993 (30.6.93 तक) |
|---|---|---|---|
| कैथल | 1 | 1 | |
| कुरूक्षेत्र | | | 1 |
| सोनीपत | | | 1 |
| हिसार | | 1 | |
| यमुना नगर | | 1 | |
| जोड़ | 2 | 3 | 2 |

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया कि वर्श 1991, 1992 तथा 1993 में कुल 7 मौतें पुलिस हिरासत में हुई हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि ये जो 7 आदमी मरे हैं, उनके खिलाफ कौन–कौन सी धाराएं लगी हुई थीं,

यानी इनके खिलाफ कौन–कौन सी धारा के तहत मुकदमें दर्ज थे, कितने दिनों तक ये पुलिस कस्टडी में रहे तथा कितने दिनों तक जुडीशियल कस्टडी में रहे? एक बात और, वह यह कि यह मौतें हुई तो क्यों हुई? जिस अधिकारी की वजह से यह मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है जिसकी वजह से इन निर्दोश लोगों की जानें गयी हैं?

**चौ. भजन लाल**: स्पीकर साहब, यह जुडीशियल कस्टडी का सवाल नहीं हैं, यह तो पुलिस कस्टडी का सवाल हैं। जैसे मैंने बताया है कि पुलिस कस्टडी में 7 आदमी मरे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सात में से दो आदमियों ने खुदकशी की है, तीन हार्ट अटक की वजह से मर गये और दो मौत के लिये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किये गये हैं। इन केसिज में पुलिस अधिकारियों का कसूर पाया गया और आपको पता ही है कि ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। एक केस मैं जाखल का सब इन्सपैक्टर जिसके खिलाफ 13.8.1992 को केस दर्ज करके गिरफतार किया गया, यह अभी भी जेल में है। दूसरे केस में, कुरूक्षेत्र के अन्दर, 16.4.1991 को, एक ए.एस.आई. श्री पाले राम तथा तीन सिपाही शामिल हैं, वह हाई कोर्ट से बेल पर हैं। हाई कोर्ट के आदेश से सैंशन जज द्वारा जांच की जा रही है। इनको केस अभी कोर्ट में नहीं गया है, अभी जांच की जा रही है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इसमें जुडीशियल कस्टडी का

सवाल नहीं है, जुडीशियल कस्टडी अलग होती है। जिस मुलजिम को अदालत में पेश करते हैं, अगर अदालत उसे जुडीशियल रिमांड पर भेज देती है तो उसे जुडीशियत कस्टडी कहते हैं। आपने यह नहीं बताया कि जो आदमी मरे हैं, उनके खिलाफ कौन सी धारा के तहत मुकदमें दर्ज थे? क्या आपने इस बात की जांच पड़ताल की कि जो आदमी हर्ट अटैक से मरे हैं, उनको तकलीफ क्या थी और इस बारे में क्या कोई मैडीकल इन्वैस्टीगेशन किया गया है?

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हरेक केस के बारे में पूरी डिटेल्ज हैं। अगर में सारी डिटेल बताने लगूंगा तो इसी केस में आधा घंटा लग जायेगा। जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, वह धारा 302 मे तहत किया है। आपके साथी वकील बैठे है, उनसे पूछ लेना जुडीशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क होता है? जुडीशियल कस्टडी उसको कहते हैं जब पुलिस रिमांड के बाद किसी मुलजिम को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस कस्टडी वह है जब पुलिस को हवालात में पूछताल के लिए रहता है।

**Water works of Village Rehra-Majra**

***576. Sh. Ram Kumar Katwal**: Will the Minister for Public Health be pleased to state –

(a) Whether it is a fact that the water works of village Rehra Majra in District Kaithal has not been functioning for the last two years; and

(b) if so, the time by which it is likely to start functioning?

**जन स्वास्थ्य मंत्री** (श्री राम पाल सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) योजना पहले से ही चल रही है। आगामी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री राम कुमार कटवाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर वाटर वर्क्स स्कीम चालू है तो ये पिछले दो साल का बिजली का बिल दिखा दें या एक साल में पांच मटके पानी के भरे हुए दिखा दे? स्पीकर साहब, यह सारी कार्यवाही तो केवल कागजी है।

**श्री राम पाल सिंह कंवर**: स्पीकर साहब, वर्श 1986 से यह स्कीम चालू है। अगस्त तथा सितम्बर, 1992 में पानी की दिक्कत अवश्य आई थी और इसका कारण यह था कि बराबर के किसानों ने इनलैट चैनल काट दी थी। उसका पर्चा दज्र करवा दिया गया था उसके बाद पानी चालू है। अगर कोई कमी है तो माननीय सदस्य बता दें? हम पूरा पानी दे रहे हैं। इसमें एक बात जरूरी है कि इस स्कीम में 41 गांव है और 41 के 41 गांवों को

पानी दिया जा रहा है। लेकिन पानी की मात्रा कुछ कम है? कमी को पूरा करने के लिए काम चालू है। ओवरहैड रिजरवायर और स्टोरेज टैंक का काम तेजी ले चल रहा है और इस साल में पूरा कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्य तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल ही नहीं है।

**श्री राम पाल सिंह कंवरः** अध्यक्ष महोदय, उस गांव के लोग गैलरी में बैठे हुए सुन रहे हैं। उस गांव में वाटर सप्लाई स्कीम बिल्कुल चालू नहीं है। टैंक में पानी आता है और वहां से लुगाइयां पानी भरकर लाती हैं लेकिन टूटियों में एक बूंद भी पानी नहीं आता।

**श्री अध्यक्षः** आप यह तो मानते हैं कि पानी ठीक आ रहा है।

**श्री राम कुमार कटवालः** स्पीकर साहब, टैंक से भरकर पानी औरतें लाती हैं। टयूबवैल नहीं चलता।

**श्री अध्यक्षः** कंवर राम पाल सिंह जी, आप इस मामले की इंक्वायरी करवा लें।

**श्री राम पाल सिंह कंवरः** मेरी इंफरमेशन के हिसाब से तो पानी चल रहा है।

**श्री राम कुमार कटवाल**: स्पीकर साहब, सारा काम कागजों पर ही चल रहा है।

**Construction of Footpaths**

***610. Sh. Dharmpal Singh**: Will the Minister of State for Local Government, be pleased to state whether there is any proposal under Plar and Octroi Post on both sides of Delhi-Mahendergarh road. Charkhi Dadri, if so, the time by which the said foot paths are likely to be constructed?

**स्थानीय शासन राज्य मंत्री** (चौ. धर्मवीर गाबा): नहीं श्री मान् जी, कोई भी ऐसी योजना सरकार अथवा नगरपालिका चरखी दादरी के विचाराधनी नहीं है।

**श्री धर्मपाल सिंह**: स्पीकर साहब, पिछले दिनों पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब, एक कालेज समारोह के सिलसिले में वहां गए थे और उन्होंने वहां पर फुट पाथ्स बनाने की बात की थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने आपके पास भेजा है?

**चौ. धर्मबीर गांबा**: स्पीकर साहब, हमारे पास इस तरह की कोई डिमाण्ड पब्लिक की तरफ से नहीं आई। यह पी.डब्ल्यू.डी. की रोड है और यह सच है कि बीच में चालीस फुट का कच्चा एरिया है। अभी तक हमारे पास फुट पाथ्स बनाने की कोई प्रोपोजल नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि फुट पाथ्स बनाने

पर आठ लाख का खर्चा आएगा जिसकी पेमैंन्ट म्युनिसिपल कमेटी नहीं कर सकती।

**Repair of Roads of Radaur City**

***631. Sathi Lehri Singh**: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the demaged roads, if any, in Radaur City, if so, the time by which the said roads are likely to be repaired?

**Minister of State for Local Government** (Ch. Dharambir Gauba): Yes Sir. The damaged roads are likely to be repaired in the next few months.

**साथी लहरी सिंह**: स्पीकर साहब, रादौर सिटी की जो सड़कें मुरम्मत के लिये थी, उनकी रिपेयर पिछली बर 31.3.1992 को होनी थी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अब तक मुरम्मत का कार्य क्यों नहीं हो पाया? क्या इसके लिए सरकार कोई डेट निश्चित करेगी?

**चौ. धर्मबीर गाबा**: स्पीकर साहब, दो रीडज रादौर सिटी में हैं जो रिपेयर के योग्य हैं, जिसके बारे चौ. लहरी सिंह जी कह रहे हैं जो नई अनाज मण्डी हैं, उससे लेकर पावर हाउस से होते हुए मुकन्दलाल नैशनल कालेज तक, और पुलिस स्टेशन तक, ये सड़कें हैं। इनकी मुरम्मत का प्रोवीजन ऐग्रीकल्चर बोर्ड ने कर दिया है और हमें चिट्ठी भी लिखी है कि उन्होंने इसके लिये चार

लाख रूपये का प्रोवीजन कर दिया है। वे इन रोडज को बनाने जा रहे हैं और इसी फाइनैन्शियल ईयर में यह काम हो जाएगा।

दूसरी रोडज, जिनके बारे में ये कह रहे हैं, इसकी कारपैटिंग होनी है। यह शिव मन्दिर के साथ वाली रोड है। इसके लिये कमेटी के पास, बजट पास होने के बाद जो पैसा आया है, उसमें से इसके लिये एक लाख का प्रोवीजन उस रोड की रिपेयर के लिये रखा गया है लेकिन इस पर खर्चा लगभग 2 लाख 30 हजार आएगा। हमने कहा कि बजाये आधी बनाने के, पूरी रोड रिपेयर कर ली जाए, बाकी पैसा जो है वह हम नेहरू रोजगार योजना से प्रोवाईड करेंगे ताकि इस रोड को मुकम्मल कर दिया जाए।

**साथी लहरी सिंह**: दूसरी रोड कब तक तैयार हो जाएगी।

**चौ. धर्मबीर गाबा**: इसी साल इसके लिये एक लाख रूपये का प्रोवीजन तो कमेटी ने कर रखा है।

**Mr. Speaker**: Hon'ble Members Questions Hour is over.

## नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

**Construction of a Bus Stand at Kalayat**

***641. Sh. Bharath Singh**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consisderation of the Government to construct a Bus Stand at Kalayat; if so, the time by which it is likely to be constructed?

**परिवहन राज्यस मंत्री** (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां, इस उदेश्य के लिए भूमि अभिग्रहण की जा रही है। धन की उपलब्धि पर बस अड्डे के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

**Flood Affected Area in the State**

***623. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the total area of Agricultural land effected by the flood during the month of July, 1993 together with the extent of damage in terms of rupees caused to the crops in the State;

(b) the number of persons and animals died alongwith the details of houses collapsed due to floods during the above siad period in the State; and

(c) whether any compensation to the affected person has given if so, the details thereof?

**Revenue Minister** (Sh. Nirmal Singh):

(a) 1.26 lac hectares cropped area (damage more than 25%) was damaged by flood during the month of July, 1993. The estimated loss of crops is about Rs. 146.00 crore.

(b) 41400 houses were damaged, 50 human lives lost and 596 cattle head perished because of floods.

(c) Statement showing the rates of compensation and the amount of compensation placed at the disposal of Deputy Commissioners is as per annexure A & B.

**ANNEXURE 'A'**

**Statement showing the rates of compensation for damaged by Floods/Heavy Rains**

| Sr. No. | | Purpose | Rates of compensation |
|---|---|---|---|
| 1 | | Deaths due to drowing in flood water or due to house collapse on account of heavy rains. | 50000 |
| 2 | **House repair grant** | | |
| | (i) | for Kachha house damaged | 1200 |
| | (ii) | for puvds house damaged | 2000 |
| 3 | **Compensation for loss of Cattle** | | |
| | (i) | He camel/she camel, horse/mare, bullok, buffalo and cow. | 3000 |
| | (ii) | he donkey/she donkey | 450 |
| | (iii) | Mule | 1200 |
| | (iv) | He buffalo (More then three years | 2100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | of ago) and | |
| | (v) | he calf/she calf (Less then three years of age) and goat/sheep. | 300 |
| 4 | Agriculture Input Subsity | | @ Rs. 400 per hectre. |
| 5 | Subsidy for repair of Tubewells. | | @ Rs. 3000 per tubewell. |

**ANNEXURE 'B'**

**Statement showing the details of Funds sanctioned to Deputy Commissioners for payment of Compensation/Gratuitous relief to affected persons**

| Sr. No. | District | Grant for House Repair | Compensation for Cattle deaths | Ex-gratia for Human deaths (From CM's Relief Fund) | Subsidy for repair of Tubewells (Rs. in lacs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaithal | 71.00 | 3.00 | 4.00 | 461.34 |
| 2 | Jind | 39.01 | 6.00 | 6.50 | 57.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sirsa | 108.00 | 1.50 | 0.50 | 38.73 |
| 4 | Hisar | 301.00 | 0.50 | 3.50 | 228.90 |
| 5 | Karnal | 28.00 | 1.00 | 1.00 | 98.22 |
| 6 | Ambala | 1.00 | | 0.50 | 1.50 |
| 7 | Kurukshetra | 33.00 | 0.75 | 3.00 | 31.41 |
| 8 | Yamunanagar | 1.00 | | | |
| 9 | Sonipat | 1.00 | | | |
| 10 | Panipat | 11.00 | 0.20 | 1.50 | 2.01 |
| 11 | Rohtak | 2.00 | | | |
| 12 | Faridabad | 1.00 | | | |
| 13 | Bhiwani | 31.00 | | 1.50 | 0.90 |
| 14 | Mahendergarh | 66.80 | 1.00 | | 8.34 |
| 15 | Rewari | 4.00 | 0.50 | | 1.59 |
| 16 | Gurgaon | 1.00 | | | |
| | | 699.81 | 14.45 | 22.00 | 930.93 |

**Completion of Roads**

**103. Sh. Mani Ram Rupawas**: Will the Minister for P.W.D. (B &R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration on the Govt. to construct the following roads of Sirsa Distt. :-

1. from village Rupana to Ludesar; and

2. from village Jogiwala to Rajasthan boundary; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed?

**लोक निर्माण** (भवन तथा सड़कें) मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी):

(क) 1. गांव रूपाना से लुदेसर तक सड़क बनाने का एक प्रस्ताव था तथा परन्तु सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार इसकी स्वीकृति (ख) रद्द कर दी गई थी।

2. जी हां, जोगीवाला से राजस्थान सीमा तक सड़क निर्माणाधीन है और धन की उपलब्धि के अनुसार वित्त वर्श में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

**Completion of Roads**

**104. Sh. Mani Ram Rupawas**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads by the Market Committee, Sirsa:-

(1) from village Shakar Mandori to Chaharwala;

(2) from village Nehrankhera to Pilimadori;

(b) if so, the time by which these roads are likely to be completed?

**Agriculture Minister** (Sh. Harpal Singh):

(a) & (b) (1) Link road from village Shakar Mandori to Chaharwala has been completed.

(2) There is no such proposal from the time being.

**Construction of Road**

**118. Sh. Mani Ram Rupawas**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads:-

(i) from village Daruba alias Rupana Khurd and from Nitwan to Bakriawali, Modiakhera,

(ii) from village Shahpuria to Makhoshorani,

(iii) from villages Ali Mohammad to Chadiwal,

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be constructed?

**लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री**: चौ. आनन्द सिंह डांगी):

(क) (i) गांव दडुवा उर्फ रूपाना खुर्द तथा निरवान से बकरियावाली–मोडिया–खेड़ा सड़क पहले ही स्वीकृत हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

(ii) गांव शाह पुरिया में माखोशोरानी तक सड़क हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा पूरी की जा चुकी है।

(iii) गांव अली मोहम्मद से चाडीवाल तक सड़क हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा पूरी की जा चुकी है।

(ख) धन की उपलब्धि की अनिश्चितता के कारण कोई समय दिया नहीं जा सकता।

**Repair of Roads**

**119. Sh. Mani Ram Rupawas**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Sirsa-Nathusari-Chaupta Jarnaili road near Begu and from Erniawali to Nirban to Rupawas?

**लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी)**: जी हां, बेगू के नजदीक सिरसा–नाथूसरी–चौपटा–जरनैली सड़क की मुरम्मत का प्रस्ताव है।

इरनियावाली से निरवान से रूपावास सड़क का निर्माण हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया है और उन्हीं द्वारा इसकी मुरम्मत की जा रही है।

**Criminal Cases**

**123. Sh. Karan Singh Dalal**: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of criminal cases registered in District Faridabad during the period from 1991 todate; and

(b) the number of cases out of those as referred to part (a) above declared untraced?

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल):

| वर्श | (क) | (ख) |
|---|---|---|
| 1991 | 5567 | 352 |
| 1992 | 6470 | 853 |
| 1993 | 4174 | 85 |
| (26.8.93 तक) | | |

**Abolition of Road Tax on Trucks**

**131. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister of State from Transport be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to abolish road tax on Trucks in the State;

(b) if so, the time by which it is likely to be abolished; and

(c) the amount of Annual loss to be suffered by the State Govt. therefrom?

**परिवहन राज्य मंत्री** (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) तथा (ख) भारत सरकार तथा परिवहन विकास परिशद की सिफारिश पर दिनांक 1.9.1993 से पथकर वापिस लैने का निर्णय लिया गया है।

(ग) नैशनल परमिटों पर बढ़ी हुई कमपोजिट फीस को ध्यान में रखने उपरांत पथकर वापिस लेने से लगभग 17 करोड़ रूपये की हानि होगी।

**Amount Spent on Drainage**

**132. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total amount spent on drainage works for flood control from April 1st, 1993 to July 1st, 1992?

**Irrigation Minister** (Ch. Jagdish Nehra): Rupees 252.24 lacs were spent on construction of flood control and drainage works and Rs. 99.67 lacs on repairs and restoration of works.

**Loan Given by H.S.I.D.C.**

**133. Prof. Sampat Singh**: Will the Minister for Industries be pleased to state the names of the industrial units to whom the loan has been given by the Haryana State Industrial Development Corporation drung the years 1991-92. 1992-93 and 1993-94 todate?

**Industrial Minister** (Sh. Lachhman Cass Arora): The names of the industrial units to whom the loan has been given by Haryana State Industrial Development Corporation during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 (upto 30.8.1993) are given in Annexure-I.

**Annexure-I**

Details of term loans sanctioned by Haryana State Industrial Development Corporation in 1991-92, 1992-93 & 1993-94 (till date) are as under

| | Name of the Company & Location | Amount of loan (Rs. in lacs) |
|---|---|---|
| 1991-92 | | |
| 1 | M/s Pasupati Technofab Ltd. Gurgaon. | 29.85 |
| 2 | Exexco Engg. Ltd. Phase-III, U.V., Gurgaon. | 85.50 |
| 3 | Suraj Malting (P) Ltd. Bawal, Rewari. | 150.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Aparna Print Pack (P) Ltd. Faridabad. | 97.00 |
| 5 | Parkash Strips (P) Ltd. Jagadhri. | 74.60 |
| 6 | Eicher Tractor Ltd. Faridabad. | 145.00 |
| 7 | Sunder Dass Setia Spinning Mills (P) Ltd, Sirsa. | 150.00 |
| 8 | Baker Oil Tools India Ltd. Gurgaon. | 62.30 |
| 9 | VCS Enterprises (P) Ltd. Vill. Nimka, Gurgaon. | 43.43 |
| 10 | Indo Asian Fuse gears Ltd. G.T. Road, Murthal. | 70.50 |
| 11 | Aravali Piples Ltd. Hisar. | 44.00 |
| 12 | Jai Laxmi Spng. Mills Ltd. Sirsa. | 150.00 |
| 13 | Gee Kay Textiles (P) Ltd. Hisar. | 87.00 |
| 14 | Golden Laminates (P) Ltd. Ambala (Panchkula). | 46.82 |
| 15 | Dhillon Kool Drinks & Beverages Pvt. Ltd. Panipat. | 150.00 |
| 16 | Kamla Syntx (P) Ltd. Faridabad. | 130.70 |
| 17 | ECE Inds (P) Ltd. Panipat. | 150.00 |
| 18 | Shaktiman Cement (P) Ltd. Yamuna Nagar. | 30.00 |
| 19 | K.C. Textile (P) Ltd. Jind. | 130.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | Zodiac Cement (P) Ltd. Rohtak. | 29.40 |
| 21 | Monchu Cement Co. Ltd. Gurgaon. | 46.69 |
| 22 | Sohna Cement (P) Ltd. Rohtak. | 39.83 |
| 23 | Q.H. Talbros (P) Ltd. Gurgaon. | 49.75 |
| 24 | Krishan Kanahiya Milk Foods (P) Ltd. Barara Block, Ambala. | 150.00 |
| 25 | Bakshi Engine (P) Ltd. Gurgaon. | 100.00 |
| 26 | Karnal Milk Food Ltd. Karnal. | 80.00 |
| 27 | Garuda Clay (P) Ltd. Rewari. | 44.65 |
| 28 | Rishab Cement Co. (P) Ltd. Gurgaon. | 30.00 |
| 29 | Nitika Cement (P) Ltd. Vill Jaspur Ambala. | 33.00 |
| 30 | Heynen India Ltd. Mahendergarh. | 60.00 |
| | | 2540.01 |
| 1992-93 | | |
| 1 | Maruti Syntex (I) Ltd. Bawal, Rewari. | 57.50 |
| 2 | Golden Laminates (P) Ltd. Panchkula, Ambala. | 60.00 |
| 3 | Dandhar Locking Devices (P) Ltd. Gurgaon. | 78.00 |
| 4 | Gaba Overseas (P) Ltd. Panipat. | 150.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Varadhman Vanaspati (P) Ltd. Panipat. | 55.50 |
| 6 | Shivalik Prints (P) Ltd. Panipat. | 40.50 |
| 7 | Barara Cement (P) Ltd. Faridabad. | 15.82 |
| 8 | Narain Jawellery International (P) Ltd. Gurgaon. | 56.00 |
| 9 | Mamta Cement Co. Pvt. Ltd. Y. Nagar. | 26.24 |
| 10 | Malt India Co. (P) Ltd. Gurgaon. | 24.00 |
| 11 | Aquapure Containers Ltd. Gurgaon. | 30.00 |
| 12 | Hisar Spinning Mills (P) Ltd. Hisar. | 124.50 |
| 13 | A.M. Oil & Fats Ltd. Vill. Alipur, Panchkula. | 150.00 |
| 14 | Bakha Agro Inds. Ltd. Sirsa. | 100.00 |
| 15 | Pasupati Spg. & Wg. Mills (P) Ltd. Rewari. | 129.50 |
| 16 | Aravali Pipes (P) Ltd. Hansi, Bhiwani. | 26.00 |
| 17 | Riken Instruments (P) Ltd. Panchkula. | 25.05 |
| 18 | Amtek Auto Ltd. Roz-ka-Meo, Gurgaon. | 88.00 |
| 19 | Cepham Organics Ltd. Kundli. | 48.00 |
| 20 | Jyoti Inds. (P) Ltd. Sonipat. | 49.90 |
| 21 | Classic Dials (P) Ltd. U.V, Gurgaon. | 43.19 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | Chaudhery Poly Coaters (P) Ltd, Bahadurgarh. | 150.00 |
| 23 | Chawla Enterprises (P) Ltd. Gurgaon. | 64.00 |
| 24 | PMG Hotels (P) Ltd. Gurgaon. | 89.00 |
| 25 | Ambala Cements (P) Ltd. Vill. Sohna, Ambala. | 20.00 |
| 26 | Jagdambe Papers (P) Ltd. Sirsa. | 39.00 |
| 27 | Golden Laminates (P) Ltd. Panchkula. | 6.40 |
| 28 | Haryana Nitrochem Ltd. Vill. Manka, Ambala. | 24.39 |
| 29 | Divine Spinners (P) Ltd. Panipat. | 150.00 |
| 30 | Indo Dutch Inds. (P) Ltd. Sonepat. | 139.00 |
| 31 | Raghbeer Machinery (P) Ltd. Gurgaon. | 150.00 |
| 32 | Advance Cement Co. (P) Ltd. Y. Nagar. | 20.00 |
| 33 | Baba Rupa Dass Spng. Mills (P) Ltd. Rewari. | 150.00 |
| 34 | Mangla Refinary (P) Ltd. Gurgaon. | 27.80 |
| 35 | Arti Solvex (P) Ltd. Vill. Jakhoda, Rohtak. | 62.00 |
| 36 | Moudgil Fibres (P) Ltd. Rohtak. | 145.00 |
| 37 | Jyoti Vanaspati & Allied Inds. Ltd. Sonepat. | 86.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | Pawan Agro Food (P) Ltd. Kalka, Ambala. | 40.00 |
| 39 | XO Stampings (P) Ltd. Gurgaon. | 79.00 |
| 40 | Parde Chem (P) Ltd. Panchkula. | 94.00 |
| 41 | Gold Laminates (I) (P) Ltd. Y. Nagar. | 74.50 |
| 42 | Prasha Electronics (P) Ltd. Gurgaon. | 82.94 |
| | | 3070.73 |
| 1993-94 | | |
| 1 | Phocnix Pharmaceuticals (P) Ltd. Roz-ka-Meo Gurgaon. | 100.00 |
| 2 | Denson Poly Products (P) Ltd. Gurgaon. | 150.00 |
| 3 | Enexeo Engg. Co. (P) Ltd. Gurgaon. | 125.00 |
| 4 | Aquapure Containers Ltd. Roz-ka.Me Gurgaon. | 129.40 |
| 5 | Polo Hotel Ltd. Panchkula. | 120.00 |
| 6 | Hisar Spg. Mills Ltd. Hisar. | 23.36 |
| 7 | Haryana Organics Ltd. (a unit of M/s Globus Agronics Ltd.) Panipat. | 150.00 |
| 8 | Indo Asian Fuse gerars Ltd. Sonipat. | 66.00 |
| 9 | Pasupati Spgn., & Wvg. Mills (P) Ltd. Rewari. | 79.70 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | Golden Laminaters Ltd. Panchkula. | 18.84 |
| 11 | Bruno Sante International (P) Ltd. U.V. Gurgaon. | 80.00 |
| 12 | Swastik Agroils (P) Ltd. Vill. Balana Ambala. | 150.00 |
| 13 | S.R. Oil & Fates (P) Ltd. Vill Bahalgarh. Sonipat. | 90.00 |
| 14 | Welspun Poly Buttons (P) Ltd. Vill. Khandsa, Gurgaon. | 20.50 |
| | | 1302.80 |

**Amount Spent on Advertisements**

**134. Sh. Sampat Singh**: Will the Minister of State for Public Relations be pleased to state the newspaper-wise amount spent on Government Advertisements during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 to-date?

**Interim Reply**

"Subject:- **Reply to unstarred question No. 134 regarding amount spent on advertisement-estension of time.**

Respected Sir,

The Notice of Unstarred question No. 134 regarding amount spent on advertisements during the years 1991-92, 1992-93 and 1993-94 todate has been received only on 30th August, 1993. As the information is to be given newspaper-wise for the above years, it requires a lot of time to compile

the requisite information. It is, therefore, requested that a period of one mor eweek by way of extension of time may kindly be allowed for answering this question.

With regards,

Yours faithfully,

Sd/-

(Surinder Madan)

Minister of State for

Public Relations.

Sh. Ishwar Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha"

## नियम 64 के अधीन वक्तव्य –

## (i) परिवहन राज्य मंत्री द्वारा –

## ट्रकों आदि पर से पथकर समाप्त करने संबंधी

**श्री अध्यक्ष**: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार ट्रांसपोर्ट हाऊस में एक स्टेटमैन्ट देंगे।

**श्री बलबीर पाल शाह**: अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा

कि हरियाणा में लगने वाले पथकर को आज से समाप्त कर दिया गया है।

यह निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप किया गया है। परिवहन विकास परिशद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि नैशनल परमिट चालकों से ही ली जाने वाली कम्पोजिट फी 1500 रूपये प्रति वर्श से बढ़ाकर 5000 रूपये प्रति वर्श कर दी जाए। बढ़ी हुई फीस भी आज से लागू की गयी है।

इन निर्णयों के फलस्परूप हरियाणा सरकार को लगभग 17 करोड़ का घाटरा होगा। लेकिन राश्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए और ट्रक चालकों की हड़ताल से देश की इकोनमी को नुकसान न हो, हरियाणा सरकार इस घाटे को बर्दाश्त करेगी। अनस्टार्ड क्वैश्चन नम्बर 131 जो प्रोफेसर सम्पत सिंह का है, उसके उत्तर में भी हमने यह हाऊस के अन्दर सर्कुलेट किया हुआ है जो ट्रक हरियाणा के अन्दर रजिस्टर्ड हैं और हरियाणा के अन्दर चलते हैं, उन पर यह कम्पोजिट फीस नहीं लगेगी। इस तरह का निर्णय केवल नैशनल परमिट होल्डर्ज के लिये ही लिया गया है। धन्यवाद।

**(ii) मुख्यमंत्री द्वारा –**

## बड़े उद्योगों पर बिजली की कटौती करने तथा किसानों आदि को बिजली देने संबंधी

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक विशेश बता कहना चाहता हूं। अगर आप 24 घंटों को तीन जगह बांटेगे, तभी 8–8 घंटे बिजली मिलेगी। किसान दिन और रात को नहीं देखता। जब जनवरी और फरवरी के महीनों में सख्त सर्दी पड़ती है और किसान पानी में होता है तो नीचे उसका पता नहीं होता कि पांव है या नहीं। हमने चीफ इंजीनियर की डयूटी लगाई है कि वह मौके पर खेतों में रहेगा ताकि कहीं कोई नीचे का अधिकारी सिकी प्रकार की गड़बड़ न कर, यह फैसला हमने लिया है। जो हमने फैक्ट्रियां बन्द की हैं, उनसे लगभग 40 लाख यूनिट बिजली फालतू आएगी जो हम किसानों को देंगे। ईश्वर की कृपा से कल थोड़ी सी बरसात हिमाचल और यू.पी. में हुई है। उससे जो फ्रिक्वेंसी 48 के नीचे पहुंचने वाली थी, वह 49 तक आ गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसानों के हित के लिए हमने 164 यूनिट और बन्द कर दिए हैं ताकि किसानों को और बिजली मिल सके।

## पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी के अधीन कोआप्रेटिव फैड्रेशन्ज आदि को सम्मिलित करना तथा सब्जैक्ट कमेटीज का गठन करना

**चौ. वीरेन्द्र सिंह** (उचाना कलां): स्पीकर साहब, 1977 में जब हम विधान सभा में आए थे तो उस समय विधान सभा के

अन्दर पब्लिक अंडरटैकिग्ज कमेटी नहीं बनी थी, हालांकि उस समय हरियाणा को बने दस साल हो चुके थे और पहले तीन असैम्बलियों के चुनाव हो चुके थे। उस समय के चुनाव हो चुके थे। उस सयम के मुख्यमंत्री से हमने सवाल किया था कि जो पब्लिक अंडर टेकिंग्ज हैं उनको विधान सभा की क्लोज स्क्रूटनी और एम्बिट में लाने के लिए आप पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी का गठन करें। उस समय के मुख्यमंत्री चौ. देवी लाल ने उस बात पर अपनी सहमति दी और स्पीकर महोदय ने ऐलान किया कि यह सत्र खत्म होने के बाद पब्लिक अंडरटेकिग्ज कमेटी को कायम करेंगे। उसके बाद 1977 से आजतक इस कमेटी की बड़ी अहम भूमिका रही हैं। स्पीकर साहब, जिस तरीके से पब्लिक सैक्टर में बड़े बड़े उद्योग आए, स्टेट का पार्टिसिपेशन हुआ, जनता का पैसा लगा स्टेट के माध्यम से या बैंकों के माध्यम सें तो एक चैक उनके काम काज, उनके मैनेजिंग डायरैक्टर पर, चैयरमैन पर और बोर्ड पर रहा। लेकिन जो पब्लिक अंडरटेकिग्ज कमेटी का एम्बिट था जुरिसडिकशन थी, उसमें सिर्फ हरियाणा गवर्नमैंट के बोर्ड और कार्पोरेशन आती हैं, यानी उनको इसमें शामिल किया गया। पिछले 10—12 सालों से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव सेक्अर की जो भूमिका है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है। अकेली, अगर आप हैफैड को देखें तो उसकी टर्न औवर साड़े छः सौ करोड़ रूपए की है और हरियाणा कोआप्रेटिव बैंक की टर्न औवर सात सौ करोड़ से भी ज्यादा हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक नया ट्रैंड अब सामने आया है लिब्रलाइजेशन का या

उदारीकरण का। इसके साथ–साथ कोआप्रेटिव सैक्टर की जो भूमिका है, वह आने वाले समय में और अधिकर महत्वपूर्ण होगी और भविश्य में ज्वांयट सैक्अर में ज्यादा लाइसैंस आएंगे। स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है और मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि जो कोआप्रेटिव फैडरेशंज हैं, उनकी क्लोज स्क्रूटनी के लिए, पी.यू.सी. की जुरिसडिक्शन में लाने के बारे में कोई स्टेटमैंट दें। यदि कोआप्रेटिव फैडरेशंज को पी.यू.सी. की जुरिसडिक्शन में ला दिया जाता है तो हम पब्लिक के नुमायंदे हैं उनके काम काज पर निगाह रख सकते हैं, उनके खर्चे को चैक कर सकते हैं। यह भी चैक कर सकते है कि हरियाणा की जनता के करोड़ों रूपये का दुरूपयोग न हो।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। जितनी भी कोआप्रेटिव फैडरेशंज हैं, अगर वे पी.यू.सी. की जुरिसडिक्शन में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैं सरकार की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि जितनी भी कोआप्रेटिव फैडरेशंज हैं, वे सारी की सारी हमारे हाऊस की जो पी.यू.सी. बनी हुई है, उसकी जुरिसडिशन में आएंगी। (थम्पिंग)

**श्री सुमेर चन्द भट्ट** (अम्बाला): स्पीकर साहब, मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने फौरी तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया। यह सच है कि उन आरों में जो पैसा खर्च होता है, उसको बहुत गहराई के साथ चैक करने का, पब्लिक के नुमायंदों को बहुत कम मौका मिलता है।

स्पीकर साहब, 1977 में पी.यू.सी. को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। आज यह एक ऐतिहासिक कदम है कि ज्वायंट सैक्टर और कोआप्रेटिव सैक्टर में आने वाले अदारों को पी.यू.सी. की जुरिसडिक्शन में दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से एक अर्ज ओर कना चाहूंगा, अगर वे इसको उतनी ही गहराई से लें जितनी गहराई से अभी इन्होंने ऐलान किया है। आज सारे मुल्क में एक नया विचार चल रहा है कि गवर्नमैंट डिपार्टमैंटस जो पैसा खर्च करते है, उसको चैक करने की, पब्लिक के नुमायंदों को पूरी आजादी होनी चाहिए। लोक सभा में तो पहले ही सब्जैक्ट कमेटी सिस्टम लागू कर दिया गया है और बहुत सी स्टेटस में यह चीज लागू हो गई है। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि सब्जैक्ट कमेटी सिस्टम लागू करने के बारे मैं फौरी तौर पर फैसला हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। स्पीकर साहब, इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि आप विधान सभा के स्पीकर हैं ओर मुख्यमंत्रीजी का भी बहुत बड़ रोल है। दूसरी कई स्टेटस में सब्जैक्ट कमेओ सिस्टम कई सालों से लागू है हमारी स्टेट में भी सब्जैक्ट कमेटी सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ताकि हमारे विधान सभा के सदस्य यह देख सकें कि गवर्नमैंट डिपार्टमैंटस किस तरह से काम करते हैं। हमारे विधान सभा के सदस्यों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। आज जो भी व्यक्ति ज्यादा शोर करता है, उसको फौरन मिनिस्टर बना दिया जाता है लेकिन उसको मिनिस्अर का एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका ही नहीं मिलता

है। (विघ्न) ऐसा होने से उसको एक्सपीरियेंस हासिल करने का मौका मिलेगा और वे डिपार्टमैंट की फंक्शनिंग को और थोड़ा बहुत उसकी बैकग्राउंड को समझ सकेंगे। अब तो स्थिति यह है कि जो मिनिस्अर बन जाता है, वह डिपार्टमैंट का एक अंग बन जाने के सिवाय और कोई कण्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता। वह केवल डिपार्टमैंट का सुपर अंग बन जाता है और कुछ नहीं। विधान सभा के सदस्यों को सब्जैक्ट कमेटी सिस्टम एक री–औरिएंटेशन कोर्स के रूप में होगा और इसके माध्यम से बहुत कुछ मिलेगा। ये कमेटियां एक नया और महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी और विधान सभा सदस्यों को जो जिम्मेदारी जनता ने सौपी है, वे उसे पूरी तरह से निभाएंगे, यह मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब को बोलने का कभी कभी मौका मिलता है और इन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विधान सभा में पी.ए.सी. कमेटी बनी हुई है, उसमें बहुत से डिपार्टमैंटस आते हैं। इसके लिए इसको फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्हौंने कहा है, इसको चैक करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है या क्या मुनासिब होगा, और जो मुनासिब होगा उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे।

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: स्पीकर साहब, मैं इसमें एक दो बातें ओर जोड़ना चाहता हूं। यह सब्जेक्ट कमेटीज के बारे में जो विचार रखे गए हैं, मैं इस बारे में अपने सुझाव देना चाहता हूं।

स्पीकर सर, जब मैं पार्लियामैंट में था तो मैंने इसमें काफी काम किया है, इसलिए इस बारे में मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। सब्जैक्ट कमेटीज का जो कन्सैन्ट है, उसके बारे में भट्ट साहब ने बताया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं मुख्यमंत्री जी के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं यदि वे इससे सहमत हों तो इस पर विचार करें। इस वक्त जो हमारा प्रैजैट कमेटी सिस्टम है, जैसे हमारी पी.ए.सी., पी.यू.सी. और दूसरी कमेटियां हैं, उनमें से, 1–2 बड़े डिपार्टमैंटों की, तजुर्बे के तौर पर, 1–2 स्टैडिंग कमेटियां है, जैसे पी.ए.सी. या दूसरी कमेटीज हैं, उनसे इनकी वर्किंग कम्पेयर कर सकते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अगर इनके नतीजे वाकइ सरकार के लिए, हामरे विधायकों के लिए और जनता के लिए फायदे के निकलते हैं तो प्रैजैंट सिस्टम को बदला जा सकता है। इससे मुख्यमंत्री जी को और भी आसानी होगी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ, चौटाला साहब की पार्टी के ये भाई जो बुद्धिमान है, इनको भी मंत्रिमण्डल में लिया जा सकता है। (विघ्न) मैंने इनका नाम इसलिए लिया कयोंकि इनकी पार्टी में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर सरकार में हम उनका सहयोग नहीं लेंगे तो उनकी बुद्धिमत्ता और काबलियत से महरूम रह जाएंगे। (हंसी)

**श्री धीरपाल सिंह**: अध्यक्ष महोदय, चौ. वीरेन्द्र सिंह जी का तो जनाजा प्रदेश स्तर पर निकला हुआ हैं इनकी क्या औकात

है, यह सारी जनता को मालूम है। इनके बारे लोगों की धारणा है * * * * इसीलिए इनको शंट आउट किया गया।

**सिंचाई मंत्री** (चौ. जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, ये अनपार्लियामैंटरी भाशा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बात इन्होंने गलत कही है यह रिकार्ड से निकाल देनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: लाश वाली जो बात इन्होंने कही है, उसे रिकार्ड न किया जाए।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के बारे में ऐसे शब्द कहना कोई अच्छी बात नहीं है। आप इन शब्दों को एक्सपंज करवा दें।

**श्री अध्यक्ष**: ये एक्सपंज करवा दिए गये हैं।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा के एस.जे.पी. के अध्यक्ष धीरपाल जी हैं, इन्हें कोई भी बात कहने से पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप सब बैठ जाएं।

**चौ. बीरेन्द्र सिंह**: जहां तक बीरेन्द्र सिंह की बात है, वह आपकी तरह चौटाला की जेब में रहने वलाा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री धीरपाल सिंह**: अध्यक्ष महोदय, चौ. बीरेन्द्र सिंह ने प्रधानता के बारे में जो कहा है, मैं इन्हें यह कहता हूं कि जब उन्होंने अक्ल का प्रयोग किया तो चौ. भजन लाल ने इन्हें मंत्री पद से साफ कर दिया। बीरेन्द्र सिंह जैसे प्रधान है, यह सारा प्रदेश जानता है। इनका जैसा व्यक्तित्व है, वह भी सारा प्रदेश जानता है। सारे प्रदेश के लोग जानते हैं कि बीरेन्द्र सिंह कुर्सी के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, या वह अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी को बोलने से पहले अपने बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

## विशेशाधिकार भंग का प्रश्न

## श्रीमती चन्द्रावती, एम.एल.ए. के साथ एस.डी.एम. दादरी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार संबंधी

**श्रीमती चन्द्रावती**: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रिवलेज मोशन है जो एस.डी.एम. दादरी, लोहारू के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस एस.डी.एम. के रिहायशी आफिस में, 14.7.93 को, पंचायत के काम से टैलीफोन करके गई थी। जब में उसके घर पहुंची तो मैंने उसके चपरासी को कहा कि अन्दर जा कर कही कि मैं आई हूं। चपरासी ने कहा कि साहब नहीं है। तो मैं वहां जो बैठने की

जगह बनी हुई थी, बैठकर इन्तजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह एस.डी.एम. टहलता हुआ आ गया और उसने मुझे 'गैट–आउट' कहा। उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ बात करी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत के काम से यहां गई थी मैं वहां पर बैठकर उसका इन्तजार करने लगी थी। इतने में ही वह दनदनाता हुआ आया और अभद्र शब्दों में मुझे बाहर जाने को कहा। यह सब घटना 10 मिनट में ही हो गई। उसक बाद पुलिस को भी बुला लिया। पंचायत का काम था। कुछ लोग पंचायत की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। पंचायत की जमीन हर साल पट्टे पर उइानी पड़ती है। तो एस.डी.एम. के दस्तखत होने थे और लगातार तीन दिन से कर रहा था कि कल आना। उसका घर मेरे हल्के से बड़ी दूर पड़ता हैं इस अपने अहम को रखकर मैं फिर उसके घर गई। मैं कभी किसी अफसर के घर नहीं गई थी और न ही जाती थी। मैं किसी के दफतर भी बड़ी मुश्किल से जाती हूं। लेकिन मुझे मजबूर होकर उसके घर जाना पड़ा क्योंकि मेरे हल्के का काम था। अध्यक्ष महोदय, उसने वहां पुलिस बुला ली और वह बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आया/मैं तो कहती हूं कि इस बैड ऐलीमेन्ट को आई.एस.एस. कैसे बना दिया? अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम., डी.सी., एस.पी. और डी.एस.पी. की 24 घंटे को डयूटी होती है क्योंकि इनके पास जरूरी काम होते हैं इसलिए इनका ओफिस में रेजीडैंस होता है। साथ ही यह बेल की ऐप्लीकेशन लेते हैं और कचहरी भी लेते हैं, इसलिए उनके घर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अतः स्पीकर साहब, एक

विधायक के साथ अभद्र व्यवहार करने के अपराध में, रूल 261 के तहत, श्री अरूण कुमार आई.ए.एस. के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलिज का मोशन लाया जाए और केन्द्रीय सरकार को रिकमैंउ करना चाहिए कि वह श्री अरूण कुमार को डिसमिस करे। स्पीकर साहब, इस अरूण कुामर के अभद्र व्यवहार की कई ओर कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। इसने दादरी के एक वकील को थप्पड़ भी मारा और म्युनिसपिल कमेटी के एक कर्मचारी को मेनहोल में जाने के लिए विवश भी किया जबकि वह मेनहोल बन्द था। इसलिए उस कर्मचारी की इसके कारण मृत्यु भी हो गई। इस घटना को लेकर वाल्मीकि भाईयों ने इसकी पिटाई भी की, जिसके कारण इसको वहां से भागना पड़ा। इसी तरह से इसने एक मिस्त्री से टी–ट्राली बनवायी और एक महीने तक मिस्त्री को पैसे नहीं दिए। एक महीने बाद वह मिस्त्री इस टी–ट्राली को वापस ले गया। स्पीकर साहब, लगता ही नहीं है कि वह कोई आई.ए.एस. आफिसर है। वह तो एक बैड ऐलीमैन्ट लगता है। इसकी इन्हीं निदनीय हरकतों के कारण पंचायतों और आम लोगों ने उसके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पारित किया है। 19.7.93 को इसके खिलाफ 48 गांवों की पंचायतों ने निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जो 20.7.93 को डी.सी. को दिया गया। 22.7.93 को फिर 84 गांवों की पंचायतों ने इसके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पारित किया, जिसको 23.7.93 को डी. सी. भिवानी को दिया गया। इसके अलावा 2.8.93 से लेकर 9.8.93 तक लोगों ने लोहारू एस.डी.एम. के सामने धरना दिया। फिर 13. 8.93 को कश्ट टी–ट्राली निवारण कमेटी के सामने पूरे जिले की

रैली की गई जिसमें इस एस.डी.एम. को निन्दा की गई। इस रैली में ही डी.सी. व एस.पी. दोनों स्वयं ज्ञापन लेने के लिए आए और उनको ज्ञापन दिया गया। इसके इलावा, 23.7.93 को दादरी के 300 वकीलों को बार एसोसिएशन ने एक मत से इस एस.डी.एम. के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पास किया। अतः स्पीकर साहब, इस सभा को श्री अरूण कुमार आई.ए.एस. के खिलाफ एक माननीय सदस्या का अपमान करने के अपराध में ब्रीच आफ प्रिविलिज का मोशन पास करना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को, इसको डिसमिस करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहती हूं कि दादरी में सोडियम के बल्ब खरीदे गए, उसमें भी काफी घपला किया गया है जबकि दादरी जैसे शहर में इन बल्वज की कोई जरूरत नहीं है। ये दादरी के कई लोगों से कह देते हैं कि तुम्हारे छज्जे तुड़वाऊंगा, किसी से कह देता है कि तेरी दुकान तुड़वाऊंगा। यह लोगों से पैसे भी मांगता है ओर जो इसको पैसा दे देता है उसकी दुकान नहीं तुड़वाता। स्पीकर साहब, कया इसको ट्रेनिंग गालियां देने के लिए दी हैं? आप इसकी दास्तां देखें कि इससे कितनी डाक निकाली है? स्पीकर साहब, इसको किसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर नहीं लगाना चाहिए मैं तो कभी भी किसी के घर में जाती लेकिन पंचायत के काम से मुझे वहां जाना पड़ा। एक नाजायज कब्जा था। स्पीकर साहब, आप इसकी प्रेजैन्स देखिए कि लोहारू में इसकी कितनी प्रेजैन्स हैं। अगर मैं वहां पर चली भी गई तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं तो पहले टेलीफोन करके गई थी। स्पीकर साहब, ड्राईग

रूम और दफतर का कमरा जुड़ा हुआ है। वह गालियां देने के लिए तो वहां आ गया लेकिन मेरी बात सुनने के लिए क्यों नहीं आया? स्पीकर साहब, इस तरह का व्यवहार आज मेरे साथ हुआ है कल को किसी और विधायक के साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। मैं एक सम्मानित सिटीजन हूं, क्या उसका व्यवहार मेरे साथ उचित था? उसका यह व्यवहार ब्रीच ऑफ प्रिवलिज में आता है, इसलिए इसको आप ऐडमिट करें और सगा को बहस करने की इजाजत दें। मैं सदन से भी अनुरोध करूंगी कि सारे हाउस को यह प्रस्ताव एक मत से पास करना चाहिए ताकि भविश्य में किसी की इस तरह की हिम्मत न हो सके, कोई ऐसीा हरकत न कर सके। मैंने तो कोई ऐसा आफिसर नहीं देखा, जो इस तरह का व्यवहार करता हो। उस आफिसर के बारे में तो तरह तरह की कहानियां हैं जो इस वक्त मैं नहीं कहूंगी, लेकिन में चाहती हूं कि उस अरूण कुामर की बड़ी से बड़ी सजा देने की सिफारिश इस सभा को, केन्द्र सरकार को करनी चाहिए। उनके खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव पास करना चाहिए ताकि इस तरह का बैड एलीमैंट, जो लोगों की इमेंज को खराब करता है, शिकस्त मिले।

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर सर, यह प्रिविलेज मोशन है, इस पर हम अपनी बात तो कहेंगे। We are also concerned with it.

**Mr. Speaker**: She has already explained in detail.

**Prof. Sampat Singh**: She is a part of the House and the whole House is concerned with it. मैं भी आपोजीशन का लीडर हूं ओर मैं इस बारे में अपनी बात कह सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा है प्रस्ताव को मूव करने की कन्सैन्ट हमने नहीं दी है। आप सिर्फ इसी सब्जैक्ट पर बोलें और दो मिनट से ज्यादा समय न लें।

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर सर, मैं अपनी बात सिर्फ दो मिनट में कह दूंगा। स्पीकर सर, अभी आपके सामने श्रीमती चन्द्रावती जी ने प्रिविलेज मोशन दी है। श्रीमती चन्द्रावती इन हाउस की सबसे पुरानी मैम्बर हैं, वैसे तो चाहे कोई भी विधायक हो, हरेक के अधिकारों के कस्टोडियन आप है, उनके विशेशाधिकारों के बारे में हम बात नहीं उठाएंगे। स्पीकर सर, इस तरह से किसी आफीसर को दिमाग खराब हो जाना कि विधायक टेलीफोन करे तो कभी कह देते हैं कि साहब घर में नहीं है, कभी कहते हैं कि बाथरूम में हैं। फिर चलकर ये वहां चली जाएं तो वह इस तरह का व्यवहार क्यों करता है वैसे एस.डी.एम. को इनके घर आना चाहिए था। इतनी सीनियर मैम्बर हे, अगर चली गई तो उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, बजाए इसके कि गुस्से में आए। जो शब्द इन्होंने कहे वे निन्दनीय हैं। यह बात टोलरेबल नहीं है, इस तरह से ब्यूरोक्रेसी सदस्यों पर हावी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेटस पब्लिक सर्वेन्ट हैं, पब्लिक जो दिक्कतें लेकर आती है, उनको सुननी पड़ेगी, बुलाकर भी कहेंगे, लेकिन यह परम्परा किस किस्म

की चला रखी है? इस तरह का व्यवहार किया है, इससे फालतू कोई और गलत व्यवहार हो ही नहीं सकता। इसको आप मान लें क्योंकि कल किसी और के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है। किसी मिनिस्टर के साथ भी गलत व्यवहार हो सकता है।

**श्री अध्यक्ष**: संपत सिंह जी, अब आप बैठिए।

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर सर, इसकी कोई हद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को परन्तु इस बात को मान लेना चाहिए था। विशेशाधिकार हनन कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को यह मामला सौंप देना चाहिए। उस कमेटी को मामला सौपने से पहले आज ही मुख्यमंत्री महोदय अनाउसमैंट करें और उसकी सस्पैशन करें। वाकी जो भी कार्यवाही उसके खिलाफ हो, वह तब कर ली जाए, जब प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी।

**श्री बंसी लाल**: अध्यक्ष महोदय, यह जो एस.डी.एम. दादरी है, जिसके पास लोहारू का भी चार्ज था, बहित चन्द्रावती उसके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लाई हैं। मैंने इस बारे में पहले भी अपनी स्पीच में कहा था कि वह वाकई एक गैर जिम्मेदार आफिसर है। किसी आदमी से मिलना पसन्द नहीं करता। वह घर बैठा रहता है। दफतर में भी इत्तफाक से ही जाता है। उस आदमी को रवैया किसी के साथ भी ठीक नहीं है। दादरी और लोहारू, दोनों सब–डिवीजन्ज का चार्ज उसके पास था। सभी लोग उससै परेशान थे। वह बदकलामी भी करता था ओर किसी को

मिलता भी नहीं था। अगर मिलता था तो खाने को आता था। जैसे चौ. सम्पत सिंह और बहिन चन्द्रावती जी ने इस बारे में बहुत सी बातें कह दी है, ये बातें सारी सही हैं। मैं आपके जरिए मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद।

**Prof. Ram Bilas Sharma**: This privilege motion can be admitted according to rule 261 of the Rules of Procedure ane Conduct of Business. Sir, if your desire to admit, you can admit.

**Mr. Speaker**: It has not beena admitted.

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: स्पीकर साहब, मैं इस प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, इससे ज्यादा संगीन मामला सदन की अवमानना का और कोई हो नहीं सकता क्योंकि यह केवल बहिन चन्द्रावती जी का सवाल ही नहीं है। कल को कोई कांग्रेस का एम.एल.ए. भी इनकी जगह पर हो सकता है या फिर विपक्ष का कोई भी सदस्य हो सकता हैं Sir, you are the custodian of the members in this House. ब्यूरोक्रेसी के यि भी कोई न कोई मर्यादा होनी चाहिये। अगर उनको यह हाउस नहीं बतायेगा तो और कौन बतायेगा? इसलिये मेरी आपसे सबमिशन है कि इसको आप बिना किसी बहस के कमेटी को रैफर करें और मुख्यमंत्री जी भी ब्यूरोक्रेसी का घड़कर दिया हुआ कोई जवाब न पढ़ दें। वे भी आखिर सबसे पहले विधायक हैं, बाद में मुख्यमंत्री हैं उनको, विधायक की जो मान्यताएं हे, महसूस करनी

चाहियें। जो हमारी मैम्बर या विधायिका हैं, चन्द्रावती जी, वे 1962 से चली आ रही हैं। वे राज्यपाल भी रही हैं। उसके साथ एक छोटा सा आदमी ऐसा व्यवहार करे तो ठीक नहीं। स्पीकर साहब, यह पूरे हरियाणा की और इस सदन की अवमानना की बात है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी को जिद्द नहीं करनी चाहिये। इस प्रिविलेज मोशन को मान लेना चाहिये, प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर देना चाहिये और ब्यूरोक्रेसी को उसकी मर्यादा बतायी जानी चाहिये।

**मुख्यमंत्री** (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहिन चन्द्रावती जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, यह बहुत पुरानी सदस्या हैं। बहुत काबिल भी हैं और महिला भी हैं। हमारा वैसे ही धर्म बनता है कि उनकी इज्जत करें। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को, सभी सम्मानीय सदस्यों की इज्जत और सम्मान करना चाहिये। अगर उनकी इज्जत और सम्मान नहीं होता है तो इस देश में प्रजातन्त्र या डैमोक्रेसी के कोई मायने नहीं हैं। प्रजातन्त्र का मतलब यही है कि लोगों के जो दु:ख हैं, उनकी जो तकलीफ है, वह अधिकारियों को बतायें और सरकार को बतायें। अगर किसी अधिकारी का रवैया ठीक न हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। इन्हीं बातें को लेकर चीफ सैक्रेट्री साहब ने एक सरकुलर भी जारी किया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अुसर हैं या जितने भी डी.सीज. हैं, चाहे उनके पास किसी भी पार्टी का एम.एल.ए. आये, उसकी बात को वह सुनें, सुनकर जो जायज बात

है, वह करें। किसी को भी शिकायत का मौका न दें कि इनका रवैया ठीक नहीं था, बर्ताव ठीक नहीं था और बात करने का तरीका ठीक नहीं था। स्पीकर साहब, यह सारी बातें हमने सरकुलर के तौर पर भी इशू की हैं और जब कभी डिप्टी कमिश्नर्ज की और एस.पीज. की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में भी खास तौर पर मैं हिदायत करता हूं कि हम सब चुने हुए लोग हैं। हमारी आपस में, असैम्बली में तकरार हो सकती है, विचारधारा हमारी कुछ और हो सकती है, उनकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती है लेकिन आप लोग सिविल सर्वेन्टस हैं। आप लोगों को ईमानदारी से लोगों की सेवा और रक्षा करनी चाहियें किसी भी चुने हुए व्यक्ति को, किसी भी अफसर से या व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। मैंने तो मीटिंग में यहां तक कहा है कि अगर मेरे पास यह शिकायत आयी कि फलां डी.सी. ने सम्पत सिंह जी को टैलीफोन नहीं सुना, फलां एस.पी. ने राम बिलास का टैलीफोन नहीं सुना तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने बाकायदा ओपनली इस बात को कहा था और साथ में हिदायतें भी जारी की हैं। बहन चन्द्रावती के साथ यह वाका 14.7.93 का है। ये मुझे पांच छः दिन बाद मिली थीं और मेरे पास आई थीं। इन्होंने मुझ से कहा था कि एस.डी. एम. ने मेरे साथ बदतमीजी की है और ठीक बर्ताव नहीं किया। मैंने कहा कि बहन जी लिखकर भेज दीजिए, मैं इसकी जांच करवा लूंगा। इन्होंने कहा कि मैं लिखकर भेजती हूं। उस वक्त एस.डी. एम. लोहारू के पास डबल चार्ज था। उसके पास दादरी का भी

चार्ज था। दादरी में एस.डी.एम. को नहीं लगा सके थे इसलिए डबल चार्ज था। दोनों ही सब–डिविजन हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं और बहुत ज्यादा केसिज भी नहीं हैं। लेकिन किसी के पास दो जगह का चार्ज हो या तीन जगह का चार्ज हो या आधा चार्ज हो या तहसील का चार्ज हो, अफसर का बर्ताव ठीक होना चाहिएं आपने कहा था कि इसको बदल दो। हमने फौरन ही बदल दिया और लोहारू में भी ओर लगा दिया और दादरी में भी और लगा दिया। आपने जो कहा, हमने फौरन ही उस पर अमल किया और कमिश्नर, हिसार डिविजन के जिम्मे जांच लगाई। आज सुबह ही टैलीफोन पर बात हुई। उसने कहा कि डिटेल्ड रिपोर्ट दो–तीन दिनों में भेज रहा हूं। कमिश्नर की रिपोर्ट दो तीन दिनों में आ जाएगी और ज्यों ही रिपोर्ट आएगी, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। बहन जी, अगर कोई आपका अपमान करता है तो वह आपका अपमान नहीं है, वह भजन लारल का अपमान है।

**श्रीमती चन्द्रावती**: मैं जो कुछ कह रही हूं, क्या वह गलत बयानी कर रही हूं? उसका बहुत ज्यादा कसूर है।

**चौ. भजन लाल**: अगर उसका कसूर मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

**प्रो. छतर सिंह चौहान**: एक अफसर एक एम.एल.ए. की बेइज्जती करे और उसकी इंक्वायरी एक कमिश्नर करे, यह कहां

तक ठीक है? कया इसका मतलब यह नहीं है कि वह एम.एल.ए. झूठ बोल रहा है?

**चौ. भजन लाल**: स्पीकर साहब, कुछ कायदे कानून एडौप्ट करने पड़ते हैं। कल को वह हाई कोर्ट में चला जाए तो हम क्या करेंगे? इंक्वायरी किए वगैर तो हम किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। सैंशन जज के सामने, चाहे किसी आदमी का मर्डर हो जाए, उसकी भी जांच की जाएगी, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज होगी। सैंशन जज भी मारने वाले को तभी फांसी दे सकता है जब उसक सामने कोई जांच रिपोर्ट होगी, कोई सबूत होगा। कुछ कायदे कानून हैं जिनके तहत कोई ऐक्शन लेने से पहले इंक्वायरी करनी जरूरी है। जांच करने के बाद हो ऐक्शन लिया जा सकता है। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि उन दिनों कोर्ट का टाईम 7.00 से 1.30 बजे का था और यह वाक्या 5.00 बजे का है। शाम के 5.00 बजे का वाक्या है। वाक्या चाहे रात के दस बजे का हो, लेकिन अगर कोई पब्लिक का प्रतिनिधि या पंचायत आफिसर के पास आती है तो डिप्टी कमिश्नर, एस.पी., डी.एस.पी. और एस.डी.एम. का फर्ज बनता है कि वह चुने हुए लोगों की बात सुने और उस पर अमल करे।

**श्रीमती चन्द्रावती**: आन ए प्वायंट आफर आर्डर। मैं उसके पास जाती भी नहीं लेकिन पंचायत को जाते हुए तीन दिन हो गए थे। जमीन का पट्टा देना था और बच्चों के डोमिसाइल

सर्टिफिकेट करने थे। आप देख लें उसने कितना काम किया था। आप रिपोर्ट मंगवा कर दे लें।

**चौ. भजन लाल**: दो तीन दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। ज्यों ही रिपोर्ट आएगी, हम फौरन कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: आप इनको कौफीडैंस में लेकर ही रिपोर्ट पर ऐक्शन लेंगे।

**चौ. भजन लाल**: हमारा फैसला नहीं होगा। अगर बहन जी कहेंगी कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है तो दूसरे अफसर से जांच करवा सकते हैं, लेकिन ऐक्शन जांच करके ही लेना पड़ेगा। जहां तक प्रिवलिज मोशन का ताल्लुक है, ठीक है, बात काफी सीरियस है लेकिन अगर यह बात बहुत सीरियस होती तो इनको पहले ही दिन कहना चाहिये था। आज इनकी यह प्वायंट कैसे याद आ गया? इनको यह मैटर पहले दिन ही यहां हाउस में उठाना चाहिये था। (शोर)

**श्रीमती चन्द्रावती**: स्पीकर साहब, मैंने पहले दिन से ही यह प्वायंट रखा है। आपने कल ही यहां कहा हैं कि यह मामला अन्डर कंसिड्रेशन है।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बहन जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट बहन जी को दिखाएंगे। अगर इनकी तसल्ली न हुई तो हम किसी और दूसरे बड़े अफसर से जांच करवाएंगे ओर उसके खिलाफ ऐक्शन

लेंगे लेकिन कार्यवाही उसके खिलाफ तभी होगी, जब जांच रिपोर्ट उसके खिलाफ होगी।

**प्रो. सम्पत सिंह**: मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जांच कमिश्नर करेगा। आप ही स्पीकर साहब, बताएं कि एक ब्यूरोक्रेट दसूरे ब्यूरोक्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा? ऐसे मामलों के लिए हाउस की एक प्रिवीलेज कमेटी आपने बनाई हुई हैं। वही कमेटी इस मामले की जांच करे। इन्होंने खुद यह माना हैं कि यह मामला बड़ा ही सीरियस है। अगर ये इतना मानते हैं तो इसके लिये जो हाउस की एक प्रोपर कमेटी बनी हुई हैं, उसी से इसकी जांच करवाएं। किसी आफिसर को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी आनरेबल मैम्बर की जांच करें। अपने प्रिवीजेल कमेटी किस बात के लिए बनायी हुई है? अगर एक अधिरी इस मामले की जांच करेगा तो वह आनरेबल मैम्बर को बुलाएगा, उसको सम्मन करेगा तो इससे मैम्बर साहिबा की तौहीन होगी ऐसा करके वह अफसर तो तौहीन करेगा ही लेकिन यह हाउस में इतना कहकर उससे दुगुनी तौहीन मैम्बर साहिबा को कर रहे हैं कि एक कमिश्नर इस सारे मामले की जांच करेगा। इसलिये में आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इस सारे मामले की जांच प्रिवीलेज कमेटी ही करे तो बेहतर रहेंगा।

**श्री बंसी लाल**: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। जहां तक एक आफिसर के मिस–कंडक्ट का सवाल है वहां तक तो सरकार का इंक्वायरी

करना ठीक है, लेकिन जहां तक एक लैजिस्लेटर की बेइज्जती का सवाल हैं, वह काम प्रिवीलेज कमेटी का है, इसलिये यह मामला प्रिवीलेज कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिये और आफिसर की जांच का काम जिस को सरकार ठीक समझे, सौंप दे। ये दोनों अलग अलग सबजैक्ट हैं। इसलिये मेरे विचार से यह केस प्रिवीलेज कमेटी को भेज देना चाहिये। यह मेरी सुजेशन है।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, चौ. सम्पत सिंह जी ने ब्यूरोक्रेटस से जांच न करवाने के बारे में हाउस में कहा है कि उनसे इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिये क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट के हक में ही रिपोर्ट देगा, ऐसी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेटस तो सारे देश के प्रशासन को चलाते हैं। इनको ऐसी भाशा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। (शोर)

**प्रो. सम्पत सिंह**: हम सारे ब्यूरोक्रेटस को नहीं कह रहे हैं, हम तो पर्टीकूलर किसी एक व्यक्ति को कह रहे हैं।

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, वह बहुत जूनियर अफसर हैं कमिश्नर के मुकाबिले में। वह एक एस.डी.एम. है जिसकी सर्विस अभी मुश्किल से डेढ़ साल ही होगी। अभी तो वह प्रोबेशन पर है। जो आदमी प्रोबेशन पर हो, उसे दो साल तक ठीक रहना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कमिश्नर बहुत सीनियर अफसर हैं, फिर भी हम कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट हम बहिन जी को दिखाएंगे। अगर इनकी तसल्ली नहीं होगी तो

जिस सीनियर अफसर से यह इन्क्वायरी करवाने के लिए कहेंगी, उससे करवा देंगे। कमिश्नर इनको अपने पास बुला कर नहीं पूछेगा बल्कि वह उनके पास खुद जाएगा। जब वह अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: स्पीकर साहब, इस बारे में हम आपकी आवजरवेशन चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपना वर्शन बता दिया और इसका निर्णय तो अब आपने अपने विवेक से करना है।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिए।

**श्री अमर सिंह**: स्पीकर साहब, हिसार में पी.ए.सी. कमेटी गई थी। जिस प्रकार का वातावरण बहिन जी ने बताया, उसी तरह से एक सब इन्सपैक्टर ने एक एम.एल.ए. की बेइज्जती की। यह मामला फौरी तौर पर प्रिवीलेज कमेटी को रैफर हुआ और कमेटी ने एक महीने में उसका फैसला करके अपनी रिपोर्ट हाउस को दे दी।

**श्री अध्यक्ष**: हमने इसे गवर्नमैंट के कमैंटस के लिए भेजा हुआ है, कमैंटस आने के बाद देखेंगे। अभी यह पैंडिंग है।

**श्रीमती चन्द्रावती**: स्पीकर साहब, मैंने तो पहले ही दिन आपको यह प्रिवेलेज मोशन दे दिया था। आज तीन दिन हो गए हैं। जब मुख्यमंत्री जी को सारी बात का पता है तो और क्या कमैंटस आएंगे? इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इसे एडमिट करें।

**चौ. भजन लाल**: बहिन जी, जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर आपको विश्वास में लेकर आगे कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने अभी कहा है कि यह मामला पैंडिंग है।

## कार्य स्थगन प्रस्ताव

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के सदस्यों ने साइन करके आपको एक ''काम रोको'' प्रस्ताव दिया है। उसमें हमने कहा है कि आप हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म है, प्रशासन खत्म हो चुका है और जंगल का राज है। आज एक दिन में दो दो हत्याएं हो रही हैं, रोजाना किडनैपिंग और रेप का एक केस हो रहा है। डकैतियों, चोरियां और लूट बढ़ती जा रही है। अकेले चीफ मिनिस्टर के जिले के अन्दर, पिछले डेढ़ महीने में, 18 इन्सीडैंट लड़कियों के गायब होने के या किडनैपिंग होने के हुए हैं। खुद एस.पी. का बयान आया था कि इतने केस हमने ट्रेस कर लिए हैं और इतने बाकी रहते हैं। इसी तरह से अकेले फरीदाबाद में एक रात में 14 दुकानों के ताले टूटे हैं, इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। उसी फरीदाबाद जिले के अन्दर एक महीने में 20 सुईसाइड के केसिज हुए हैं। मुख्यमंत्री को खुद पता हैं कि सुशीला नाम की हिसार की एक अध्यापिका थी, उसको लापता हुए आज चार महीने हो चुके हैं, आज तक उसका पता नहीं चल सका है मई, जून, जुलाई और अगस्त चार महीने हो गए, आज तक उसका पता नहीं है। टीचर्ज में इस बात को लेकर बहुत भारी

बेचैनी है। हरियाणा प्रदेश की जनता में भी भारी बेचैनी है। ऐसे लोगों को एक किस्म का राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है। स्पीकर साहब, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जाते हैं। राजौंद के अन्दर पुलिस एक आदमी को पकड़ कर ले गई और रास्ते में असंध थाने के अन्दर उस को मार दिया असंध पानीपत और करनाल के बीच में पड़ता है। आज प्रदेश में ऐसा वातावरण बना हुआ है। प्रदेश के अन्दर असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है। इनसैंस औफ सिक्योरिटी आ गई है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिएं अन–लाफुल एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है जो रोज अखबारों की सुर्खियों में आता है। आज मैंने जनसत्ता अखबार उठाकर पढ़ा, लिखा था कि नाथुपुर गांव की पंचायत की जमीन पर एक मंत्री ने कौडियों के भाव कब्जा कर लिया है। इस तरह से लूटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में सरकार को यह मोशन एउमिट करनी चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए।

**सिंचाई मंत्री** (चौ. जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि बोलने के लिए इस ढंग से लिबरली टाईम न दिया जाए क्योंकि हमारे सामने और भी काफी बिजनैस है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। माननीय सदस्या को एक मिनट का मोशन था लेकिन इन्होंने काफी टाईप ले लिया।

**चौ. बंसी लाल**: अध्यक्ष महोदय, इस सब्जैक्ट पर ला एण्ड आर्डर के मामले में हमारी भी एक कालिंग अटैशन मोशन है।

अभी लीडर औफ दि अपोजीशन ने कहा कि स्टेट में ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस चीज से बुरा न माने, क्योंकि स्टेट को सुधारेंगे, तो ही इनका नाम ऊंचा होगा। अब जैसा नाम कमा रहे हैं, ऐसा नाम कमाने में कोई फायदा नहीं होगा। हिसार जिले में एक आदमी धारा 307 के मुकदमें में मुलजिम है। सैशन जज ने उसकी बेल एप्लीकेशन नामंजूर कर दी और हाइ कोर्ट ने भी एन्टीसिपेटरी बेल नामंजूर कर दी। मुख्यमंत्री जी उसको जिले के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में औनर करते हैं तो फिर ला एण्ड आर्डर कैसे कायम रहेगा? इसी तरह से एक श्रवण कुमार नामक व्यक्ति, 15.8.93 को हांसी में मारा गया, उसकी वाइफ इन्जर्ड हो गई, उसका घट लूट लिया गया। मेरे ख्याल में आज तक उस बारे में कोई प्रोग्रैस नहीं है। हांसी में, भिवानी में और हरियाणा के दूसरे शहरों में चोरियों को तांता लगा हुआ है। रामबास गांव का एक विनोद वल्द बलबीर सिंह, भिवानी में मारा गया उसकी लाश कुएं से मिली है। एक दाडीबाना गांव के चत्रू का लड़का 15.792 को उठा लिया गया। उसके वारिस उसको ढूंढने के लिए आज तक घूम रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। हमें अखबारों में कही बलात्कार, कहीं मर्डर, कहीं डकैतियां और कहीं चोरियां होने की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। स्पीकर साहब, इस चीज के बारे में मुख्यमंत्री जी कह दैंगे कि इन्क्वायरी करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, कान्स्टीच्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है। स्पीकर साहब,

नरवाना के इलाके में, केन्द्र के मंत्री बलराम जाखड़ आए और रैस्ट हाउस में उनको कमरा नहीं मिला। नारनौल में सैंटर के मिनिस्टर कर्नल राम सिंह आए, तो उनको कोई प्रोटोकोल नहीं दिया गया। इसी तरह से स्पीकर साहब, सैन्टर के मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह का हैलीफाप्टर कुरूक्षेत्र में जिस मैदान में उतरना था, उसमें पानी भरवा दिया गया और संयोग से एक दूसरा मैदान खाली था जहां पर उनका हैलाफाप्टर उतर सका। मुख्यमंत्री जी रात के डेढ़ बजे तक हिदायत देते रहे कि उनको कह दो कि मैदान में पानी भर गया है और हैलीकाप्टर नहीं उतर सकता। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री का काम तो कानून को बनाए रखना है और जब कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर पूरी डिस्कशन करवाएं ताकि ला एण्ड आर्डर की सही स्थिति लोगों के सामने आए और हाउस के मैम्बरों के सामने आ सके। (विघ्न)

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के 17 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। (विघ्न)

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट का समय इन्होंने लिया और 10 मिनट चौ. बंसी लाल जी ही बोल लिये। जो बातें इन्होंने कहीं हैं, मैं 3–4 मिनट में उनका जबवा देना चाहता हूं। (विघ्न) इन्होंने जो बातें कहीं हैं, उन को जवाब तो देना ही पड़ेगा। (विघ्न)

**श्री धीरपाल सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना तो जरूर दे, परन्तु आप पहले इसको एडमिट कर लें। पूरी डिस्कशन हो जाने दें, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जवाब दें। (विघ्न)

**चौ. भजन लाल**: चीफ मिनिस्टर कहीं पर भी इन्टरवीन कर सकता है।

**Mr. Speaker**: The Chief Minister can intervene when even he likes.

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, पहले सम्पत सिंह जी ने कहा कि यहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अब इनको क्या मुश्किल हो रही है! ..... (विघ्न)

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर साहब, पहले आप इसको ऐडमिट कर लें, इस पर पूरी डिस्कशन हो जाए, उसके बाद यह जवाब दे दें।

**श्री अध्यक्ष**: सम्पत सिंह जी, आप बीच में न बोलें।

**प्रो. सम्पत सिंह**: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि आप बताएं कि आपसे इसे ऐडमिट किया है या नहीं?

**श्री अध्यक्ष**: इसको अभी ऐडमिट नहीं किया हे, आप बीच में बार–बार खड़े न हों, अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

**चौ. ओम प्रकाश चौटाला**: स्पीकर साहब, अगर कोई एडजर्नमैंट मोशन हाउस के सामने आती है तो सर्वप्रथम स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि वह उसे ऐडमिट करें। जब उस पर बहस हो जाएगी तो उसके बाद लीडर आफ दी हाउस जवाब जवाब दे दैं। इसमें इन्टरवीन करने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर इसका जवाब देना चाहते है तो पहले इसे ऐडमिट किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या मोशन ऐडमिट किये बिना जवाब दिया जा सकता है?

**चौ. भजन लाल**: स्पीकर साहब, जो प्वायंटस इन्होंने उठाए हैं, मैं इनको कलीयर करना चाहता हूं, उनका जवाब देना चाहता हूं। (विघ्न)

**Mr. Speaker**: Hon'ble Members, I have received an adjournment motion from Sh. Sampat Singh, MLA and Leader of the Opposition and 7 other Members regarding deteriorating situation of law and order in the State. I have disallowed the adjournment motion on the following grounds:-

(1) The matters raised in the notice are not of very recent occurrence;

(2) Moreover, these have not been raised at the first available opportunity i.e. 30th August, 1993 when the Session was started;

(3) The matter has not arisen suddenly in the nature of emergency; and

(4) The mater relates to ordinary day to day administration of law. (Interruptions).

**Mr. Speaker**: No more discussion please.

## वाक–आउट

**प्रो. सम्पत सिंह**: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारे इस स्थगत प्रस्ताव को एडमिट नहीं करते तो हम एज–ए–प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय श्री सम्पत सिंह तथा उनकी पार्टी के अन्य उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)।

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, ला–एण्ड–आर्डर इतना खराब हो चुका है कि पत्रकारों को जलाया जा रहा है। आप इस प्रस्ताव को एडमिट करने के लिए पुनः विचार करें। (व्यवधान व शोर)

**श्री अध्यक्ष**: धीरपाल जी, आप बैठिए।

## विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्यों को सूचनाएं देना

**श्रीमती चन्द्रावती**: अध्यक्ष महोदय, महोदय, मेरी तीन काल अटैन्शन मोशन्ज हैं। एक तो डीजल के बारे में है कि डीजल में मिट्टी का तेल मिलाया जाता है।

**श्री अध्यक्ष**: यह अन्डर कंसिड्रेशन है।

**श्रीमती चन्द्रावती**: दूसरी मेरी काल अटैन्शन मोशन ढांढेवाला गांव के बारे में है। वहां का एक लड़का जिसका नाम राम निवास है, गुम है।

**श्री अध्यक्ष**: यह तो आपने आज सुबह ही दी है। यह काल अटैन्शन मोशन भी अन्डर कंसिड्रेशन है। (व्यवधान व शोर)

**श्री अमर सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मेरी भी तीन काल अटैंशन मोशन्ज हैं। एक तो इरिगेशन फैसीलिटी के बारे में है, दूसरी पीने के पानी के बारे में है और तीसरी बिजली के बरे में है।

**Mr. Speaker**: Your motion regarding acute shortage of irrigation water in District Bhiwani stands admitted for today.

**श्री अमर सिंह**: अध्यक्ष महोदय, दूसरी मोशन पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट और उस के आस–पास के इलाके में पीने के पानी की कमी के बारे में है।

**Mr. Speaker**: Your motion regarding acute shortage of drinking water in Bhiwani and other parts of the State has been sent to Government for comments.

**श्री अमर सिंह**: सर, एक पीने के पानी के बारे में है।

**श्री अध्यक्ष**: आपकी पीने के पानी के बारे में और बिजली के बारे में दोनों काल अटैन्शन गवर्नमैंट के पास कमैंटस के लिए भेजी गई है। (व्यवधान व शोर)

(इस समय श्री राम बिलास शर्मा जी बोलने के लिए खड़े हो गए)। राम बिलास जी, आप बैठिये। पहले लहरी सिंह जी का बोलने दें।

**साथी लहरी सिंह**: स्पीकर साहब, मैंने भी तीन कालिंग अटैन्शन नोटिसिज आपकी सेवा में दिये हैं। इनमें से एक यह है कि आज फसल उजड़ रही है, उसको बचाने के लिए 15 या 20 दिन के लिए आगुमैंटेशन कैनाल का पानी हमारे खेतों में दे दिया जाए ताकि फसल पूरी पक जाये। स्पीकर साहब, गन्ने और जीरी की फसला भी पानी के बगैर तबाह हो रही है इसलिए इस कैनाल का 20 दिन के लिए पानी हमें दे दिया जाए। पानी की कमी के कारण यमुनानगर और कुरूक्षेत्र डिस्ट्रिक्टस का बुरा हाल है, न वहां पर बिजली ही मिलती है और न पानी। इसके अलावा, मेरा एक कालिंग अटैंशन मोशन यमुना के कटाव के बारे में है। (शोर व व्यवधान)

**Mr. Speaker**: Regarding land erosioin by the Yamuna river of the villages of district Yamuna Nagar and regarding penalty imposed by the Sugar Mills, Yamuna Nagar due to non-supply of sugarcane by the farmers with agreement, have been disallowed.

Calling attention motion regarding shortage of irrigation water in the district of Yamuna Nagar and Kurukshetra has been admitted for today, the 1st September, 1993.

**साथी लहरी सिंह**: स्पीकर साहब, यह आपनने किस बिनाह पर डिसअलाऊ कर दिये है। स्पीकर साहब, सारे किसान लुट जाएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये।

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन लोहारू कैनाल के वाटर आफ एस्कैप्स तथा लिफट इरीगेशन स्कीम्ज में लगी मोटरों के बारे में दिया। सारी मोटरें बन्द हो जाती हैं जिससे खड़ी फसल का नुक्सान हो रहा है। यह मोशन मैंने आपको कल दी दिया था।

**श्री अध्यक्ष**: यह 2 सितम्बर के लिए एडमिटिड है।

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: स्पीकर साहब, मैंने तीन कालिंग अटैन्शन मोशन आपकी सेवा में दिये थे। एक मोशन तो यह था कि पलवल के इलाकमे में बिजली की भारी कमी है, खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं। दूसरा मोशन यह था कि शूगर मिल की तरफ से जो दवाईयां किसानों को छिड़कने के लिए दी जा रही हैं उनसे फसलें और सूख रही हैं तथा मेरा तीसरा मोशन पलवल के बारे में है। पलवल के इलाके में नील गाय बड़ी भारी संख्या में हैं, सरकार इस बारे में कोई गौर क्यों नहीं कर रही। स्पीकर साहब,

जो गुड़गांव नहर है, आगरा नहर है उनकी खुदाई कई सालों से नहीं की गई।

**Mr. Speaker**: Your call attention motion regarding loss of sugarcane crop due to supply of spurious pesticides by Palwal Sugar Mills has been sent to Govt. for comments.

Your second call attention motion regarding increased number of Roze (Neelgai) in Palwal area is under consideration.

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: स्पीकर साहब, मेरा एक और काल अटैन्शन मोशन बिजली के बारे में है उसका क्या बना?

**श्री अध्यक्ष**: यह अभी गवर्नमैंअ को कमेंटस के लिए भेजा है।

**श्री राम भजन अग्रवाल**: स्पीकर साहब, मेरा भी एक कालिंग अटैन्शन मोशन महसूल चुंगी के बारे में था, उसका क्या बना? सर, महसूल चुंगी के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में असंतोश है।

**श्री अध्यक्ष**: राम भजन जी, यह आपने आज सुबह ही दिया है। यह अभी अंडर कंसीडरेशन है।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: स्पीकर सर, मेरे महेन्द्रगढ़ जिले में बिजली का जो सिस्टम है, उसके बारे में मैंने एक कल आपकी सेवा में, एक काल अटैंशन मोशन दिया था और आपने बताया था

कि वह अंडर कंसीडरेशन है। चार दिन से वहां कोई ट्रांसफार्मर नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**: इस बारे में ओम प्रकाश बेरी जी का काल अटैंशन मोशन आलरेडी एडमिटेड है, उसमें आपको भी सप्लीमैंटरी पूछने का मौका देंगे।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: अध्यक्ष महोदय, दूसरी काल अटैन्शन मोशन यह थी कि बाढ़ के कारण चारे की कमी और पानी के अभाव में पशुओं में महामारी फैल रही है, जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। यह मैंने कल आपकी सेवा में दिया था।

**श्री अध्यक्ष**: यह अंर कंसीडरेशन है।

**श्री अमर सिंह ढांडे**: स्पीकर सर, मैंने कल आपको गुहला की सत्तर एकड़ जमीन के बारे में काल अटैन्शन मोशन दी थी।

**श्री अध्यक्ष**: यह काल अटैन्शन कल शाम को आपने दिया है, अंडर कंसीडरेशन है।

**चौ. ओम प्रकाश बेरी**: स्पीकर सर, नील गायों से इन्सान की जिन्दगी को खतरा बढ़ गया है, किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं।

**श्री अध्यक्ष**: यह विचाराधीन है।

**श्री अमर सिंह**: स्पीकर सर, ला एण्ड आर्डर के बारे में कला अटैंशन मोशन आपकी सेवा में मैंने दी थी।

## ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

## (i) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी सम्बन्धी

**Mr. Speaker**: Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion from Sh. Om Parkash Beri, M.L.A. regarding the shortage of Electricity in the rural areas. I have admitted it. Sh. Om Parkash Beri may please read his notice and the concerned Minister may make the statement thereafter.

**चौ. ओम प्रकाश बेरी**: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य में आमतौर पर तथा विशेशतया कृशि क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती है तथा नलकूपों को बिजली की सप्लाई अत्यन्त अनियत, अनियमित तथा अपर्याप्त है। बिजली के अभाव में फसलें मुर्झा रही हैं तथा किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। राज्य में इस मामले को लेकर किसान आन्दोलित है। यहां तक कि गांव में विद्यार्थी बिजली के अभाव में रात्रि को पढ़ नहीं सकते जबकि उन्हें मास सितम्बर, 1993 में होने वाली हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की अनुपूरक परीक्षाओं की तैयारी करनी है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

## वक्तव्य –

## बिजली मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

**बिजली मंत्री** (श्री ए.सी. चौधरी): स्पीकर साहब, हम यह मानते हैं कि हरियाणा को मिलाकर समस्त उतरी क्षेत्र में जुलाई, 1993 के तीसरे सप्लाह से बिजली का गम्भीर संकट चल रहा है। उत्तरी क्षेत्र में इस समय 16000 से 17000 मैगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है जिसमें हरियाणा राज्य का लोड केवल 1600 मैगावाट है। इस वर्श मानसून की वर्शा बिल्कुल ही नहीं हुई है। इस वर्श जुलाई मास के दूसरे सप्ताह में भयंकर वर्शा आई थी और राज्य के काफी जिले बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बाढ़ के पानी की वजह से नदियों व नहरों में कई जगहों पर कटाव आ गया था औरउसकी वजह से सिंचाई, नहरों में पानी का बहाव कम करना पड़ा। इन सब कारणों की वजह से टयूबवैलों के लिए बिजली की मांग अभूतपूर्व ढंग से बढ़ गई क्योंकि केवल यही एक मात्र पानी की साधन रह गया। इसके बाद पड़ रही भीशण गर्मी ने हालत को ओर भी खराब कर दिया।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री मनीराम केहरवाला पदासीन हुए)

उत्तरी क्षेत्र में गम्भीर बिजली संकट विद्यमान है। मानसून के न आने से भाखड़ा बांध और पौंड बांध बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। पिछले वर्श के इसी अवधि की तुलना में इनका

जल स्तर 60 फीट से 40 फीट नीचे हैं पानी के लगातार कम प्रवाह के कारण जल स्तर में सुधार होने की कम आशा है। इतना ही नहीं, केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं अर्थात सिंगरौली थर्मल, रीहन्द थर्मल तथा गैर केन्द्रों से नियोजित शट–डाऊन तथा गैस आपूत्रि पर रोक के कारण उत्पादन कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एन.टी.पी.सी. का दादरी थर्मल स्टेशन (210 मैगावाट) बिल्कुल ही बन्द पड़ा है।

इन सब मुश्किलों के बावजूद मैं आंकड़ों द्वारा यह साबित कर सकात हूं कि हरियाणा रज्य में सइ वर्श कृशि का पिछले वर्शो के मुकाबले कुी अधिक मात्रा में बिजली दी गई है। अगस्त महीने की 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के आंकड़े निम्न प्रकार से है:–

| विवरण | 1992 | 1993 | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|
| दैनिक औसत बिजली उपलब्धि (यूनिट लाखों में) | 315 | 328 | 4.0 |
| ग्रामीण क्षेत्र को दैनिक बिजली आपूर्ति (यूनिट लाखों में) | 191 | 214 | 12.1 |

वर्तमान समय में कुल उपलब्ध बिजली का 68 प्रतिशत तक कृशि क्षेत्र को दिया जा रहा है।

बिजली की प्रतिदिन की 35 से 40 लाख यूनिट चालू मांग को कम कर दिया गया है क्योंकि निम्नलिखित तिथियों से सभी उद्योगों पर बिजली की भारी कटौती लागू कर दी गई है:–

| | | |
|---|---|---|
| 4.8. 1993 | 1 | स्टील फर्नेस/स्टील रोलिंग मिलों पर 50 प्रतिशत बिजली कटौती लगा दी गई हैं। |
| | 2 | एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं पर जोकि स्वतन्त्र फीडरज वाले हैं उन पर 40 प्रतिशत बिजली की कटौती लगा दी गई है। |
| | 3 | सभी अन्य औद्योगिक उपभोक्ताअें (20 किलोवाट से कम के अतिरिक्त) की सप्ताह में दो दिन बिजली बन्द रखी गई है। |
| 17.8.93 | | सभी स्टील फरनेसेज, स्टील रोलिंग मिलों तथा अधिकतम लोड को पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। |
| 20.8.93 | | एक मैगावाट के लोड के सभी उद्योग तथा इससे ऊपर के उद्योगों को पूर्णतया बन्द कर दिया गया है। |

उपरोक्त के अतिरिक्त सभी शहरी फीडरों पर दिनांक 29.7.1993 से लोड शैडिग प्रतिदिन दो घण्टे कर दिया गया है।

अब आज से यह फैसला किया गया है कि सभी ऐसे उद्योगों की जिनका लोड 500 के.डब्ल्यू. तथा इससे ऊपर है उनकी बिजली पूर्णतया बन्द कर दी जाए ताकि कृशि क्षेत्र को और अधिक राहत प्रदान की जा सके।

फिलहाल इन सभी पाबन्दियों का समय 15 सितम्बर, 1993 तक बढ़ाया जा रहा है।

पूरी उत्तरी क्षेत्र बिजली ग्रिड के ही खतरनाक पैरामीटर्स पर चल रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब राज्य में सूखे के प्रभाव की वजह से कृशि क्षेत्र की बिजली की मांग बढ़ रही है वोल्टेज व फ्रीक्वैंसी हर रोज कम होती जा रही है और बहुत ही खतरनाक स्तर आ चुका है। यह आशंका है कि अगर इसी तरह टयूबवैलों की मांग बढ़ती रही ओर वोल्टेज व फ्रीक्वैंसी में गिरावट आती रही तो उत्तरी बिजली ग्रिड का फेल हो जाना पूर्णतया संभावित है। आजकल 400 के.वी. सिवाह (पानीपत) व समयपुर सब–स्टेशन पर वोल्टेज 325 से 345 के.वी. के बीच रहती है और ग्रिड की फ्रीक्वैंसी 48 से 47.9 तक कम पहुैच चुकी है। अगर यह फ्रीक्वैंसी कम से कम मंजूर शुदा 49.5 के मुकाबले 47.8 से नीचे गई तो पूरे बिजली ग्रिड के फेल हो जाने की आशंका है। यह संकट सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है बल्कि हमारे दूसरे पड़ौसी राज्य जो कि इस ग्रिड के सांझीदार हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, देहली व पंजाब राज्यों में भी बहुत लम्बी अवधि की बिजली कटौली चल रही है। बिजली प्रणाली को पूर्णतया

गिरने से बचाने के लिए बिजली कटौती चल रही है। बिजली प्रणाली को पूर्णतया गिराने से बचाने के लिए विभिन्न ग्रिड सब–स्टेशनों पर अन्डर फ्रोक्वैंसी रिलेस उपलब्ध कराये जएग हैं ताकि जब फ्रोक्वैंसी कम हो तो भारी स्टैप में कम किया जा सके। हरियाणा राज्य में एक और भिन्न स्थिति है क्योंकि हमारे यहां लगभग आधे क्षेत्र राज्य में बिजली बी.बी.एम.बी. खराब होने लगते हैं बी.बी.एम.बी., एन.आर.ई.बी. के आदेश से असामयिक कटौतियां लगती रहती हैं। इन सब–स्टेशनों से निकलने वाली 66 के.वी. व 132 के.वी. लाईनें अन्डर फ्रोक्वैंसी रिले द्वारा न्द हो जाती हैं। यहां तक कि 220 के.वी. की मुख्य लाईन भी कम फ्रोक्वैंसी की स्थिति में बन्द कर दी जाती है। इस प्रकार यह स्पश्ट हे कि राज्य के उन क्षेत्रों में जिनमें बिजली बी.बी.एम.बी. द्वारा संचालित सब–स्टेशनों से दी जाती है उन पर बिजली आपूर्ति में खराबी आती है।

बिजली की अत्यन्त जरूरी मांग को देखते हुए हमने कोशिश की है कि अपने बिजली घरों से अधिक से अधिक बिजली उत्पादन किया जा सके और इस समय हमारे बिजली घरों में लगभग 6 प्रतिशत बिजली पिछले वर्श के मुकाबले अधिक पैदा की जा रही है। हमारा अपना बिजली का उत्पादन लगभग एक करोड़ यूनिट प्रतिदिन है जो कि पूर्ण बिजली उपलब्धता का 30 प्रतिशत हिस्सा तथा बिजली की शेश मांग के लिए केन्द्रीय/बी.बी.एम.बी. के उत्पादन पर निर्भर है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम एन.

आर.ई.बी. व ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि उत्तरी क्षेत्र से हमें अधिकतक राहत मिल सके और अधिक से अधिक बिजली पड़ौसी पश्चिमी ग्रिड से भी प्राप्त हो।

चालू मौसम के दौरान हरियाणा बिजली बोर्ड ने किसानों को रिकार्ड बिजली की आपूर्ति की है। यद्यपि मानसून के पूर्ण रूप से असफल होने के कारण टयूबवैल आवश्यक पानी की आपूर्ति नहीं कर सकते। हमने राज्य के समग्र हित में विद्युत आपूर्ति को घरेलू सीमा तक प्रतिबन्धित कर दिया है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की पढ़ाई का सम्बन्ध है, सरकार उनकी इस समस्या से भली–भान्ति परिचित है। हम ग्रामीण क्षेंत्रों में रोशनी के लिए आवश्यक बिजली उपलब्ध कराएगे।

टयूबवैल लोड को भी तीन ग्रुपों में बांटने तथा प्रत्येक ग्रुप को 8 घण्टे प्रतिदिन बिजली सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है ताकि एन.आर.ई.बी./बी.बी.एम.बी. द्वारा लगाए गए अनिश्चित कटौतियों या कम फ्रोक्वैंसी रिलेज से ग्रिड को तबाह होने से बचाया जा सके। टयूबवैलों को सुनिश्चित बिजली (आपूर्ति) देने के लिए हम स्थानीय उप–केन्द्रों/ट्रांसमिशन क्षमताओं पर निर्भर करते हुए टयूबवैल लीड को 2/3 ग्रुपों (समूहों) में फीड कर रहे हैं। हम राज्य में टयूबवैलों की मांग को

पूरा करने के लिए एन.आर.ई.बी. के विरोध के बावजूद उत्तरी ग्रिड से अपने हिस्से से अधिक बिजली ले रहे हैं।

राज्य सरकार/हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कुल उपलब्ध बिजली को यथा सम्भव सुचारू रूप से रेगुलेट किया जा सके और किसानों को अधिक से अधिक बिजली दी जा सके।

**12.00 बजे**

चेयरमैन महोदय, मैं सहर्श इस बात को हाउस के समक्ष रख रहा हूं कि सब इंतजाम करने के बावजूद कल रात से काफी हद तक बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आया है। सरकार के लिए, स्टेट के लिए और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए बिजली की कमी बहुत ही दुःखदायी बनी हुई थी। वोल्टेज की कमी के कारण हम सब परेशान थे। मेरी जानकारी के अनुसार इस इन्तजाम की वजह से ओर उत्तर प्रदेश के थोड़े हिस्से में बारिश होने के कारण, और उत्तर प्रदेश जो अपने तौर पर अनियमितता करके ज्यादा बिजली ड्रा कर रहा था, उसका इन्तजाम ठीक होने के कारण कल रात से बिजलीी की डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आया है। मैं हाउस में यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के एक भाग में पानी बरसना, ओर जो अरेन्जमैंट मैंने हाउस में रखा है, उससे अच्छे रिजल्ट हमें कल से मिले हैं और हमारी फ्रोक्वैंसी कंट्रोल में रही

है। इसके साथ साथ बिजली की वोलटेज भी बढ़ी है। मैं हाउस में यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, किसानों को जो 8 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया है, उसको हम अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। ऐसा करके हम एक अच्छा कदम उठाएंगे।

**श्री सभापति**: जरा यह क्लीयर कर दें कि बिजली की सप्लाई के लिये जो आपने तीन ग्रुपस बनाएं हैं, वे कब से शुरू कर रहे हैं?

**श्री ए.सी.चौधरी**: यह पालिसी आज से ही शुरू हो रही है। कल रात को हिदायतें दी गई हैं और आज शाम से यह आदेश ग्रुपिंग में लागू हो जाएंगे? इस बात का मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं।

**चौ. ओम प्रकाश बेरी**: सभापति जी, मंत्री जी ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया हैं कि हरियाणा प्रान्त में बिजली की बुरी हालत है। वे बताएं कि इसको सुधारने के लिये वे क्या कदम उठा रहे हैं? इस बारे में कोई विशेश चच्रा नहीं की गयी है। मैं उन से सवालों के रूप में कुछ कहना चाहता हूं। आज जो स्थिति हरियाणा प्रदेश में बिजली के बारे में है, खासतौर पर ऐग्रीक्लचर सैक्टर में, वह बड़ी ही चिन्ताजनक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने बाहर की कम्पनियों के साथ, गैस के मामले में, बिजली के मामले में जो उदारीकरण की नीति अपनाई

है, और हरियाणा सरकार यमुनानगर के अन्दर जो थर्मल प्लांटस लगाने की योजनाब बना रहा है, क्या उसमें हरियाणा और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा होगा, या इस मामले में किसी कंपनी से कंटैक्ट करने की बात हो? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि पिछले दो सालों के अन्दर बिजली की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है, इसको सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है, कौन कौन सी कम्पनियों से सरकार ने इस बारे में कंटैक्ट किया है। ताकि जो नई योजना बिजली के उत्पादन के बारे में है, वह क्रियान्वित की जा सके। दूसरी बात यह है कि एन.टी.पी.सी. सैन्ट्रल ग्रिड से, हरियाणा को जो बिजली मिलती है, हरियाणा सराकर ने उसकी पेमैन्ट नहीं की है। इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार को चेतावनी भी दी गई और बिजली भी बन्द कर दी गई। उन्होंने कहा था कि आप पेमैंट करें, वरना बिजली नहीं मिलेगी। इसी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड से थर्मल प्लांट के लिये जो कोयला आता है, उसका भी हरियाणा सरकार की तरफ सात करोड़ रूपया बकाया है जिसके कारण कोयले की सप्लाई थर्मल प्लांटस को ही हो पा रही है इसी कारण से बिजली के उत्पादन पर भी असर पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले एक साल के अरसे के अन्दर थर्मल प्लांटस में पासर जनरेशन की कितनी कमी आई? पावर ज्यादा जनरेंट हो, इस बारे में सरकार क्या सुधार करने की सोच रही है? इसके अलावा, डब्ल्यू.जे.सी. पर यू.पी. गवर्नमैंट ने आठ हाईडल प्रोजैक्ट लगा रखे हैं, तो क्या हरियाणा सरकार भी उसी तरह से

हाईडल प्रोजैक्ट लगा कर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सोच रही है।

**श्री ए.सी. चौधरी**: चेयरमैन साहब, मैंने जो बात कही थी, मेरे भाई ने उसी को रिपीट किया है। सरकार इस बात को मानती है कि बिजली की कमी है। बगैर किसी किस्म की लाग–लपेट के, मैं यह बात कहता हूं कि बिजली की बहुत कमी हे। उसका करण मैंने बताया है। एक तो कुदरत की मेहरबानी है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई। दूसरे, दो तिहाई बिजली का हिस्सा हम बाहर यानी नार्दर्न ग्रिड से लेते हैं। आज भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितना हमारा नार्दर्न ग्रिड से डयू बनता है, उससे हम ज्यादा ले रहे हैं। हम हर कोशिश करते हैं कि स्टेट में कम से कम कट हो। हम अफसरों से टेलिफोन द्वारा अपना सम्पर्क बनाए रखते हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट ने भी माना है और अभी साल्वे जी ने एक परपोजल दी है कि ये एक डैपटेशन लेकर विदेशों में जाएंगे ताकि बिजली के साधनौं को एकसप्लोर किया जा सके। मेरे भाई बेरी साहब ने दो तीन सवाल किए हैं। एक तो उन्होंने यह जानने की चिन्ता प्रकट की है कि बिजली की हालत में कैसे सुधार हो। आज बिजली की जनरेशन की कास्ट इतनी बढ़ गई हे जो दो रूपए पर यूनिट को क्रौस करने जा रही है। आने वाले वक्त में जो नए थर्मल लगेंगे, उनकी कौस्ट तीन रूपए से भी ज्यादा बढ़ जाएगी बल्कि साढ़े तीन रूपए पर यूनिट से भी ज्यादा हो जाएगी। इन हालात में भी हम 68 प्रतिशत बिजली एग्रीकल्चर

सैक्टर को दे रहे हैं। उनसे हम 50 पैसे परयूनिट लेते हैं लेकिन हमारी जो आवत है, वह 23 पैसे पर–यूनिट है। आज जो आपात हालात में बिजली बोर्ड को पर–र्ड एक करोड़ रूपए से भी ज्याद का नुकसान हौ। जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि जो हम से पहले राज करने वाले साथी थे, उन्होंने बिजली के बारे में बताया था कि जो हमसे पहे राज करने वाले साथी थे, उन्होंने बिजली के बारे में बताया ओर वे दावा करते हैं कि उनके वक्त में बिजली को स्थिति में सुधार आया था। मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भैंस या गाय, 4–5 किलो दूध रोज दे रही है और उसकी खाल उतार कर उस दूध को 10–12 किलो करेंगी तो वह मरेगी ही। हमारे इन भाईयों ने, जिस पावर हाउस की लाइफ 80 साल की थी, उसकी 20 साल कर दिया। तो यह समस्या भी हमारे सामने है। एक पावर हाउस साढ़े पांच साल, 6 साल में लगता है। बेरी साहब ने जो सवाल किया है, उससे मैं सहमत हूं। दो काम हम बहुत तेजी से करने लगे है, जैसे लाइनों की कैपेसिटी। आज हमारा सिस्टम सचुरेटिड प्वांयट पर है। अगर जरा भी पावर का लोड बढ़ाए तो तारें कट कर गिर जाती हैं क्योंकि वे पतली हैं। इस सैक्टर में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि लाइनें इम्प्रूव हों, वरना आपात कालीन स्थिति हमेशा बनी रहेगी। हमारी कोशिश यही है कि रैनोवेट करने इसको लेटैस्ट किस्म के सिस्टम में ले आएं। दूसरे हम मौजूदा थर्मल्ज में स्टैंडबाई यूनिट स्थापित करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उसे फीडिग देकर उससे लगभग 8 या 9 लाख यूनिट एडीशनल बिजली ले सकें। हमारे

पास पानीपत का 210 मैगावाट के थर्मल प्लांट का एक प्रस्ताव है, उसे हम तेजी से पूरा कर सकें, लेकिन इसके लिए हमें 300 करोड़ रूपया चाहिए और रैनोवेशन के लिए 100 करोड़ रूपया चाहिए। जब से मैंने मुख्यमंत्री जी से इस महकमें का चार्ज किया है, उस सयम से मैं पैसे पैसे की रट लगा रहा हूं। कुछ पैसा कल मिला है। मैं अपनी प्लानिंग के मुताबिक, इन्हीं दो बातों को प्राथमिकता देते हुए, इस मामले में सचेत हूं और सरकार भी पूरी चौकसी बरत रही है कि आने वाले समय में जो डैफिसिएंसी है, जो शार्टफाल है, जो हर रोज बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसको मदेनहर रखते हुए हम सिस्टेमैटिक–वे में, इस तरीके से बिजली की आपूर्ति करें ताकि लोगों की जो तकलीफ है, वह कम से कम हो। आगे चल कर अगर सरकार हमें पूरा पैसा उपलब्ध करवा पाती है तो नई स्कीमें आपके समक्ष हैं। हम यमुनानगर में, एक हजार मैंगावाट के थर्मल पावर प्रोजैक्ट की स्कीम शुरू कर चुके हैं। इनके अलावा, फरीदाबाद, हिसार और पलवल की भी स्कीमें हैं। इन सारी स्कीमों की एप्रूवल ले ली है। जहां जहां भी हमारे पास साधन बन पाए, कहीं तो हमने अपने साधनों से, कहीं, हमने एन.आर.ई.पी. और एन.टी.पी.सी. से मदद ली और कहीं हम विदेशी पूजी–निवेश की तरफ ध्यान कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सारी स्कीमें पूरी हो जाएंगी। मैं कहना चाहूंगा कि थर्मल पावर प्रोजैक्ट बायेबल नहीं रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि इसकी स्टडी करने से नजर आता है कि बिजली का रेट 3 रूपए पर यूनिट से ऊपर चला जाएगा और हो सकता है यह

साढ़े तीन और पौने चार रूपए तक हो जाए। यह रेट आम उपभोक्ता की कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। अगर खेतों में उसके उपर प्राइवेटइजेशन अलाऊ करेंगे तो मेरे भाई सहमत होंगे कि किसान इतनी मंहगी बिजली नहीं ले पाएगा और नतीजा यह होगा कि अनाज की उपज में कटौती हो जाएगी। वह देश के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमें थर्मल पावर प्रोजैक्टस की मांग बंद करके हमें कोई न कोई ऐसे सिस्टम पर आना पड़ेगा। जो अटोमिक हो या जो हिमाचल प्रदेश बगैरह में जल द्वारा प्रापत बिजली हे, उस पर हम आधारित होंगे, लेकिन हमारे पास रिकार्ड पर जो स्कीम चल रही है, उनको कार्यान्वित करने के लिए हम संलग्न हैं।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: चेयरमैन साहब, बिजली मंत्री जी ने दो बातें कनफैस की हैं। एक तो यह कि डिपार्टमैंट मुझे तब मिला जब इसकी पीठ दिवार से लग चुकी थी। यह बात इन्होंने बड़ी कटु सत्य कही है। दूसरी उन्होंने अपनी विवशता दर्शाई कि मौजूदा इन्फ्रास्ट्रैक्चर से पावर जनरेशन नहीं बढ़ सकती। यह भी उन्होंने ठीक कनफैशन किया। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली के क्राइसिज को देखते हुए, क्या इन्होंने पावर जनरेशन के प्रोसैस को देखने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए क्या एक्सपर्टस की एक सुपरवाईजरी कमेटी बनायेंगे? (इस समय सभापतियों की सूचि में से माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह पदासीन हुए।) चेयरमैन साहब, बिजली

मंत्री महोदय को बिजली महकमें में आये अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस क्राईसिज में से स्टेट को बचाने के लिए, गावों में या शहरो में, कोई सुपरवाईजरी कमेटी या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का कोई मामला विचाराधीन है? इस देश में जो सबसे बढ़िया जैनरेशन सिस्टम वाली स्टेटस हैं, जिनकी पावर जैनरेशन कैपेसिटी 98 प्रतिशत है, जैसे आन्ध्र प्रदेश है, बम्बई या टाटा जैसी संस्थाएं हैं। चेयरमैन साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 98 प्रतिशत कपैसिटी तक जो संस्थाएं पावर जैनरेट करती हैं, क्या उनके साथ विचार विमर्श करके एक्सपर्टस की कोई कमेटी बनाई गई है ताकि अपने यहां भी पावर जैनरेशन को बढ़ाया जा सके?

**श्री ए.सी. चौधरी**: चेयरमैन साहब, भाई राम बिलास शर्मा जी ने सवाल किया कि बिजली को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्सपर्टस की कोई कमेटी बनाएंगे। चेयरमैन साहब, इन्होंने पहले तो मेरे बिजली मंत्री होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। मैं इनको बताना चाहूंगा कि चाहे मुझे इस मिनिस्ट्री में आए हुए 15 दिन ही हुए हैं, ये कोइ सवाल एक्स–टैमपोर पूछ ले, मैं इनको जवाब दूंगा। मुझमें कैलिबर है और अनुभव भी है, काम को अपने तरीके से करना मैं जानता हूं। हमने अपने तौर पर बाकायदा एक कमेटी बनाई है जिसमें आदरणीय चेयरमैन साहब भी मैम्बर हैं। हमने योग्यता के आधार पर, चाहे कोई व्यक्ति कहीं पर भी है, उसकी योग्यता का लाभ उठाने की कोशिश की है। चाहे ऐसे व्यक्ति स्टेट

में हैं चाहे बाहर से लेने पड़े हैं, जहां से भी मिलें हम लेने को तैयार हैं, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। चाहे कोई एग्रीकल्चर का काम करता हो, चाहे रिटायर्ड व्यक्ति हो, जो भी हो, जिसको बिजली की जानकारी है, उनसे सम्पर्क किया है, उनकी ऐडवाईस ली है। यदि आपकी नालेज में कोई ऐसा एक्सपर्ट व्यक्ति हो जो हमें इस मामले में सहयोग कर सकता है, बतायें, हम उसका स्वागत करेंगे।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है कि रिवाड़ी, कनीना और महेन्द्रगढ़ पावर हाउस तीनों टेल पर होने के नाते उनका सिस्टम फेल्योर की ओर जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उसको दिल्ली के साथ जोड़ेंगे? क्या बाड़ौली पावर हाउस को महेन्द्रगढ़, नांगल सिरोही से जोड़ने का कोई प्रयास करेंगे क्योंकि बीजाई का सीजन है, इसलिए क्या यह काम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे?

**श्री ए.सी. चौधरी**: चेयरमैन साहब, यह बात सही है कि दक्षिणी हरियाणा में सिचाई के साधन नहीं है। जो सिंचाई टयूबवैल्ज के जरिये होती है, इस बारे में अगर ये पहले सवाल पूछते तो मैं इनको वरबैटम जवाब देता लेकिन में इनको बताना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार पूरी तरह से सचेत है। आने वाली फसल के लिए बिजली का इन्तजाम करेंगे। जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमैंट और अवेलेबल पावर है, उसको हम ईक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्कीम के बारे में हाऊस के अन्दर अगर ये

चाहेंगे तेा कल बता दूंगा, या हाउस से बाहर, जब भी यें चाहें, इसका जवाब मैं दूंगा।

**साथी लहरी सिंह**: चेयरमैन साहब, मेरा कालिंग अटैन्शन मोशन नहीं आया।

**श्री सभापति**: आपका कालिंग अटैंशन मोशन इसी के साथ क्लब कर दिया गया है इसलिए आप सवाल पूछिये।

**साथी लहरी सिंह**: मेरा सैपरेट कालिंग अटैंशन मोशन है। (विघ्न) मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डब्ल्यू.जे.सी. ओर आगुमैंटेशन कैनाल दोनों चले रही हैं। हमारी फसल उजड़ रही है, फसल को बचाने के लिए 15–20 दिन के लिए इनमें पानी दीजिए, यही मेरा निवेदन है।

**प्रो. सम्पत सिंह**: चेयरमैन साहब, आप भी मंत्री थे। अभी मंत्री जी ने कहा है कि अगर ज्यादा बिजली खीचीं जाए तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई भैंस चार किलो दूध देती है, अगर 7 किलो उसका दूध निकाला लो तो भैंस मर जायेगी। चेयरमैन साहब, जो भैंस चार किलो दूध देती है वह सात किलो कैसे दे सकती है? इसी तरह से बिजली ज्यादा देने की वजह से यह व्यवस्था हो गई है।

**श्री ए.सी. चौधरी**: चेयरमैन साहब, मैंने दूध निकालने की बात नहीं कही थी बल्कि चेश्टा करने की बात कही थी। (शोर एवं व्यवधान)

**प्रो. सम्पत सिंह**: चेयरमैन साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

**श्री सभापति**: अब कोई क्वैश्चन नहीं होगा आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

**प्रो. सम्पत सिंह**: चेयरमैन साहब, एक सवाल उठा था और पिछले सैशन में सुझाव आया, इन्होंने जैनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग–अलग कर दिया। कया इस बारे में इन्होंने सोच विचार किया है? (शोर एवं व्यवधान)

## ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

## (ii) जिला भिवानी में सिंचाई के पानी की भारी कमी होने संबंधी

**Mr. Chairman**: Sampat Singh Ji, no question please. Please take your seat. Hon'ble members, I have received a Calling Attention Notice No. 14 from Sarvshri Bansi Lal, Amar Singh, Ram Bhajan, Chhattar Singh, Dharampal Singh, Karan Singh Dalal, Smt. Janki Devi, Pir Chand, Lehri Singh and Attar Singh regarding acute shortage of irrigatin water in district Bhiwani. I admit it. Sh. Karan Singh Dalal may read the motion and the concerned Minister may make his statement thereafter.

**श्री कर्ण सिंह दलाल**: सभापति महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि समस्त भिवानी जिले में तथा राज्य के दूसरे

भागों में सिंचाई पानी की भारी कमी है तथा इसके अभाव में खरीफ फसल लगभग सूख गई है और आगामी रबी फसल की बीजाई के कोई आसार नहीं है। भिवानी जिला सूखा होने के कारण वहां की भूमि को अधिक सिंचाई पानी की आवश्यकता है। इसलिए किसानों को नहरी पानी की बहुत जरूरत है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दें।

## वक्तव्य

## सिंचाई मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

**Irrigation Minister** (Sh. Jagdish Nehra): Mr. Chairman Sir, the areas of Bhiwani District receive irrigation through Western Yamuna Canal, Jui Canal, Sewani Canal, Loharu Canal and JLN Canal System. Teh WJC, Jui Canal and Sewani Canal Systems are perenial whereas Loharu and JLN System are non-perennial. Both these non-perennial systems presetnly get water from river Yamuna during monsoon period and would become perennial on completion of the S.Y.L. Canal.

The total available water at Tajewala in River Yamuna are distributed in terms of inter-State-Agreement of 1954 between the Western Yamuna Canal and Eastern Yamuna Canal. The maximum carrying capacity of WJC at Dadupur is 12500 cs. The position of the daily discharge (average of 10 days) of the supplies carried through WJC at Head during July and August this year and last Year is given as under:

| July | 1992 (in cusecs) | 1993 (in cusecs) | |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 3871 | 4626 | |
| 11-20 | 7669 | 1298 | (WJC was closed from head from 12-7-93 to 19-7-93 due to heavy rains) |
| 21-31 | 11983 | 4069 | (Carrying capacity was restored gradually on account of repairs of breaches etc.) |
| August | | | |
| 1-10 | 12896 | 10208 | |
| 11-20 | 10612 | 9872 | |
| 21-31 | 11105 | 9443 | |

Supplies available in WJc during August this year were less than those of corresponding period of last year. The WJC was not run from 12th July to 19th July due to heavy rains and supplies were increased gradually from 20th August to 31st August due to repair of number of breaches/damages in the system. The available water in Jamuna from 11th July to 31st July. 1993 was also less, as compared to water available in the corresponding period of last year.

The total available water in W.J.C. during August was sufficient to meet the requirements of two groups fully and one groups partially out of four groups. The perennial

channels of District Bhiwani get water when any of Butana, Sunder and Anta group is running. The total under of days when these groups were run during August are given as under :-

| | | Butana | Sunder | Anta |
|---|---|---|---|---|
| (i) | When full indent was met | 14 days | 16 days | 18 days |
| (ii) | When partial indent was met | 6 days | 11 days | 4 days |

Thus the channels irrigation Bhiwani District have run more than 15 days during August but the impact of drought is bieng felt pre-domunantly as there were no rains in Bhiwani area.

The Yamuna waters carry silt during rainy season, which restricts the carrying capacity of the canals resulting in shortage of water in the tails of the canals system especially those located in Tibba areas. Efforts would be made to get the channels desilted before the Rabi season, so as to enable the farmers to sow the Rabi crops in time.

(इस असमय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

**श्री अमर सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय क्या आनरेबल इरीगेशन मिनिस्टर यह बताने का कश्ट करेंगे कि नहरों में हैड और टेल पर पानी का इतना अन्तर क्यों है? आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट में नहरों में पानी कम जा रहा है। अगर वहां परी दो तीन हफ्ते में पानी जाता भी है तो हैड के लोग तो इजज्वाय कर

लेते हैं और टेल के लोग देखते रह जाते हैं। इसलिए आपको हैड और टेल के बारे में विचार करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, हैड लोग बाकायदा नहरों में घुल्लु करके, मौहरियां बनाकर पानी लगा लेते हैं जिसके कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचता। टेल पर पानी पहुंचाने के लिए काननूी व्यवस्था होनी चाहिए। टेल पर लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। वाटर वर्क्स खाली पड़े हैं। धमाना माईनर पर नलवा गांव है जो टेल पर पड़ता है। वहां पर पानी पहुंचाने के लिए अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन आऊट लैट बंद कर देता है, चैक कर लेता हे तो वहां पानी पहुंच सकता है अदरवाईज वहां पानी नहीं पहुंचता है, वह खाली पड़ा रहता है। उस आउट लैट पर सात गांव पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बारे आन दि फलोर आफ दि हाउस यह आश्वासन दें। टेल ऐंड पर तीन दिन पानी जाता है और तीनों दिन पीन नहीं पहुंचता। टेल वाले लोग जिनकी पीने का पानी नहीं मिलता आखिर में उनकी कहीं पर आपस मैं लाठियों से भिड़न्त न हो जाए। आप आश्वासन दें कि हैड और टेल के लोगों में कोई अन्तर नहीं होगा। पानी का पूरी तरह से वितरण होगा। माईनर, सब–माइैनर और डिस्ट्रीब्यूटरीज में जिन नहरों से पानी जाता है, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कहीं ऐसा न हो कि टेल के लोग पानी का इन्तजार ही करते रह जाएं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि भिवानी जिले में आप स्वयं भी पिछले दिनों बारिश से पहले गए थे, आपने यह बतलाया था कि वाकई पीने के पानी की कमी है और टेल ऐन्ड पर पानी नहीं जाता। इरीगेशन और पब्लिक

हैल्थ डिपार्टमैंट का आपस में काई को–आर्डीनेशन भी नहीं है, जैसे नलवा वाटर सप्लाई स्कीम का को–आर्डीनेशन आपस में नहीं है। इरीगेशन का काम भिवानी जिले में और पब्लिक हैल्थ को पानी देने का काम हिसार में दे रखा है, उनका तालमेल नहीं बनता, इसलिए जो भी पानी का मामला है यानी जो टेल ऐंड तक इरीगेशन के पानी का इन्तजाम तथा पब्लिक हैल्थ के पानी का इन्तजाम एक ही प्रशासन के अधीन होगा चाहिए। तीसरी बात मैं एक और चाहता हूं। नेहरा साहब इरीगेशन डिपार्टमैंट के बहुत काबिल मंत्री हैं। पहले हम यह समझते थे कि तत्कालीन मिनिस्टर साहब भिवानी जिले में पानी नहीं देते उसी तरह से यह भी इस मामले में कायम हैं। ये खुद जाकर देख आए और इन्होंने बताया कि वाकई लोगों की शिकायत जायज है। पानी खेतों में कम जाता है और पीने के पानी की भी कमी है। हम जानना चाहते हैं कि पानी कब तक दे दिया जाएगा? हरियाणा के 3–4 जिलों में 21 दिन और बाकी जिलों में 7 दिन में 3 दिन पानी मिलता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐन पार हो जाए तो भी हार्ट बनिंग नहीं होगी लेकिन आप किस तरह से एट पार कर सकते हैं? आप 21 दिन में 10 दिन इनको और 10 दिन उनको पानी दे दें, तो किसान बराबर अपने खेतों को पानी दे पाएगा। किसान खेती में बड़ी भारी दिक्कत महसूस कर रहे हें। इसका हल निकालना है।

**चौ. जगदीश नेहरा**: डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य का पहला सवाल है कि टेल और हैड पर पानी का बराबर

वितरण होना चाहिए। उनकी यह बात बिल्कुल ठीक है और इरीगेशन विभाग इसके लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैंने खुद भिवानी, नारनौल जाकर इस बारे में एस.पी. और डी.सी. का मींटिग बुलाई था ताकि जिस टाइम पानी की दिक्कत होती है उस टाइम पैट्रोलिंग हो। एस.डी.ओ. जीप लेकर, पुलिस लाइन से पुलिस साथ लेकर जाएं ताकि जो पानी की चोरी हो रही है, वह कम हो। काफी जगहों पर तो यह काफी क्रौनिकल है। बवानीखेड़ा टेल पर है, टेल पर पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंचाई विभाग और हरियाणा सरकार कोशिश का रही है कि पानी का वितरण बराबर हो और जिसका जितना हिस्सा है, उतना मिले। यह न हो कि दूसरे आदमी उसका हिस्सा ले जायें इसके लिये हम पूरी चौकसी बरत रहे हैं। दूसरा क्वैश्चन यह था कि पांच जिलों में वाटर वर्क्स से पानी नहीं पहुंचता। इस बारे में कुछ दिक्कत है। पिछले महीने मैं वहां पर गया था। मैंने एस.ई. पब्लिक हैल्थ, एक्स.ई.एन. इरीगेशन और आल डी.सीज. को बुलाया। मैंने डी.सी. नारनौल और डी.सी. भिवानी के जिम्मे यह काम लगाया है और कहा है कि वे एस.ई. को बुलाकर इनका आपस में तालमेल करें। चाहे मोघे बन्द करें, चाहे सिंचाई की माईनर्ज को बन्द करें, पहले आदमियों को पीने का पानी मिले, फिर पशुओं को दिया जाये। मैंने डी.सीज. की अध्यक्षता में यह काम उनक जिम्मे लगाया है।

**श्री कर्ण सिह दलाल**: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यह काल अटैंशन मोशन

जो लाया गया था, यह पूरे प्रदेशन के लिये ही है, लेकिन जो जवाब इन्होंने दिया है, वह ज्यादातर भिवानी जिले की व्यवस्था जो इन्होंने की है, के बारे में दिया है। जहां तक मेरे फरीदाबाद जिले का, विशेशकर मेरे हल्के पलवल का सवाल है, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वहां पर इतना पानी है कि वहां से पूरे फरीदाबाद जिले के लिए और मेवात तक के लोगों के लिए पानी मिल सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां से आगरा नहर गुजरती है। इस वक्त आगरा नहर में पूरा पानी है। जितना पानी पहले कभी तय हुआ होगा, उसके काफी ज्यादा पानी इस वक्त आगरा कैनाल में है। उस फालतु पानी को आगरा कैनाल के अधिकारियों से बातचीत करके लिया जा सकता है। हमारे इलाके पलवल में से एक गोच्छी ड्रेन गुजरती है। उसमें इस पानी को डाला जा सकता है। जहां तक आगरा नहर के नियंत्रण की बात है, उसका तो हम फिलहाल अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन बातचीत करके यह काम कर सकते हैं। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार से इस बारे में बात नहीं हो जाती, तब तक हम यह रजवाहे खुदवा सकते हैं। उन रजबाहों के जरिये, फरीदाबाद जिले के बीच में से जो गोच्छी ड्रेन गुजरती है, उसमें पानी को लाया जा सकता है। इससे कम से कम 90–100 गांवों को पानी मिल सकता है। गोच्छी ड्रेन में पानी डलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बारे में आगरा कैनाल के अधिकारियों से बात कर ली जाये। इस तरह कम से कम हमारे 90–100 गांवों

को फायदा हो सकता है और पानी मिल सकता है। इसके अलावा गुड़गांवा नहर की जो कैपेसिटी है वह केवल 240 क्यूसिक पानी की है मगर अफसोस इस बात का है कि उसमे 1968 से अब तक केवल 300 क्यूसिक पानी ही चला है, इससे फालतू पानी कभी नहीं चला है। इस वजह से गुड़गांवा नहर का सिस्टम अधूरा पड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हरियाणा में गुड़गांवा नहर अपनी किस्म की सबसे बड़ी नहर है। लेकिन इससे निकलने वाले रहबाहे आज भी अधूरे पड़े हैं। बल्लभगढ़, रामपुर खोद और उटाबड़ डिस्ट्रिक्ट ब्यूटरीज हैं, उनकी न तो किसी ने नालियां बनायी है और न ही कोई दूसरा काम किया है। इसलिये इस नहर में अगर कुछ पानी आता भी है, तो वह आगे राजस्थान में निकल जाता है ओर हमारे जिले के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बारे में गौर फरमायें। आगरा नहर से पानी लेकर गोच्छी ड्रेन में डलवाने का प्रबन्ध करें। दूसरे गुड़गांवा कैनाल की सफाई भी नहीं हुई है। इसकी सफाई वगैरह भी करवाने का तुरन्त प्रबन्ध करें। अगर मेरी बात को गलत समझें तो मंत्री जी बेशक मेरी बातों की जांच करवा ले। अगर गुड़गांवा नहर की सफाई करा दी जाये तो हमारे फरीदाबाद जिले के लोगों को ही नहीं बल्कि मेवात तक के इलाके के लोगों को फायदा हो सकता है। (व्यवधान व शोर) क्या मंत्री महोदय आगरा कैनाल कर पानी गोच्छी ड्रेन में डलवाने तथा गुड़गांव कैनाल के पानी की कैपेसिटी बढ़ाने पर विचार करेंगे?

**चौ. जगदीश नेहरा**: डिप्टी स्पीकर साहब, दलाल साहब ने जो बात कही है, वह बिल्कुल उचित है। फरीदाबाद में सिंचाई को जो मैनेजमैंट है, वह यू.पी. के पास है और काफी दिनों बात चल रही है कि उसका मैनेजमैंट हरियाणा को दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों मीटिंग भी की और केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से भी कहा। केन्द्र के लोग कहते हैं कि सारा एग्रीमैन्ट हो, तभी फरीदाबाद की सिंचाई का मैनेजमैंट हरियाणा को दिया जा सकता है। दूसरी बात इन्होंने गोच्छी ड्रेन में पानी डालने की कही। मैं विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूछूंगा कि इस बारे में क्या हो सकता है। मैं आज ही विभाग के अधिकारियों को कह दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर पानी डल सकता हो तो डाला जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने गुड़गांव कैनाल के बारे में कहा। इनकी बात दुरूस्त है कि गुड़गांव कैनाल की स्थिति ठीक नहीं है। इसका कारण ऐग्रीमैन्ट न होना है। यमुना के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब तक ऐग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक हालत ठीक नहीं होगी। राजस्थान को भी पानी जाता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भेरो सिंह शेखावत के साथ मीटिंग करके उनको मनवा भी लिया था ताकि गुड़गांव कैनाल बन सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा आना है। अगर ऐग्रीमैंट हो जाता है तो आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल दोनों की समस्या हल हो जाएगी। गुड़गांव कैनाल की तो मैं नहीं कह

सकता कि उसकी हालत सुधरेगी या नहीं, लेकिन फरीदाबाद के बारे में जो कहा है, उसके लिए कोशिश करेंगे कि गोच्छी ड्रेन में आगरा कैनाल का पानी डाल दिया जाए।

**साथी लहरी सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय दादूपुर के पास वैस्टर्न यमुना कैनाल से यमुना औगमैटैशन कैनाल निकलती है। उसमें सिल्ट काफी जमा हो गई है। इसके कारण 1992 में जितना पानी चला 1993 मे उससे तीन चौथाई पानी चला उसका मेन कारण यह है कि वैस्टर्न यमुना कैनाल में सिल्ट जमी हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टेल तक पानी पहुंचाने के लिए, वैस्टर्न यमुना कैनाल में डीस्लिटिंग का काम कब शुरू करवाएंगी और इस साल में, क्या डीस्लिटिंग के लिए पैसे का प्रोवीजन किया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। क्या वैस्टर्न यमुना कैनाल का पानी हमारी फसलों को बचाने के लिए भी देगे?

**चौ. जगदीश नेहरा**: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े देकर बताया था कि अगर बारिश का पानी यमुना में आता है, तो हम आगे पानी डाल देते हैं और अगर नहीं होता तो हमारी मजबूरी है। दक्षिणी हरियाणा की तरफ के लोग यह कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। भाखड़ा से ज्यादा पानी दिया जाता है। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि भाखड़ा पर बांध बना हुआ है ओर बांध बनने से लीन सीजन के समय ही भाखड़ा से पानी अवेलेबल होता है। यमुना नदी पर कोई बांध नहीं है। बारिश के

समय तो पानी बहुत है लेकिन सर्दियों के समय, जब पानी की जरूरत होती है, दो हजार क्यूसिक पानी भी नहीं होता। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पानी की अवेलेबिलिटी सारा साल तभी हो सकती है जब किसान डैम और रेणुका डैम बन जाएं। ये डैम एक यू.पी. में है और एक हिमाचल में है और पांच स्टेटस इसमें इन्वाल्ड हैं। अगर इन पांच स्टेटस, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यू.पी. और दिल्ली का ऐग्रीमैंट हो जाए तो सैन्टर भी पैसा देगा और वर्ल्ड बैंक से भी पैसा मिल जाएगा। केन्द्र पैसा देने के लिए तैया है लेकिन जब तक ऐग्रीमैंट नहीं हो जाता तब तक पैसा नहीं जाएगा। बांध बनने से यह फायदा होगा कि जब पानी की जरूरत होगी तो दिया जा सकता है और अगर जरूरत न हो तो पानी रोका जा सकता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा इन्होंने कहा है कि इन्हें पानी दिया जाएगा। मैं इनकी बताना चाहता हूं कि ज्यों–ज्यों पीछे से पानी यमुना में आएगा, उसी ढंग से हम उसको वितरित करेंगे। जब जैसे मैं आपको बताता हूं कि परसों पानी 7 हजार क्यूसिक था, उसके बाद बारिश हो गई तो साढ़े 12 हजार क्यूसिक हो गया। आन से 8–10 दिन पहले पानी 24 हजार क्यूसिक आया था लेकिन दो दिन ही रहा। उस समय हम सारे ग्रुप चलाते हैं, जैसे आन्टा ग्रुप, सुन्दर ग्रुप और भालौट ग्रुप। ये सारे चलते हैं लेकिन जब पीछे से पानी की कमी हो जाती है तो ये सरेर ग्रुप नहीं चलते। इसीलिये पानी की दिक्कत आ रही हैं (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर ऐग्रीमैंटस के बारे में भी कहा जा रहा है। शायद इन्होंने ऐग्रीमैंट पढ़ा नहीं। 1954 में यह हुआ

था कि हम वन थर्ड पानी ईस्ट यमुना कैनाल को देंगे जो यू.पी. को जाती है और टू थर्ड वैस्टर्न यमुना कैनाल को देंगे जिसका पानी हमारे यहां आता है। 1954 को जो ऐग्रीमैंट है, वह 2000 तक लागू होगा। इस पर चार–पांच सूबे ऐग्रीमैंट करने भी जा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में मीटिंग भी बुलाई हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अगर यह मीटिंग हो जाए तो ठीक रहेगा, जैसे दादू पुर नलवी की स्कीम है, यह भी वर्ल्ड बैंक की स्कीम है। यमुना की कपैसिटी भी बढ़ानी है, वह भी है। डब्ल्यू.जे. सी. की कपैसिटी साढ़े 12 हजार क्यूसिक्स है। डिप्टी स्पीकर सर, एम.ओ.यू. भी साई होना है। जो ऐग्रीमैंट है, वह 23 हजार क्यूसिक्स पानी का है। पानी की कपैसिटी को मदेनहर रखते हुए हम डब्ल्यू.जे.सी. बनाएगे ताकि उसमें दुगुना पानी आ सके। अब देखना यह है कि यह ऐग्रीमैंट होता कब है क्योंकि जब सारे सूबे इसकी मन्जूर करेंगे तभी एग्रीमैंट होगां इसमें डिप्टी स्पीकर सर, कई क्लाजिज ऐसी हैं जिन पर कई भाइयों को ऐतराज है, कई कलाजिज पर राजस्थान सरकार को ऐतराज है, इसलिये यह ऐग्रीमैंट जल्दी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से और शुक्ला जी की तत्परता से लगातार इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पिछले एम.ओ.यू. साईन होते होते रह गया है क्योंकि कई सूबों में गवर्नरी राज हो गया। उनकी सरकार ने ऐतराज कर दिया कि जो पापुलर सरकार आएगी, वही इस ऐग्रीमैंट पर साईन करेगी, इसलिये यह मामला

थोड़ा–सा आगे सरक गया। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ऐग्रीमैंट हो।

## बिल्ज

### (i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 1993

**Mr. Deputy Speaker**: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill and also move the motion for its consideration.

**Finance Minister** (Sh. Mange Ram Gupata): Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1993.

Sir, I also move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

**श्री बंसी लाल** (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। यह 1987–88 की एक्सैस डिमांडज का एप्रोपिएशन बिल है, इस पर तो मैंने कुछ नहीं कहना लेकिन चूंकि इसमें कोआप्रेशन की भी डिमांड है इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे जो कोआप्रेटिव सैक्टर के शूगर मिल्ज हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। जब करनाल का शूगर मिल बना था, उस समय उस शूगर मिल के नीचे 25 हजार एकड़

गन्ने का रकबा था जो इस साल पांच हजार एकड़ के आस पास रह गया है। इसी तरह से शाहबाद की मिल के पास दो महीने से ज्यादा क्रश करने के लिए गन्ना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं यह गन्ने का रकबा दिन प्रति दिन घटता क्यों जा रहा है? सरकार को चाहिए कि गन्ना ज्यादा से ज्यादा पैसा करे क्योंकि आज हमें यू. पी. से गन्ना लाना पड़ता है। इसलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे कि गन्ने काश्त कैसे बढ़ाई जा सकती है? धन्यवाद।

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the House will consider the Bill clause by Clasue.

**Clause 2**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 3**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Schedule**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**ENACTING FORMULA**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**TITLE**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

**Finance Minister** (Sh. Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Bill be passed.

**श्री अमर सिंह** (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का दो चार मिनट का समय लेना चाहूंगा। ये डिमांडज 1987–88 की थीं और इनका ऐप्रोप्रिएशन बिल अब पास हो रहा है। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि मई, 1987 में जिन माइनर्ज का बाकायदा उस समय के इरीगेशनी मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा था जैसे तालू माइनर एक्सटैंशन, खानक माइनर एक्सटैंशन, नलवा माइनर एक्सटैंशन, और गौंडा वास माइनर एक्सटैंशन, इनके लिए बाकायदा बजट में प्रोवीजन करना चाहिए। उसको अमलीजामा पहनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे गये थे लेकिन 1987–88 में इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके लिए जो भी बजट रखा गया था, उसे डाईवर्ट करके दूसरी जगह लगा दिया गया। वे स्कीमें किसान हित में थी। इनसे लोगों को सिंचाई की सुविधा मिलती। जैसे तालू माइनर की एक्सटैंशन है, यदि तालू माइनर की एक्सटैंशन नहीं की जाती तो चार गांवों को नुक्सान होता है। तालू माइनर से इस समय केवल एक ही गांव को पानी मिल रहा है। सिंचाई मंत्री जी को इस बारें में पता है। इस माइनर की टेल पर लोहरी जाटू गांव है, उस गांव की वाटर सप्लाई स्कीम में भी पानी नहीं जा रहा। इसी तरह से मेहराना गांव की वाटर सप्लाई स्कीम में पानी नहीं आता है।

मेहराना हमारे एक बहुत सीनियर आइ.ए.एस. औफिसर श्री के.सी. शर्मा का गांव है। जब से इस माइनर की टेल पर पानी ले जानना चाहते हैं तो डी.सी. से साठगांठ करके ले जाते हैं, वरना टेल पर पानी नहीं जाता। तालू माइनर की एक्सटैंशन के लिए पैसा सैक्शन हो चुका है, स्कीम पास हुई हुई है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि तालू माइनर की फाईल टांड के ऊपर से उतार कर दफतर में ले जाएं और उस पर कार्यवाही शुरू करें ताकि यह प्रोब्लम हल हो सके। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मैडीकल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। आयुर्वेदिक में वैद्य और उप–वैद्य होते हैं। हरियाणा के अन्दर 30–40 हजार वैद्य ओर उप–वैद्य काफी समय से अपनी रोटी रोजी कमा रहे थे। इन्टीरियर विलेजिज में अपनी रोटी रोजी कमा रहे थे लेकिन उनके अगेस्ट 419, 420, 468, 471 और 120–बी धाराओं के तहत परचे दर्ज कराए गए हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस प्रोब्लम को सौर्टआउट करे। इस बारे में एक कमेटी बना दें जो इसकी स्क्रीनिंग करें। जो वैद्य गड़वड़ करने वाले हैं, प्राइमरी पास हैं, जा दवाई ठीक तरह से नहीं देते, उनको आप बन्द कर दें। जो वैद्य बढ़िया हैं ट्रेंड हैं, उनकी प्रैक्टिस करने दें।

**सिंचाई मंत्री** (चौ. जगदीश नेहरा): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट औफ आर्डर है। आप माननीय सदस्य को बैठा दें, वरना इस तरह से आपका पैंडा नहीं छोड़ेंगे। आगे दो बिल आ रहे हैं, उन पर ये बोल लें। यह एप्रोप्रिएश्न 1987–88 का है, इस

पर बोलने वाली क्या बात है? ये हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं।

**13.00 बजे**

**श्री अमर सिंह**: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह चाहता हूं कि उन वैद्य और उप–वैद्य की स्क्रीनिंग कराई जाए। जो वैद्य और उन–वैद्य गड़बड़ करने वाले हैं या दवाई ठीक तरह से नहीं देते, उनको आप बंद कर दें, लेकिन जो वैद्य और उप–वैद्य ठीक काम करते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करने दें। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एजुकेशन के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे साथी भी फूल चन्द मुलाना जी अभी नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं लेकिन बहुत पुराने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नकल को बन्द करने के मामले पर सरकार को बहुत ही सीरियसली ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही स्कूलों के अपग्रेडेशन की तरफ भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। ज्वारी गांव में 12 लाख 41 हजार रूपये खर्च करके, 1986–87 में एक बिल्डिंग बनाई थी परन्तु वहां पर आज तक 10+2 को स्कूल चालू नहीं हुआ है। मेरे हल्के में जिन स्कूलों को अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता है, वे अपग्रेड किये जाएं। जिन स्कूलों में टीचरों की कमी है वहां टीचर्ज लगाए जाएं, जहां हैडमास्टर्ज की पोस्टें खाली हैं या प्रिंसिपल्ज की पोस्टें खाली हैं उनको भी प्रायोरिटी बेस पर भरा जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(इस समय कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

**साथी लहरी सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय पिछले साल जब सैशन था, उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सवाल के जवाब में एक पुल के बारे में आश्वासन दिया था कि पुल 31 मार्च 1993 तक बना दिया जाएगा। यह भोगपुर–सिकंदरा का पुल है जो अभी तक नहीं बना है, जब कि मुख्यमंत्री जी ने हाउस में ऐश्योर किया था।

**श्री उपाध्यक्ष**: इस वक्त स्कोप ऑफ डिस्कशन सिर्फ इतना है कि उस वर्श कितना एक्सपैंडीचर हुआ था, उसी की बात है और कोई बात नहीं है।

**साथी लहरी सिंह**: डिप्टी स्पीकर साहब, आप हमारे गाजियन है। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस में जो ऐश्योरैंस दी जाती हैं, उस बारे अगर छोटा–मोटा खर्च हो जाता है तो वह सरकार को करना चाहिए। हमारी डब्ल्यू. जे.सी. की डी–सिल्टिंग नहीं हुई। मेरे हल्के में कई ऐसे स्कूल्ज हैं जिनमें टीचर्ज पूरे नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार की इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। (धन्यवाद)

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (i) दि हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरण इन्डेटेडनैस (अमेडमैंट बिल, 1993)

**Mr. Deputy Speaker**: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Relief of Agricultural Indebedness (Amendment) Bill, 1993 and also move the motion for its consideration.

**Revenue Minister** (Sh. Nirmal Singh): Sir, I introduce the Haryana Relief of Agricultural Indebedness (Amendment) Bill, 1993.

Sir, I also move –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**श्री सतबीर सिंह कादयान** (नौलथा): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। आज की मौजूदा सरकार जो किसानों और मजूदूरों की विरोधी सरकार है, इस तरह की दो अमैंडमैंट लेकर आई हैं जो उनके हितों के खिलाफ हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल और सर छोटू राम जो किसानों के मसीहा थे, सर छोटू राम की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और लागू करते हुए चौ. देवी लाल की सरकार ने हरियाणा एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस एक्ट, 1989

बनाया था। इस एक्ट के तहत किसान या कृशिहर मजदूरों का मूलधन से ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता था, चाहे किसान की हालत कैसीं भी हो चाहे आज की तरह भयंकर बाढ़ हो, चाहे प्रदेश में सूखे की स्थिति हो, चाहे किसान को ब्याह–शादी करनी हो, चाहे दूसरे काम करने हो, किसान को ऋण पर मूल से ज्यादा ब्यान नहीं देना पड़ता था। लेकिन जब उसके खेत सूख जाते हैं, इन हालात में वह कर्जा वापिस नहीं दे सकता। कोई भी बैंक, चाहे वह नैशेनेलाईजड है, चाहे सहकारी समितियां हैं, ये मूल से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं कर सकते थे। ऐसे कायदे थे जिनकी समझा जाता था, लेकिन इस सरकार का कोई ध्येय नहीं है। आज निर्मल सिंह जी, जो एक किसान हैं, इन्होंने किसान के विरूद्ध काम किया है, इसलिए सैक्शन 3 को इन्हें वापिस लेना चाहिए। जो कुछ ये ओमिट करने जा रहे हैं, ठीक नहीं, मंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना तो मुख्यमंत्री जी को भी नहीं चाहिए, लेकिन खास तौर पर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब चौ. देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने बोर्ड बनाये थे। उन बोर्डज में डिप्टी कमीश्नर भी मैम्बर होता था। ये किसानों की भलाई कामा करते थे। बोर्ड ही ऐसा माध्यम है जो किसानों के लिए काम करता है। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि यह सैक्शन हट जाएगी तो सारे किसान और मजदूर इसके शिकार हो जाएंगे। आपकी तो बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं, कारखाने हैं ये अपनी फर्मो को सिक दिखा कर कर्जे माफ करवा लेते हैं, लेकिन जो किसान और कृशि मजदूर हैं, ये शार्ट टर्म और लोग टर्म लोन लेते हैं। इसलिए

यह कदम जो आप उठाने जा रहे हैं, प्रदेश की जनता के हित मैं नहीं है। जो सैक्शन हटाने जा रहे हैं, उसके हटने से प्रदेश की जनता को क्या लाभ होगा या क्या लाभ होने जा रहा है, यह हमें बता दें।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगर ये ऐसा करते हैं तो सैक्शन 2 को सब–सैक्शन 7 है, उसको भी सहकारी बैकों से बाहर निकालने की चेश्टा कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है। जैसे कि आपने अपने औब्जैक्ट एंड रीजन में बताया है कि कर्जा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकारी संस्थाओं को, चाहे एच.एस. एल.बी. डी. है, चाहे कोआप्रेटिव बैंक है चाहे कोई भी दूसरी संस्थाएं हैं नेबार्ड लोन देता है और इन संस्थाओं को लगातार लोन मिल रहा है। इस एक्ट को चौ. देवी लाल की गवर्नमैंट ने 1989 में बनाया था और उससे कोई नुक्सान नहीं हुआ है। अगर नुक्सान हुआ है तो इन ट्रेजरी बैंचिज पर बैठने वालों को ही हुआ है, या जो यह सरकार चल रही है, इसको नुक्सान हुआ होगा, लेकिन जनता को इससे बड़ा लाभ हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस बिल को वापस ले क्योंकि यह जनता विरोधी है, लोकतंत्र के लिए घातक हैं और किसान विरोधी है। अगर सरकार ऐसा बिल लायेगी तो हरियाणा की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं इनसे कहूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्रीमती चन्द्रावती** (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो ''दी हरियाणा रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डटिडनैस (अमैडमैंट) बिल, 19993' सदन में चर्चा के लिए सरकार लायी है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। जैसा कि अभी कादयान साहब ने भी कहा कि यह बिल बिल्कुल किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और छोटे दुकानदार विरोध है। यह बिलकुल ठीक बात है, क्योंकि कर्जा तो गरीब आदमी ही लेता है। बड़ाआदमी जो कर्जा लेता है, वह सरकार को ठगने के लिए लेता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें जो अच्छा प्रोविजन था, अगर वहीं निकाल दिया गया तो इसमें रह क्या जाएगा? मैं समझती हूं कि इस प्रोवीजन की भी इस एक्ट में रखना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरकार में किसानों से सहानुभूति रखने वाला अगर कोई था तो वह बिरेन्द्र सिंह ही था लेकिन उनको ही इन्होंने रहने नहीं दिया। जो दूसरे लोग रह गये हैं, वे तो इनकी तरफ ही देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसानों की, मजदूरों की या छोटे दुकानदारों की बात कहने वाला नहीं है। मैं तो बिल्कुल सही बात कहती हूं। (व्यवधान) मुख्यमंत्री जी सदा कोई नहीं रहता। सदा नाम तो परमात्मा का ही है। मैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनी हूं। (शोर एवं व्यवधान) हेराफेरी करके कुछ लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिनकी ज्यादा मैनुपोलेशन होती है वे ताकतवर बन जाते हैं। मैं प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की बात कर रही हूं। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, जो जोड़ तोड़ और हेराफेरी करते हैं, वे पावर में रह जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव

है। मैं यह समझती हूं कि चाहे कांग्रेस के भाई हों, जो ट्रैजरी बैंचिज पर बैठे हैं इनमें काफी मेम्बर खेती करने वाले हैं इनमें भी कई सदस्य छोटे, गरीब आदमी से सहानुभूमि रखते हैं, ये सब चाहते हैं कि यह बिल सरकार को वापस लेना चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार इस बिल को दोबारा से कंसीडर करे। इस बिल को पहले सिलैक्ट कमेटी में रख जाना चाहिये था। विदेशों में भी पहले बिल कमेटी में रखा जाता है, लीगल ऐक्सपर्ट के पास जाता है और उसके बाद हाउस में आता है। हाउस के पास इतना टाईम नहीं होता कि वह सारी बातों पर विचार कर सकें। जब हमें सारी बातों का पता ही नहीं होता तो हम उस पर क्या विचार कर सकते हैं? इस तरह तो हमें पता नहीं चल पाता कि सरकार की मंशा क्या है? अब तब किसान को जो रिलीफ मिल रही थी वह अब आप इसके माध्यम से इसको वापस ले रहे हैं। यह लोगौं के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं अर्ज करती हूं कि इस बिल को सरकार वापस ले।

**श्री कर्ण सिंह दलाल** (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह जो बिल पेश किया है, मैं उनके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले बहिन जी और कादयान साहब ने जो बातें कही हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। यह अमैंडमैंट पेश करने से पहले यह विचार करना चाहिये था कि इस देश का गरीब किसान, जो कर्ज लेता है किन कारणों से वह कर्ज वापस नहीं कर पाता, इसका पता लगाया जाए। इसके अलावा, जो

को–आप्रेटिव बैंक और कर्ज देने वाली एजैन्सी है, उनसे किसानों को समय पर कर्ज नहीं दिया जाता कहीं पर कोई एतराज लगा दिया, कहीं पर कुछ लगा दिया। मान लीजिए, किसी किसान ने 25 हजार रूपये लोन है, उसमें उसके 5–6 हजार रूपये तो कर्ज लेने में ही खर्च हो जाएंगे। कुछ रूपये डीलर ले लेगा, कुछ बैंक का अधिकारी ले लेगा। इस प्रकार हरियाणा की संस्थाओं द्वारा कर्ज देने के सिस्टम में दोश है। किसान जिस ऐजेन्सी से लोन लेता है, उसी से उसको ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है जबकि मार्किट में ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। हरियाणा एग्रो कहती है कि इस समय ट्रैक्टर नहीं हैं, तीन महीने बाद आना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह बिल किसान विरोधी है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हाोने वाला, कोई राहत नहीं मिलेगी अतः सरकार इस बिल को वापस ले।

**श्री मनीराम केहरवाला** (ऐलनाबाद, एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल जिले राजस्व मंत्री श्री निर्मल सिंह जी ने पेश किया है, के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपको मालूम है कि हरियाणा में सहकारिता का जो महकमा है, वह आज सारे हिन्दुस्तान में एक अग्रणी महकमा है। इस बात से भी हाउस इंकार नहीं करेगा कि इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को नेशनेलाइज किया था। उनकी मंशा थी कि इस देश का गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मजदूर जिसने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा, उसके लिए यह दरवाजा खोला जाएगा।

उन्होंने 14 बैंकों का दरवाजा गरीब आदमी की सहायता करने के लिये खोला था। लेकिन जब उनका स्वर्गवास हो गया और उसके कुछ देर बाद बदकिस्मती से, या हिन्दुस्तान के लोकअन्त्र की बदकिस्मती से विरोधी पक्ष को मौका मिला कि वह हिन्दुस्तान पर राज करें, तो उन्होंने उन दरवाजों को गरीब आदमी के लिये बन्द कर दिया। ज्यों–ज्यों नैशनेलाईजड बैंक्स के दरवाजे, गरीब आदमी के लिये बन्द होते गये त्यों त्यों कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के दरवाजे खुलते गये और गरीब आदमी उनमें जाने के लिये तत्पर हुआ। आज हरियाणा के अन्दर यह बात चरितार्थ है कि जब जब भी इन लोगों को शासन करने का मौका मिला है, इन लोगों ने आर्थिक व्यवस्था को खराब किया है। इन्होंने इस प्रदेश में यह नारा दिया था कि सारे सरकारी कर्जे माफ किये जायेंगे। में आपकी मार्फत इस हाउस को बता देना चाहता हूं कि जो नैशनेलाईजड बैंक्स के दरवाजे बन्द हो गये थे, वे अब चौ. भजन लाल के नेतृत्व में खुल गये हैं। सारा प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश इस बात को जानता है कि इन्होंने यह कहकर राज लिया था कि कर्जे माफ होंगे। इनके नेता ने किसानों को लालच दिया था कि यह कर्जे माफ होंगे। लेकिन हमारे लीडर ने जो सूद माफी करने की बात कही थी, वह माफ करके भी दिखाया है। इनकी तरह नहीं किया। सारे हिन्दुस्तान में लोग इस बात पर हैरान होते है कि यह आश्चर्य कैसे हो गया। लोग हमसे पूछते हैं कि आप बताओ, यह आश्चर्यजनक बात कैसे हुई है? यह बात करके सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा को पहले नम्बर पर ला खड़ा किया है।

(व्यवधान व शोर) में इस बिल के बारे में बोल रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि यह क्यों जरूरी है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो आज बिल आया है, इसके अन्दर क्या है। 14 नैशनेलाईजड बैंक्स को तो इग्जैम्पशन दे दी गयी लेकिन जो कोआप्रेअिव डिपार्टमैंट और अपैक्स बैक्स हैं, उनको एग्जैम्पशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से 50 करोड़ रूपये का नुक्सान डिपार्टमैंट का हो रहा है। वह नुक्सान चाहे कागजों में ही हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी का नुक्सान तो हो रहा है। कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट एक गरीब और आम आदमी के फायदे के लिये बना हुआ है। (व्यवधान व शोर)

**प्रो. छतर सिंह चौहान**: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब मेरी आपके जरिये एक प्रार्थना यह है कि इस तरह से हाउस का समय नश्ट नहीं करना चाहिये। अगर आपने खुशामद ही करनी है तो मुख्यमंत्री जी के पास जाकर कर लें मंत्री बन जायें लेकिन सदन का समय इस तरह से नश्ट नहीं करना चाहिये। (व्यवधान व शोर)

**श्री मनीराम केहरवाला**: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इनको मौका मिले तो ये भी इधर आ जायेंगे। ये भी इधर आने के लिये तैयार बैठे हैं। (व्यवधान व शोर) मैं कह रहा था कि नैशनेलाईज्ड बैक्स को तो एग्जैम्पशन दी गयी थी लेकिन कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट और अपैक्स बैक्स को एग्जैम्पशन नहीं मिली थी जो हम अब देने जा रहे हैं। इससे 50 करोड़ के करीब जो घाटा गरीब आदमी का, किसान का और मजदूर का, पहले हो रहा

था, वह नहीं होगा। हमारे लिये यह बड़ा ही फायदे का बिल है। कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट किसका डिपार्टमैंट है? यह आम आदमी का डिपार्टमैंट है। यह हिन्दुस्तान में सबसे पहले बात यहां पर हुई है कि कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट ने हरेक गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी आदि लोगौं को कोआप्रेटिव सोसाइटीज का मैम्बर बनाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अन्त में मैं इतना ही कहते हुए कि इससे आम आदमी को 50 करोड़ रूपये का फायदा होगा, इस बिल के हक में अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

**चौ. सूरजभान काजल** (जुलाना): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा एग्रीकल्चरल इन्डैटिडनैस एक्ट में सरकार अमैंडमैंट ला रही है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदेश है और यहां की अस्सी फीसदी आबादी कृशि और कृशि उत्पादनों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती है। चाहिये तो यह कि सरकार किसानों को कोई राहत दे, कोइ सुविधा दे और प्रोत्साहन दे ताकि किसान खुशहाल हों। अगर किसान खुशहाल होगा तो इस देश का उद्योगपति खुशहाल होगा और व्यापारी खुशहाल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसान को सस्ते दर पर लोन देने की व्यवस्था करे। लोन देने का सरल तरीका अपनाए और किसान की मदद करे। आज किसान की हालत खराब है। वह सभी वर्गो के लोगों से ज्यादा गरीबी की हालत में जीवन बिताता हे। उसके ऊपर कभी सरकार की ओर से,

कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। कभी ओलावृश्टि हो जाती है और कभी सूखे का प्रकोप आ जाता है। यह सरकार जो बिल लाई है, यह किसान विरोधी बिल है। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस किसान विरोधी बिल को वापिस ले। किसान को सुविधा देने वाला कोई बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बिल से तो किसान कमजोर होगा और यह प्रदेश कमजोर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जितना करप्शन बैंकों में है, उतना कही नहीं है। जो लोग लोन लेते हैं उनको कितनी भारी परेशानी उठानी पड़ती है, उसका ब्यान नहीं किया जा सकता। जो बैंक कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, पटवारी हैं, सब पैसा खा रहे हैं। इस बारे में सरकार कोई कानून लाए ताकि किसान की लुटाई न हो। यह बिल किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिये जिससे किसान को सरल तरीके से लोन मिल सके। सरकार कोई ऐसा योजना बनाए जिससे किसान को प्रोत्साहन मिल सके।

**प्रो. राम बिलास शर्मा**: डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार नबार्ड की हिदायत के अनुसार आज शिडयूल बैक्स और दूसरे बैक्स को बराबर करने जा रही है इस बिल में अमैंडमैंट के द्वारा जो लौंग टर्म लोन की क्लाज है, उसको बदल रहे है। 1976 को जो मेन एक्ट है उसकी जो क्लास ''सी'' है, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। अगर श्री निर्मल सिंह जो बजिद हैं कि यह बिल पास किया जाए तो कम से कम लौंग टर्म की जो क्लाज 'सी' हे, वह

इसमें शामिल नहीं करनी चाहिये। किसान को राहत मिले, ऐसी अमैंडमैंट लानी चाहिए। ऐसा करने से कोआप्रेटिव सोसायटीज का जो परपज है, वह डिफीट हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि कम से कम इस क्लाज को इसमें से निकाल दें।

**राजस्व मंत्री** (श्री निर्मल सिंह): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों में से कुछ से इसका विरोध किया है और कुछ इसके पक्ष में बोले हैं। विपक्ष के लोगों ने भी तरह तरह की बातें कहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो अमैंडमैंट लाई है, वह बहुत सोच समझकर लाई है। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनको आदेश भी दिए हैं कि हाउस में न्यूसैंस पैदा न करें और हाउस की गरिमा बनाए रखें, हाउस का डैकोरम कायम रखने में सहायता करें और हाउस के डैकोरम को बनाए रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये हाउस में शान्ति बनाए रखे।

## बैठक का समय बढ़ाना

**Mr. Deputy Speaker**: Is it the sense of the House to extend the time to this sitting by 30 minutes.

**Voices**: Yes.

**Mr. Deputy Speaker**: Time is extended by 30 minutes.

## दि हरियाणा रिलीफ अफ एग्रीकलचरल इन्डैटडनैस (अमैंडमैंट) बिल, 1993 (पुनरारम्भ)

**श्री निर्मल सिंह**: मेरे साथियों ने बोलते हुए, डिप्टी स्पीकर साहब, यह कहा कि निर्मल सिंह भी एक किसान हैं, उसको ऐसा बिल नहीं लाना चाहिये था। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारी कलम से किसी किसान को नुक्सान हो जाए तो समझो हम किसान के घर में पैदा ही नहीं हुए। हम किसानों के कोई विरोधी नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने अपने बाप–दादा को हल चलाते देखा है, खुद भी हल चलाया है, दातरी चलाई है, घास भी खोदा है, सारे काम किसानों वाले हमने किये हैं। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, इनको आप कहें कि यह बड़ ही सैन्सिटिव मामला है, इसलिये मुझे ये बीच में डिस्टर्ब न करें। (शोर) इन लोगों को किसान के बारे में क्या पता है कि किसान काउ हमारे समाज में कितना बड़ा रोल है। सर छोटूराम जी भी एक बड़े किसान थे। उन्होंने किसानों को साहूकारों के पंजे से छुड़ाया था। उस समय किसानों की जमीनें साहूकारों के पास गिरवी पड़ी रहती थी और साहूकार पांच रूपये प्रति सैंकड़ा के हिसाब से यानी 60 परसैन्ट वार्शिक ब्यान लिया करते थे जिससे किसान बेचारे कर्जे के नीचे ही दबे रहते थे। इन सब चीजों से सर छोटूराम जी ने किसानों को राहत दिलवाई। उसी तरह से आज की सरकार भी किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सब कुछ उनकी भलाई के लिये कर रही है और ये लोग यहां सिवाये

क्रिटीसिजम के, और कुछ नहीं करना चाहते। आप को पता है डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे बाप दादा व बुजुर्गों की फसलें खलिहानों में पुटवा लिया करते थे साहूकार लोग, लेकिन सर छोटूराम जी ने इन सभी बातों से किसानों को छुटकारा दिलवाया था।

डिप्टी स्पीकर साहब, आपको याद होगा, आज से साढ़े 23 साल पहले श्रीमती इंडिरा गांधी ने बैंकों का राश्ट्रीयकरण किया, तभी ये बैंक हम सब के लिये, देहाती लोगौं के लिये मजदूरों के लिये, गरीब किसानों के लिये खुले और गरीब किसानों को ट्रैक्टर्ज के लिये, टयूबवैल्ज के लिये बैकों से काफी वित्तीय सहायता भी मिलती रही है। यह सब हमारी कांग्रेस सरकार के ही कार्य है। जिनके कारण आज हमारे प्रदेश के किसान मजदूर खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हीं बैंकों के माध्यम से आगे बढ़े हैं। मैं आपको, इन लोगों के कारनामे बताता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, सन् 1987 के चुनाव में चौ. देवी लाल ने लोगों को एक सलोगन दिया था कि हम सभी का कर्जा माफ कर देंगे और साथ में यह भी कहा था कि इसके लिये ये कानून भी बना देंगे। साथ में यह भी कह दिया कि वे हरियाणा के अन्दर नोट छापने की मशीन भी लाएंगे इन्हें नोट छापने का अधिकार भी है। लोगों ने उनसे पूछा कि आप नोट कैसे छापेंगे? यह बातें जो चौ. देवीलाल ने सारी जगहों पर हरियाणा के लोगों के सामने कहीं .... ..... (शोर)।

**श्री धीरपाल सिंह**: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। * * * *

**श्री उपाध्यक्ष**: धीरपाल जी आप मेरी परमिशन के बगैर बोल रहे हैं, यह कुछ भी रिकार्ड पर नहीं आएगा।

**श्री निर्मल सिंह**: साथ में चौ. देवीलाल जी ने किसानों को कहा कि हम आपके सारे कर्जे माफ करेंगे और कैसे करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री राम कुमार कटवाल**: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने यहां पर चौ. देवीलाल जी के बारे में कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप का गांव ले लो, चाहे भजन लाल जी का गांव ले ली, अगर चौ. देवीलाल जी के राज में कांग्रेस राज से दुगुना पैसा न लग्या हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। (शोर) चौ. देवीलाल जो के राज में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है।

**श्री निर्मल सिंह**: लोगों ने पूछा कि आप कर्जे कैसे माफ कर दोगे? तो चौ. देवीलाल जी ने कहा कि हम हाउस में गधे चराने थोड़ा जाते हैं कानून बनाने जाते हैं और साथ में लोगों को खुश करने के लिये यह भी कहा कि मैं पहले दिन ही फाईल मंगवा करके उस पर लिख दूंगा कि कर्जे माफ ओर नीचे लिखूंगा – देवीलाल बकल्लम खुद। चौ. साहब की हर जगह यही स्पीच थी। उसका नतीजा क्या हुआ? कर्जे तो यह माफ कर नहीं सकते थे और न ही हुए। (शोर) कहने से कुछ नहीं बनता कि कर दिए।

(शोर) वास्तव में वे न कर्जा माफ कर सकते थे, और न ही किए। हुआ क्या? भोली भाली जनता ने उनकी बात पर विश्वास किया और कर्जे देने बन्द कर दिये। उसका नतीजा यह हुआ कि वे सब कर्जे और उसके ब्याज के नीचे दब गए।

**श्री सतबीर सिंह कादयान**: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि चौ. देवीलाल ने कहा था कि वे कानून बनाने जाएंगे भेड़े चराने नहीं जाएंगे। ये खुद गधे होंगे और इन्हौंने उस बात को खुद अपने पर लागू कर लिया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उस समय 248 करोड़ रूपए के कर्जे माफ हुए और बाकायदा कानून बना कर कर्जे माफ, किए। छोटे किसानों के कर्जे माफ हुए, ट्रैक्टरों के माफ हुए, आपके कर्जे माफ हुए हमारे भी हुए यानी सब के माफ हुए। मंत्री जी गलत बोल रहे हैं और हाउस को गुमराह कर रहे हैं। (शोर)

**श्री निर्मल सिंह**: ये कहते रहें कि माफ कर दिए लेकिन रिकार्ड की बात है, ये माफ नहीं कर सके। इन्होंने हरियाणा की जनता की बहुत बेवकूफ बनाया अगर कर्जे माफ किए होते तो आप हारते क्यों और इधर बैठे होते। (शोर)

**श्री धीरपाल सिंह**: दो टाईम में 248 करोड़ रूपये के कर्जे माफ हुए। मंत्री जी आज ऐसा बिल लेकर आए हैं जो किसानों के विरूद्ध है। इन्होंने पहली बार वीरेन्द्र सिह को मरवाया – (शोर)

**श्री निर्मल सिंह**: उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा पाप कोई कभी अपनी जिन्दगी में नहीं कर सकता इससे बड़े धोखे की बात हरियाणा की जनता के साथ कभी नहीं हो सकती। मौजूदा सरकार चाहती है कि लोगों को खूब कर्जे मिलें लोग और दिन रात तरक्की करें। (शोर) अगर किसी सरकार ने सही मायनों में लोगों की मदद की है तो वह इस सरकार ने की है। कर्जे पर ब्याज की माफी के लिये इस सरकार ने अपने खजाने से 16 करोड़ रूपए खर्च किए है (शोर)।

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मंत्री जी की इस बारे में पूरा नहीं है। अगर चौ. देवी लाल किसानों के कर्जे माफ करते तो किसान उनको चुनावों में दोबारा जिताते। उन्होंने कर्जा तो माफ किया लेकिन किसानों का, नहीं ओम प्रकाश चौटाला का माफ किया। (शोर)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)।

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल जी ने चौ. वीरेन्द्र सिंह जी के साले का कर्जा माफ किया। यह कैसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया? आपका साला आनन्द सिंह है, उसका 10 हजार रूपए कर्जा माफ किया था। (शोर)

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: स्पीकर साहब, बड़ी विडम्बना यह थी कि जिस व्यक्ति ने कभी बैंक का पैसा वापिस नहीं दिया, उनका

तो शायद कर्जा माफ जरूर हुआ होगा लेकिन जिसने सही समय पर बैंक का पैसा वापिस दिया, उसका कज्र माफ नहीं हुआ। मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं कि चौ. देवी लाल जब लोगों में जाकर कर्जा माफी की बात करते थे तो उसमें 30–40 कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम लिया करते थे कि भजन लाल के खिलाफ इतना पैसा है, वीरेन्द्र सिंह के खिलाफ 13 लाख रूपए हैं फलां आदमी के खिलाफ इतना पैसा है, तो यदि मैं आपके कर्जे माफ करूंगा तो उनके भी माफ होंगे इसलिये मैं तुम्हारे कर्जे माफ नहीं करता। एक बात उन्होंने जरूर की कि ओम प्रकाश चौटाला को खुली छूट दे रखी थी कि हरियाणा को लूटो। राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा भ्रश्टाचारी है, तो वह चौ. देवी लाल का परिवार है।

**श्री कृश्ण लाल**: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चौ. बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि चौ. देवीलाल जी ने कोई कर्जा माफ नहीं किया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनके साले आनन्द सिंह नरसिंह और करतार सिंह के 10–10 हजार रूपय के कर्जे चौ. देवी लाल जी ने माफ किए थे। इनके तीनों सालों के 30 हजार रूपये माफ किए थे। (शोर)

**श्री मनीराम केहरवाला**: स्पीकर साहब, आज जैसे हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने और चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने कमेटी सिस्टम लागू करने के बारे में बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं भी एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पी.यू.सी.

और पी.ए.सी. की वर्किंग बारे चर्चा हुई है, इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हाउस के माननीय सदस्यों की एक रैसलिंग कमेटी बना दी जाए जिसका चेयरमैन श्री सतबीर सिह कादयान जी का बनाया जाए।

**श्री अध्यक्ष**: इसाक इससे कोई कन्सरन नहीं है।

**श्री बलवन्त सिंह मायना**: स्पीकर साहब, चौ. बीरेन्द्र सिंह ने इस बात को माना है कि चौ. देवी लाल ने कर्जे माफ किए। (विघ्न) इन्होंने अभी माना है। (शोर एवं व्यवधान) इनके अपने साले का कर्जा माफ हुए है। (विघ्न) एक नहीं, इनके तीन सालों का कर्जा माफ हुआ है अगर माफ नहीं हुआ है तो यह बताएं। ये इस बात को माने या न माने, यह अलग बात है।

**श्री अध्यक्ष**: यह मानते या न मानने की बात नहीं है।

**श्री बलवन्त सिंह मायना**: स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है, इसमें कोइ गलत बात नहीं है। एक मंत्री ने बोलते हुए कहा कि चौ. देवी लाल ने कहा था कि मैं बोरी का मुंह किसानों की तरफ कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि को–आप्रेटिव सैक्अर के अन्दर शूगर मिलें आती हैं और हमारे रोहतक के अन्दर भी दो शूगर मिलें हैं जो चौ. देवी लाल की देन हैं। उन्होंने किसानों को भरपूर पानी दिया जिसकी वजह से उस वक्त शूगर मिलें मुनाफे में थीं और आज की सरकार द्वारा किसानों की पानी व बिजली न मिल सकने के कारण और

किसानों और मजदूरों की हितैशी सरकार न होने की वजह से शूगर मिलों की नुकसान हो रहा है। यह जो नुकसान हो रहा है, यह किस का हो रहा है? स्पीकर साहब, यह नुकसान किसानों का हो रहा है, यह नुकसान सरकार का हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो बिल लाई है, वह किसानों और मजदूरों के हित में नहीं है, इसलिये इस बिल की वापिस लिया जाना चाहिए। आज किसानों को पानी न मिलने की वजह से रोहतक की दोनों शूगर मिलें घाटे में हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की नुकसान हो रहा है। (विघ्न)

**सहकारिता मंत्री** (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया): अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में 18 शूगर मिलें कम्पीटीशन में आई, जिनमें से 5 शूगर मिलें इस छोटे से हरियाणा प्रदेश की फस्ट सैकण्ड और थर्ड आई हैं।

**श्री धीरपाल सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि ये चौ. देवी लाल के राज के समय में ही आई थीं।

**श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया**: अध्यक्ष महोदय, जहां तक नुकसान की बात है, मैं यह मानती हूं कि हमारी 3 शूगर मिलें घाटै में चल रही है। (विघ्न) स्पीकर सर, घाटे की बात तो अलग है। हिन्दुस्तान के अन्दर हमारी 5 शूगर मिलों ने ईनाम हासिल किये हैं फस्ट सैकण्ड और थर्ड तथा दो और ईनाम हमारी शूगर

मिलों ने हासिल किये हैं। इनको इस पर गर्व होना चाहिये ओर इस बात का इन्हें खुद भी पता है।

**श्री धीरपाल सिंह**: यह तो हमारी सरकार के समय की ही बात है, उसके बाद की कोई बात बताएं।

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: स्पीकर साहब, चौ. धीरपाल सिंह जी ने अभी शूगर मिलों का जिक्र किया। मैं इसके साथ ही भाई सतबीर सिह कादयान को एक सनसनीखेज खबर, तथ्यों सहित देना चाहता हूं। आज विधान सभा के परमिसिज में, इनके शासन के बनाए हुए फेडरेशन के चेयरमैन प्रो. वीरेन्द्र सिंह से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे यह बात बताई है। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में यह कादियान साहब और धीरपाल जी * * * * (शोर एवं व्यवधान)।

**श्री धीरपाल सिंह**: * * * *

**श्री अध्यक्ष**: यह जो धीरपाल जी बोल रहे हैं यह सब रिकार्ड न किया जाए।

**श्री सतबीर सिंह कादयान**: * * * *

**श्री अध्यक्ष**: ये जो भी बोलें यह रिकार्ड न किया जाए। बीरेन्द्र सिंह जी आप जारी रखें। आप बस बैठ जाएं।

**श्री सतबीर सिंह कादयान**: * * * *

**श्री धीरपाल सिंह**: * * * *

**श्री रमेश कुमार**: * * * *

**श्री अध्यक्ष**: रमेश कुमार जी, आप बैठ जाएं।

**श्री राम कुमार कटवाल**: * * * *

**श्री वीरेन्द्र सिंह**: अध्यक्ष महोदय, मेरे से पिछले सत्र में किसी ने काह कि लोकदल की पहचान क्या है? अध्यक्ष महोदय ये पहले अगले बैचों पर बैठते थे। मैंने कहा कि ये जो सामने वाले बैंचों पर बैठे हैं, ये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रो. वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि जब तीन शूगर मिल्ज की मशीनरी खरीदनी थी तो चौ. देवी लाल ने मुझे बुलाया।

**श्री सतबीर सिंह कादयान**: * * * *

**श्री अध्यक्ष**: वीरेन्द्र सिंह जी ने जो जेब वाली बात कही है, वह रिकार्ड न की जाए।

**चौ. वीरेन्द्र सिंह**: अध्यक्ष महोदय, प्रो. वीरेन्द्र सिंह जी ने मुझे कहा कि चौ. देवी लाल ने बुलाया और कहा कि शूगर मिल की मशीनरी खरीदने वाली फाईल लेकर आओ। वह फाईल किस कम्पनी की थी, यह मैं यहां पर नहीं बताना चाहता देवी लाल जी ने कहा कि इस कम्पनी का टैन्डर मन्जूर कर लो। जब वीरेन्द्र सिंह ने पूछा कि क्यों कर लिया जाए। चौ. देवी लाल जी ने कहा कि चौटाला साहब चाहते हैं। उन्होंने पांच करोड़ रूपए

की मशीनरी की मन्जूरी उस कम्पनी को दी है। (शेम शेम) अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरे बारे में कहते हैं, मैं इस हाउस में कहता हूं कि बीरेन्द्र सिह बनने के लिए बहुत टाईम लगेगा। (मेज थपथपाए गए) आज मैं इस सदन में कहता हूं कि मेरे ऊपर आज कोई भी व्यक्ति पैसे का इल्जाम लगाए ..... (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री और उसके बेटे के खिलाफ जब ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, वह खाक शूगर मिलों की पोजीशन में करेगा? इन्होंने तो हरियाणा को लूटने केा अलावा और कुछ किया ही नहीं (शोर एवं व्यवधान)

## वैयक्तिक स्पश्टीकरण

## श्री धीरपाल सिंह द्वारा –

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। चौ. वीरेन्द्र सिंह ने शूगर मिलों की चर्चा की और उनके निर्माण के सिलसिले में मेरा नाम लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तारीख को इन शूगर मिलों की मशीनरों के लिये टैन्डर काल किये गये थे, और उस समय को–आप्रेशन का कौन मंत्री था? (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से इन्होंने चौ. औम प्रकाश जी परभी आरोप लगाये हैं। स्पीकर साहब, ये सहकारिता मंत्री रहे हैं, लगता है इनमें ज्ञान का अभाव है क्योंकि 25 करोड़ रूपये तो मिल की लागत ही है और 25 करेाड़ में से 12 करोड़ रूपये की तो मशीनरी ही आयी है। इस तरह 12 करोड़

रूपये में से पांच करोड़ रूपये कैसे कोई कमीशन दे देगा (शोर) इसलिये स्पीकर साहब, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। ये केवल मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न रखने के लिये ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जिनका कोई तथ्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ये केवल मंत्री बनने के लिये ऐसा प्रयास कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है।

**औद्योगिक शिक्षा राज्य मंत्री** (श्री तेजेन्द्र पाल मान): स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह जी ने और इन भाईयों ने, तीन शूगर मिलों में पांच करोड़ रूपये डाईरेक्ट कमीशन लेने का जिक्र किया है, मैं आपकी बताना चाहूंगा कि कैथल के बारे में तो मुझे पक्का पता है। उस समय कैथल शूगर मिल के चेयरमैन डी.सी. थे, उस समय उनकी चौटाला साहब का प्रोपर्टी डीलर कहा जाता था। स्पीकर साहब, भला हो मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस मिल को फिर से सहायता देकर चालू करवाया, वरना इन्होंने तो उस मिल को ऐसा चाटा था जैसे वह धरती पर ही न रहा हो। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री धीरपाल सिंह**: स्पीकर साहब, मैं फिर आफर करता हूं कि हमारे समय में जो तीन शूगर मिल लगीं थी, उनकी मुख्यमंत्री इन्क्वायरी करा लें और जो भी दोशी हो, उसको सजा दी जाये। मैं खुले मन से एक बार फिर आफर देता हूं। (शोर)

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष**: यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय आधा घंटे के लिये बढ़ा किया जाये?

**आवाजें**: ठीक है, आधा घंटा बड़ा दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष**: बैठक का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

## दी हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटडनैस (अमैंडमैंट) बिल 1993, (पुनरारम्भ)

**लोक निर्माण मंत्री** (भवन एवं सड़क) (चौ. आनन्द सिंह डांगी): स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है कि जब मेहम की शूगर मिल बनकर चालू हुई थी तो वह कभी दस दिन या कभी एक हफ्ता लगातार से ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि इसकी मशीनरी बहुत ही डिफैक्टिव थी। दोबारा तीन करोड़ रूपये की मशीनरी चेज करनी पड़ी, तभी उसके बाद पिछले साल इस मिल ने तीन करोड़ रूपए का मुनाफा दिया। स्पीकर साहब, जितनी भी मशीनरी इन्होंने भेजी, वह सब कमीशन ने हिसाब से ही भेजी। (शोर)

**2.00 बजे**

**चौ. भजन लाल**: अध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश के लोग इस हाउस की तरफ देखते हैं। एक टाईम में एक महानुभाव बोले तो बात समझ में आ जाए। कादयान साहब, आप भी काफी लम्बे

समय से मैम्बर हैं, अब तो आपको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है बोलने का स्पीकर साहब की इजाजत से आप बात करिए। स्पीकर साहब, आपसे भी अर्ज है कि जो कुछ आपकी परमीशन के बगैर बोलना जाए, वह रिकार्ड में नहीं आना चाहिएं मेरा इतना कहना है कि यह बड़ा ही सनसनीखेज मामला हाउस के सामने आया है, जैसा कि धीरपाल जी ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं हाउस को विश्वास दिलावा हूं कि हम बहुत सीनियर आफीसरों की एक कमेटी बनाकर तीन चीनी मिलों के इस मामले की जांच कराएंगे और अगले सैशन से पहले उसकी रिपोर्ट आ जाएगी।

**श्री निर्मल सिंह**: स्पीकर सर, मैंने तो पहले ही आपके माध्यम से इनसे दर्खासत की थी और खुद ही इन्होंने मुझे बताया था कि आज हाउस में जो अमैंडमैंट आई है, वह बड़ा अहम टौपिक है, लेकिन खुद ही इनका ध्यान नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि किसान के साथ ज्यादती हो रही है। मैं इस बिल के बारे में अनुरोध करूंगा कि इंदिरा जी का जो बैंक राश्ट्रीयकरण का प्रोग्राम था, वह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चौ. देवीलाल ने कर्ज माफ का जो सलोगन दिया था, उससे बड़ा नुकसानदायक स्लोगन इस हरियाणा की धरती पर कमी नहीं लगेगा। इससे स्टेट को बड़ा भारी नुकसान हुआ है क्योंकि लोगों का लेनदेन बन्द हो गया। (शोर एवं व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** निर्मल सिंह जी, गो–आन' आप उधर न देखें। आप बोलते रहिए।

**श्री निर्मल सिंहः** स्पीकर साहब, ने लोग जनता की भावनाओं को हाउस में बैठे बैठे ही भड़का देते हैं, इसीलिये मुझे बोलना पड़ रहा है। इन्होंने स्लोगन दिया है कि कर्जा माफ कर देंगे लेकिन नहीं कर सके। गांव मे 20 लोग अगर सोच लें कि हमने कर्जा वापस नहीं करना है तो उनसे किसी भी तरह से कर्जा वसूल नहीं हो सकता। वे 4–10 दिन जेल में थालियां खड़का कर वापस आ जाएंगे। अब रिकवरी कैसे हो रही है? अब तो धड़ाधड़ हो रही है, लोग पैसा दे रहे हैं लोगों का विश्वास लेने देन में है, बैकों का आधार भी वही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सजाम ऐसा नहीं है जिसने बैंकों का आधार भी वही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज ऐसा नहीं हे जिसने बैंकों के बगैर तरक्की की हो? हमारा सपना हे कि हमारे यहां का किसान बैंक में जाए, दस्तखत करे और लोन ले ले, लेकिन किसान को बैंकों के साथ रिश्ता बनाना होगा। आज रिजर्व बैंक और वित्त मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि अपने लेन देन को ठीक करो तब हम लेन देन शुरू करेंगे, इसलिए इस चीज की आवश्यकता आएगी। जो एक बात पंडित जी ने बताई है कि लौंग टर्म लोन को इसके साथ न जोड़ा जाए। उसे तो 1991 में ही निकाल दिया गया था, अब तो मिडिल टर्म की बात हो रही है और जो निकाल दिया उनमें आप देखिए। 2–3 साल में ही को–आप्रेटिव का लेन देन तिगुना चौगुना हो

गया है। मीडियम टर्म लोन इसमें से नहीं निकाला। इसका उलटा 10 करोड़ की जगह 2 करोड़ समथिग रह गया। यानी इसमें इतना फर्क है और हमारा तो यह ख्वाहिश है कि लोगों को खूब लोन मिले। हर चीज के लिये लोन मिले। हरियाणा का किसान और देहात का आदमी जब भी किसी बात के लिये बैंक में जाये तो उसके दस्तखत से ही उसको लोन मिल जाये। उसके पास कार्ड हो। वह उसको बैंक में दिखाये और लोन ले ले। रेलवे में चलते–चलते भी उसको यह सुविधा मिल जाये। वह एक होटल में आराम से रोटी खास ले। इन्होंने तो हरियाणा भवन का भी उधार नहीं उतारा। उलटा वहां पर उधार बन्द करवा दिया। कोई वहां से चादर उठा कर ले गये। अब वहां पर किसी भी एम.एल.ए. या मिनिस्टर का यकीन नहीं करता। अब वे फट से बिल भेज देते हैं। हमने उनसे काह कि क्या बात है, वे कहने लगे कि साहब, बहुत विधायक हैं, जिन लोगों ने अपने बिल नहीं दिये हैं। इसलिये अब वहां पर भी दिक्कत आ रही हैं इनको यह समझ आ जानी चाहिये कि यह जो कह देते हैं कि कर्जा माफ करेंगे, यह सम्भव नहीं है। पहले ही इस स्टेट के अन्दर 100 मे ंसे 10–15 आदमी ऐसे हैं जो किसी भी आदमी से पैसा लेकर लौटाते नहीं है। उनसे आज तक कभी किसी ने पैसा वसूल नहीं किया लेकिन आज भी बैंक जिन्दा हैं। यह वही लोग थे, जिनका लोन माफ किया गया है। अगर किसी शरीफ आदमी ने डंडी मारनी हो, तो वह नहीं मार सकता और ऐसे लोग यहां पर नहीं आ सकते। इन्होंने दो बातें कही थी। एक तो यह कहते थे कि लोक राज, लोक लाज से चलता है और

दूसरे इन्होंने कहा था कि कर्जा माफ करेंगे। यह लोग हमें तो कहते हैं कि किसानों के बेटे बने बैठे हो लेकिन मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ से क्या किसी किसान का नुक्सान हो सकता है? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसान का नुक्सान हो यह तो हो ही नहीं सकता। जहां पर किसान का हित छुपा हुआ हो, वहां पर हम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं। हम तो किसानों के लिये जेलों में गये हैं। जिन्होंने किसानों के लिये लाठियां खायी हो, किसानों के हित के लिये आन्दोलन चलाये हो, क्या हम कभी किसानों के हित के खिलाफ जा सकते है? इन्होंने तो यहां पर लोगों को गुमराह करना था। स्पीकर साहब, मेरी मां भी कहती थी कि यह कर्जा तो माफ होकर रहेगा। चौ. देवी लाल कहते थे कि मैं कर्जा माफ करूंगा। यह कहती थी कि तेरे को मैने वोट इसलिये दे दी कि तू मेरा बेटा है, नहीं तो तुम्हारा कांग्रेस वालों का वोट से क्या संबंध है, क्योंकि उधर तो कर्जा माफ होगा। किसका कर्जा माफ होना था, दे लठम–लटठ। यह तो आपको चौ. भजन लाल जी का धन्यवाद करना चाहिये कि उन्होंने 54 करोड़ रूपये के कर्जे को ब्याज के रूप में माफ कर दिये। लोगों में आज एक होड़ सी लगी हुई है कि कौन सा जिला रिकवरी में आगे आयेगा। स्पीकर साहब, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसके लिये हमें किसी को भी तंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगो ने यों ही हमारी बात को मान लिया। इससे पहले इतना बड़ा घोर पाप, इतना बड़ा अन्याय और इतनी बड़ी बेईमानी स्टेट का लीडर कोई नहीं कर सकता और न ही कभी

कोई करेगा। जितनी इन्होंने की थी। अगरआप वाकई में किसान का हित चाहते हैं तो आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। इसमें किसान का हित छुपा हुआ है। आप यह मांग करो कि किसान को ट्रैक्टर के लिए, टयूबवैल के लिये और हरेक ची के लिये कर्जा दो। उसकी परत बनाओ, उसकी साख बनाओ। जब हरियाणा का किसान बैंक में जाये तो उसको फौरन कर्जा मिल जाये। उसको किसी गारंन्टी की जरूरत न पड़े। आप उसकी ऐसी साख बनाओ कि बैंक का मैनेजर हंसी खुशी यह कहे कि आओ, कर्जा ले लाओ। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस बिल के लिये हां कहो और इस बिल को पास करो।

## वाक आउट

**प्रो. सम्पत सिंह**: अगर आप इस बिल को पास ही करना चाहते हो, तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय जनता दल पार्टी के तमाम उपस्थित सदस्यगण, श्रीमती चन्द्रावती, सर्व श्री ओम प्रकाश बेरी तथा राम बिलास शर्मा सदन से वाक आउट कर गये।)

## दी हरियाणा रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डैटडनैंस (अमैंडमैंट) बिली, 1993 (पुनरारम्भ)

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amnedment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the House will consider the Bill clause by Clasue.

**Clause 2**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 3**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**ENACTING FORMULA**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**TITLE**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

**Revenue Minister** (Sh. Nirmal Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

## (iii) दि हरियाणा प्राइवेट लाटरीज प्रोहिविशन बिल, 1993

**Mr. Speaker**: Now the Finance Minister will introduce the Hayrana Private Lotteries Prohibition Bill 1993 and also move the motion for its consideration.

**Finance Minister** (Sh. Mange Ram Gupata): Sir, I introduce the Haryana Private Lotteries Prohibition Bill, 1993.

Sir, I also move –

That the Haryana Private Lotteries Prohibition Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Haryana Private Lotteries Prohibition Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Haryana Private Lotteries Prohibition Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the House will consider the Bill clause by Clasue.

**Prof. Sampat Singh**: Sir, I want to speak.

**Mr. Speaker**: This is not the time to speak.

**Clause 2**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 3**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 4**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 5**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 6 to 8**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 6 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clause 1**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**ENACTING FORMULA**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**TITLE**

**Mr. Speaker**: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the Finance Minister will move that the Bill be passed.

**Finance Minister** (Sh. Mange Ram Gupta): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker**: Motion moved –

That the Bill be passed.

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**श्रीमती चन्द्रावती** (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, आप का मुझे बोलने के लिये समय देने के लिये धन्यवाद। यह जो हरियाण प्राईवेट लाटरीज प्रतिशेध विधेयक, 1993 यहां पर प्रस्तुत किया

गया है, मैं उस पर अपने विचार रखने के लिये खड़ी हुई हूं। यह ठीक है कि प्राईवेट लाटरीज पर पाबन्दी होनी चाहिये लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि सरकारी लाटरीज भी नहीं होनी चाहिये। कंप्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इंडिया की 31 मार्च, 1992 की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है –

"The growing revenue expenditure on payment of more prizes money and commission and consequences upon floting of more lottery scheme....."

उस रिपोर्ट में भी उन्होंने लाटरीज के खिलाफ लिखा है। लाटरीज से कोई पैदावार नहीं होती है। केवल रैडक्रास के नाम से मेले भर लिये जाते हैं या किसी और नाम से मेले भर लिये जाते हैं। वहां मेलों में जुआ खिलवाया जाता है। लाटरीज भी एक तरह का जुआ ही है। इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां आपने प्राईवेट लाटरीज पर प्रतिबन्ध लगाया है, बन्द की हैं, अच्छा किया है इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हरियाणा सरकार की लाटरीज को भी बन्द किया जाना चाहिये और अपनी स्टेट में दूसरी सरकारी लाटरीज बन्द नहीं होनी चाहिये इस बारे में मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद।

**प्रो. सम्पत सिंह** (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदय हरियाणा प्राइवेट–लाटरी प्रतिशेध विधेयक, 1993 इस हाउस में ले करके आए हैं जिसका मुद्दा है कि हरियाणा में प्राईवेट लाटरीज को बन्द किया जाना चाहिये। यह ठीक है क्योंकि

इससे हमारी स्टेट को बड़ा भारी नुक्सान हो रहा था। लोग तो अपने इनाम के लिये तरसते रहते थे। लोगों केा इसमें लाखों रूपया लग जाता था और दूसरा आदमी कमा करके यहां से पार हो जाता था। इस संबंध में दो एक बातें मैंने कहनी हैं। एक तो यह कि जो इनकी सरकार की अपनी लाटरीज हैं, उसकी हालत को सुधारे। पिछले बजट ईयर के अन्दर इसकी हालत खराब हुई है, इस बात का गुप्ता जी को भी अच्छी तरह से पता है। जो नुक्सान हुआ है, उनको सब मालूम हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बजट ईयर के अन्दर इसकी हालत खराब हुई है, इस बात का गुप्ता जी को भी अच्छी तरह से पता है। जो नुक्सान हुआ है, उनको सब मालूम है। अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा इन्होंने सरकारी लाटरीज, भी प्राईवेट हाथों में दे दी कि प्राईवेट लोग इसको बेचेंगे, सरकार नहीं बेचेगी क्योंकि सरकार के पास इसको बेचने के लिए बन्दोबस्त नहीं है, इस लिये सरकार के पासस इसके लिये स्टाफ नहीं है। टैन्डर इसके लिय इंवाईट कर लिये है। अध्यक्ष महोदय, मैं और चक्करों में नहीं जाना चाहता कि किस का टैन्डर कम था, किस का ज्यादा था, किस को ठेका दिया लेकिन अलटीमेटली इससे नुक्सान हुआ। 24 लाख की डेली लाटरीज बेचने की इनकी स्कीम थी। आखिर वे टिकटें घटती घटती कुछ सैंकड़ों पर ही आ गई। जो स्कीम बनी थी, वह पांच और 10 रूपये की लाटरी की टिकटें बेचने की थी। किसी ने इनको कह दिया कि यह बड़ी अट्रैक्टिव लाटरी है, अगर सरकार इसको प्राइवेट हाथों में दे देगी तो इससे सरकार को बडी ही आमदनी

होगी। पांच–पांच, छः–छः लाख टिकटें उन्होंने रोज के लिये छपावा ली और बिकने का सिलसिला गिरते गिरते 850 पर आ गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होनें क्यों इतनी इनवैस्टमैंट की और प्राईवेट हाथों में यह लाटरीज क्यों दी जिससे कि हरियाणा के एक्स चैकर पर करोड़ो रूपये का बोझ पड़ा। नुक्सान हुआ। इस तरह से हमारी सरकारी लाटरीज की साख भी गिरी है। पहले हरियाणा स्टेट की लाटरीज खरीदने की हर आदमी कोशिश करता था जिससे हमें फायदा होता था। अध्यक्ष महोदय, दीपमय नाम की एक प्राईवेट कम्पनी थी। उन्होंने टिकटें तो बेच दीं और जब ईनाम देने की बात आई तो उन्होंने ईनाम देना बन्द कर दिया। लोग टिकटें लिये हुए फिरते रहे कि हमारा इतना इतना निकला है। इन्होंने उसकी बैंक गारन्टी ली थी 3.7 करोड़ रूपये की कि यह उसकी हमारे पास बैंक गारन्टी है उसमें से हम कुछ लाख रूपए रोज के काटने रहेंगे और फिर कम्पनी ने पटना में जाकर के कोर्ट में केस कर दिया। पेमैंट उन्होंने एकदम बन्द कर दी, नही दे रहे हैं। पहले लोअर कोर्ट में हमारी सरकार हार भी चुकी है। काफी नुकसान हुआ, यह बात ठीक है। अब ये उसके विरूद्ध हायर कोर्ट में भी जा रहे है लेकिन यह ऐसा झमेला है कि इस तरह से ऐक्सपैरीमैंट इन्हें नहीं करना चाहिये था जिस बात से किसी स्टेट को नुकसान हो, ऐसा झमेला सरकार को नहीं करना चाहिये ताकि स्टेट को नुक्सान न हो। इसी आड़ में कि सरकार को काफी नुक्सान हुआ है, 20 आदमियों को रिट्रेन्च कर दिया गया। एक तरळ तो ये कह रहे हैं कि स्टाफ की कमी है दूसरी

तरफ 20 आदमियों को छुट्टी कर दी है। मुख्यमंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि फाईल पर यह आर्डर हुए कि दीपमय कम्पनी को यह ठेका दे दिया जाए। आप फाईल निकलवा करके देख लें। गुप्ता जी ने जो फाईनल आर्डर किय हैं उसमें यह लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कश्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अपने लैवल पर वहीं पर आर्डर देकर के उस कम्पनी को इन्होंने पर किया। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में शायद यह बात नहीं आई होगी। तो स्पीकर साहब, जो फायनैन्स मिनिस्टर है, वे खजाना के कस्टोडियन हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे दूसरे विभागों से भी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सिज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि हरियाणा स्टेट का काम चल सके। लाटरी डिपार्टमैंट भी इन्हीं का है। ये करोड़ों रूपय का घाटा खा चुके है। तो यह एक्सपैरिमैंट इनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहात हूं कि इसके साथ साथ कुछ और इस तरह की कमेटीज और लाटरीज चल रही हैं। इनके जीन्द में कुछ लोग 84 लाख रूपये कमेटीज के इक्ट्ठे करके वे लोग पर हो गए। लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। वे कहते है कि पांच हजार के दस हजार देंगे और दस हजार लगाने पर बीस हजार देंगे। एक अम्बाला में माता जी आई थीं, वह माता जी तो पता नहीं कितनी माता बिठा गई। वह कई करोड़ रूपए बिझा गई। फिर कोइ उसका सामान उठाता फिर रहा है ओर कोई उसका सोफा उठाता फिर रहा है। इस तरह से हर शहर के अन्दर हो रहा है। ऐसे ही कैथल के अन्दर हुआ था। वहां पर ऐसे लोग

अढ़ाई करोड़ रूपये लेकर पार हो गए। कई बार ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते इसलिए इस किस्म की मशरूम ग्रोथे हो रही है। इसके लिए कोई चैक लगाना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

**चौ. ओम प्रकाश बेरी**: स्पीकर साहब, मैंने इस बिल के बारे में अमैंडमैंट दी थी, इसलिए मैं उस पर बोलना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: आपकी अमैंडमैंट डिस अलाउ हो गई है, आप कृपया बैठे।

**वित्त मंत्री** (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, आज जो हाउस में सरकार की तरफ से एक बिल रखा गया कि हरियाणा स्टेट में जो भी प्राइवेट लाटरीज बिक रही हैं जिससे बहुत से लोगों के साथ धोखा हो रहा, लोगों को ईनाम नहीं मिल रहे हैं उसको बन्द करेन के लिए यह बिल है। इस बिल की सराहना विरोधी पक्ष के भाईयों ने भी की है। बहिन चन्द्रावती जी ने कहा है स्टेट की लाटरी भी बन्द होनी चाहिए। वे चली गई हैं मैं उनको बताना चाहता था कि स्टेट की लाटरी हम बन्द कर भी दें लेकिन हमने सैंटर की सरकार को लिखा था। उन्होंने कहा कि कि यह सैन्टर की गवर्नमैंट को पावर नहीं है बल्कि इसकी पावर तो पार्लियामैंट को है। हमने सोचा कि हम स्टेट की लाटरी अपने लैवल पर बन्द कर दे लेकिन हिन्दुस्तान की सभी स्टेटस की लाटरीज हैं वह हमारी स्टेट में बिकेगी। ऐसा करके हम अपना तो

नुकसान कर सकते थे लेकिन दूसरी स्टेटस की लाटरीज को बन्द नहीं कर सकते थे। अगर हम अपनी स्टेट की लाटरी बन्द करते हैं तो एक तो जो रैगुलर एम्पलाइज हैं उनका नुक्सान हो जाएगा और दूसरे 5–10 करोड़ रूपए का रैवेन्यू चला जाएगा। इसलिए स्टेट की लाटरी को बन्द करने का कोई फायदा नहीं था। न तो हम इसे बन्द करना चाहते हैं और न ही कर सकते थे। लेकिन प्राइवेट लाटरीज की वजह से जो नुक्सान हो रहा था उसके लिसे हमने फैसला लिया कि चाहे कोई प्राइवेट कम्पनी हो जिसको चलाने के लिऐ गवर्नमैंट ने किसी व्यक्ति को अथोराइज कर दिया था उन सब पर बैन होगा। ऐसा करके स्टेट के लोगों के साथ चीटिंग नहीं हो सकेगी। सम्पत सिंह जी ने पिछले साल के बारे में बात कही। वे ठीक कह रहे थे। डिपार्टमैंट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इसका कुछ कारण था। यह लाटरी हरियाणा में 1968 में शुरू हुई। इनके समय में लाटरी के सेल्ज मैंन सरकारी होते थे। तो तीन सेल्जमैन की तरफ एक करोड़ रूपये से ऊपर बकाया था जो उन्होंने जमा नहीं करवाया था। तो सरकार ने यह सोचा और डिपार्टमैंट से यह प्रोपोजल आई कि कमाई तो सेल्जमैन खा जाते हैं। उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर्ड हो गए, चालान हो गए लेकिन रिकवरी एक पैसे की भी नहीं हुई। महकमे के कैलकूलेशन करके सी.एम. साहब की एप्रूवल से यह फैसला किया है। महकमे ने व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला नहीं किया और ने ही मांगे राम गुप्ता ने व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला किया। अगर हम प्राईवेट आदमी को अथोराइज कर देते तो टिकटों की सेल पर जो हमारा

मुनाफा बनता है वह हमें देता रहे इस बिना पर हमने एक्सपैरीमैंट के तौर पर यह किया था। यह बात ठीक है कि वह कम्मनी डिफाल्टर हो गई। डिफाल्टर होने का कारण भी था। पिछले सयाल देश में रायटस हुए इसलिए प्रैस में टिकटे छपनी बन्द हो गई। आने जाने के रास्ते बन्द हो गए थे, इसलिए टिकटें सेल नहीं हो सकीं। कम्पनी के डिफाल्टर होने की वजह से हमारी टिकटों के जो ईनाम देने थे वह ईनाम नहीं दिए जा सके क्योंकि हमारी टिकटों को सेल बन्द हो गई। स्पीकर साहब, अगर कोई आदमी बिजनैस में फेल हो जाए तो उसकी गारन्टी होती है उसके साथ बाकायदा एग्रीमैंट होता है। उस आदमी की बाकायदा बैंक गारन्टी है। उसके साथ बाकायदा एग्रीमैंट हुआ है। उसके खिलाफ कोर्ट में हमारा दावा खड़ा है। पटना की लोअर कोर्ट ने उसके हक में फैसला कर दिया। पटना को लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ गवर्नमैंट ने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी आज भी वह मामला सबजूडिश हैं। एग्रीमैंट में एक हरफ भी गलत नहीं है उससे हमने एक एक पैसा वसूल करना है। उससे 7 करोड़ रूपया वसूल होना है।

**श्री सतबीर सिंह कादियान**: स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने कहा कि उसकी बैंक गारन्टी है तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या उसकी बैंक गारन्टी रैगुलरली प्रति दिन के हिसाब से काटी गई, अगर काटी गई तो उसकी तरफ 7 करोड़ रूपया बकाया क्यों रहा? क्या उसके बारे में विजिलैंस को केस दिया

गया? इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि प्राइवेट आदमी को टिकटैं क्यों दी गई और यह घाटा क्यों खाया? हरियाणा लाटरीज डिपार्टमैंट के कर्मचारियौं के जिम्मे करोड़ों रूपया लग गया क्या ये अनियमितताएं नहीं हैं? क्या इस बारे में कोई इन्क्वायरी करवाएंगे?

**श्री मांगे राम गुप्ता**: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसमें इन्क्वायरी के बारे में क्या बात करते हैं। मैं कहता हूं कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है। तीन चार सेल्जमैन गबन करके भाग गए उनके खिलाफ बाकायदा केस रजिस्टर्ड है। इस बारे में इन्कवायरी की कोई जरूरत नहीं है।

**प्रो. सम्पत सिंह**: गुप्ता जी, एक केस के बारे में आपकी मालूम है जो दिल्ली में 56 लाख का हुआ है। आपने उस लड़के को टिकटें दे दी और बीच में जो कम्पनी थी, उससे चैक ले लिया लेकिन पैसा उसके अकाउंट में नहीं था लेकिन वह लड़का 56 लाख की टिकटें उस कम्पनी से लेकर चला गया उसको आप तलाश कर रहे हैं। यह मामला आपके टाईम में है या नहीं।

**श्री मांगे राम गुप्ता**: मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। हमने उसकी टिकटें दी और उससे चैक ले लिया लेकिन चैक डिस ओनर हो गया। उसके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है। उसको गिरफतार किया जा रहा है। जितने पैसे का डिफाल्ट हुआ है वह उसी कम्पनी के अकाउंट में डेविट हुआ है और उसी कम्पनी से

वसूल किया जाएगा। उसन जो गलती की है उस गलती का खमयाजा वह भुगतेगा। अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने सरकार की साख के बारे में बात कही कि इनके टाईम में 24 लाख टिकटें बिकती थीं और हमारे टाईम में 15 लाख टिकटें बिकती हैं। मैं सम्पत सिंह जी की जानकारी की के लिए बताना चाहता हूं कि उस लड़के के भाग जाने के बाद जो ईनाम की टिकटें बाजार में थी, उनके बोर में हमने बाकायदा अखबारों में अनाउंस किया, एडवटाईज किया कि हरियाणा स्टेट की ईनाम की लाटरी हिन्दुस्तान के किसी भी व्यक्ति के हाथ में है उसको हम इन्वाइट करते हैं बाकायदा उसको ईनाम दिया जाएगा। इस सरकार की यह साख है। हमने ईनाम दिए हैं। आज 56 लाख टिकटें रोज बिकती हैं। आप कह रहे थे कि सैंकड़ों ही बिकती हैं। हमारी 56 लाख टिकटें रोज बिकती हैं, यह एक रिकार्ड की बात है और ये भी इस कानून के बनने से पहले की बात है। यह कानून बनने के बाद टिकटों की सेल और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने अपनी सरकार की साख बनाई है। मैं डायरैक्ट और इनडायरैक्ट दो बातें कहना चाहता हूं। जो बड़ा ईनाम निकलता है उसको आमदनी मान कर केन्द्रीय सरकार हमारे से 40 परसैंट इनकम टैक्स के रूप में लेती है और हम ईनाम जीतने वाले से काट लेते हैं।

## बैठक का समय बढ़ाना

**श्री अध्यक्ष**: अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया जाए।

**आवाजें**: ठीक है जी।

**श्री अध्यक्ष**: हाउस का टाईम 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

## दी हरियाणा प्राइवेट लाटरीज प्रोहिबिशन बिल, 1993 (पुनरारम्भ)

**Mr. Speaker**: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

**Mr. Speaker**: Now the House stands adjourned *till 9.30 A.M. tomarrow, the 2nd September, 1993.

***2.00 P.M.**

(The Sabha than adjourned *till 9.30 A.M. on Thursday, the 2nd September, 1993.)